दिल्ली विकास
प्राधिकरण

दिल्ली को प्रकृति के अनुकूल समृद्ध बनाना

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

माननीय उपराज्यपाल अरावली जैव-वैविध्य पार्क का भ्रमण करते हुए

उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. लेफ्टिनेंट गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट, 2016 के विजेताओं को ट्रॉफी प्रदान करते हुए

विषय सूची

1.	दिल्ली एवं दि.वि.प्रा.–दिल्ली का समृद्ध इतिहास एवं बेहतर भविष्य	03
2.	वर्ष की विशेषताएं	05
3.	प्राधिकरण का प्रबंध–तंत्र	08
4.	कार्मिक विभाग	12
5.	सतर्कता विभाग	13
6.	विधि विभाग	14
7.	प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग	15
8.	इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्य–कलाप	19
9.	उद्यान– राजधानी को हरा–भरा बनाना	22
10.	योजना एवं वास्तुकला	23
11.	आवास	30
12.	भूमि प्रबंधन एवं भूमि निपटान विभाग	31
13.	खेल विभाग	35
14.	कोटि आश्वासन कक्ष	39
15.	वित्त एवं लेखा विंग	41

दि.वि.प्रा.द्वारा विकसित भलस्वा गोल्फ कोर्स

यमुना जैव–वैविध्य पार्क

अरावली जैव–वैविध्य पार्क

दिल्ली एवं दि.वि.प्रा.
दिल्ली का समृद्ध इतिहास एवं बेहतर भविष्य 1

पौराणिक कथाओं तथा आख्यानों का प्राचीन ऐतिहासिक शहर दिल्ली किसी समय बंजर भूमि थी, जिसे पांडवों ने अपनी राजधानी–इंद्रप्रस्थ के रूप में विकसित किया था । शताब्दियों से यह शहर अनेक साम्राज्यों के उत्थान–पतन का साक्षी रहा है और आज वैश्विक महानगर के रूप में खड़ा है। यह ऐसा शहर है जिसमें भूत और वर्तमान साथ–साथ परिलक्षित होते हैं । आधुनिक गगनचुंबी इमारतों के पास स्थित दिल्ली के स्मारक इसे अमर बनाए रखते है । दिल्ली को अनेक बार नष्ट किया गया और अनेक बार इसका पुनः निर्माण किया गया तथा इसके रूप को पुनः संवारा गया । इस तरह यह भारत के सर्वाधिक प्रमुख नगर के रूप में उभरा । दिल्ली के किले और पुरातात्विक स्थल इसके इतिहास के साक्षी हैं, जो दिल्ली को सम्मोहक और आकर्षक बनाते है ।

कुतुबुद्दीन के राज्यारोहण से खिलजी वंश तक तथा तुगलक साम्राज्य से लेकर मुगलों के शासन काल तक दिल्ली ने भारतीय इतिहास में अनेक अध्याय जोड़े हैं । इस शहर पर सन् 1911 में ब्रिटिश साम्राज्य का अधिकार हो गया। जो प्रतिष्ठा दिल्ली ने उस समय अर्जित की थी, वह अब तक बनी हुई है क्योंकि दिल्ली स्वतंत्र भारत की प्रसिद्ध राजधानी है। आरंभ में उत्तरी रिज को राजधानी बनाया जाना प्रस्तावित था जिसे बाद में रायसीना हिल्स के आस–पास स्थानांतरित कर दिया गया। वर्ष 1912 में प्रख्यात नगर योजनाकार एडवर्ड लुटियंस और हरबर्ट बेकर ने नई दिल्ली शहर का नगर नियोजन किया और इसे अद्वितीय विशेषता एवं भव्यता प्रदान की ।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित कोरोनेशन पार्क

इस शहर के नियोजित विकास को नियंत्रित करने के लिए पहले प्राधिकरण के रूप में वर्ष 1922 में दिल्ली कलेक्ट्रेट में एक छोटे से नजूल कार्यालय की स्थापना की गई, जिसमें 10 से 12 कर्मचारी थे । भवन निर्माण कार्यों तथा भूमि उपयोग को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 1937 में नजूल कार्यालय का दर्जा बढ़ाकर सुधार न्यास कर दिया गया, जिसका गठन संयुक्त प्रांत सुधार अधिनियम 1911 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया । वर्ष 1947 में, भारत के स्वतंत्र होते ही दिल्ली में बड़ी संख्या में प्रवासियों का आगमन हुआ, जिससे इसकी जनसंख्या 7 लाख से बढ़कर 17 लाख हो गई । परिणामतः शहरी आधारिक संरचनाओं की अत्यधिक कमी हो गई तथा नागरिक सेवाएं चरमराने लगीं । बड़ी संख्या में प्रवासियों को खुले स्थानों पर रहना पड़ा। इससे इस शहर के नियोजित विकास की नई दिशा तथा आवश्यकता के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ ।

उस समय के दो स्थानीय निकाय–दिल्ली सुधार न्यास तथा नगर निकाय इस बदलते हुए परिदृश्य का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे । दिल्ली के तीव्र और अव्यवस्थित विकास को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने सन् 1950 में जी.डी.बिड़ला की अध्यक्षता में एक समिति गठित की । इस समिति ने दिल्ली के सभी शहरी क्षेत्रों के लिए एक एकल नियोजन एवं नियंत्रक प्राधिकरण की अनुशंसा की । परिणामस्वरूप, योजना के अनुसार दिल्ली का विकास सुनिश्चित करने के प्रमुख उद्देश्य से दिल्ली (भवन निर्माण कार्य नियंत्रण) अध्यादेश, 1955 (जिसका स्थान दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 ने ले लिया) को प्रवर्तित करते हुए दिल्ली विकास (अनंतिम) प्राधिकरण (डी.डी.पी.ए.) का गठन किया गया । तत्पश्चात् 27 दिसम्बर, 1957 को दिल्ली विकास प्राधिकरण अस्तित्व में आया और इसने दिल्ली जैसे शहर के नौवें निर्माता की ऐतिहासिक भूमिका निभाने का कार्य संभाल लिया ।

दिल्ली एक कोरे कागज़ के समान थी, जिसे एक कुशल कलाकार के कौशल की आवश्यकता थी । दि.वि.प्रा. के समक्ष अनेक चुनौतियाँ मुँह खोले खड़ी थी, जिनके समाधान के लिए पेशेवर कुशाग्र व्यक्तियों एवं दूरदर्शी योजना की आवश्यकता थी । इसके पश्चात् दिल्ली के सुव्यवस्थित तथा संरचनाबद्ध विकास के लिए, दि.वि.प्रा. ने वर्ष 1982 तक के परिप्रेक्ष्य में वर्ष 1962 में दिल्ली की मुख्य योजना बनाई । यह मुख्य योजना बाद में अन्य शहरों द्वारा अपनाए जाने का मुख्य आधार तथा रूपरेखा का कार्य करने वाली बनी । इस मुख्य योजना की मुख्य विशेषताओं में ऐसी भूमि का निर्धारण करना था, जिसे व्यावसायिक उपयोगों के साथ–साथ परिसरों के लिए पर्याप्त स्थान तथा सहायक आधारिक संरचनाएं उपलब्ध करा के रिहायशी क्षेत्रों तथा सुविधाओं वाली कॉलोनियों के रूप में विकसित किया जा सके । इस मुख्य योजना में वर्ष 2001 तक के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए व्यापक संशोधन किए गए तथा इस मुख्य योजना को वर्ष 1990 में स्वीकार

किया गया । इस योजना में 2021 तक की अवधि के परिप्रेक्ष्य में सोच तथा नीति संबंधी दिशा–निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अनेक संशोधन किए गए और इस मुख्य योजना को, बदलते समय के अनुकूल बनाने के लिए, इसकी हर पांच वर्ष के अंतराल पर समीक्षा की जाती है और इसे तदानुसार संशोधित किया जाता है ।

दि.वि.प्रा. ने अपने विश्व स्तर के नगर योजनाकारों की सहायता से दिल्ली को धीरे–धीरे एक वैश्विक महानगर बना दिया हे । दि.वि.प्रा. ने अनेक महत्वपूर्ण पहलों की शुरूआत की है, जो आज भारत के शहरी विकास के मानकों के रूप में कार्य कर रही है । दि.वि.प्रा. ने क्षेत्रीय योजनाएं, कार्य क्षेत्र योजनाएं तथा शहरी विस्तार परियोजनाएं भी बनाई हैं । इसके कार्यक्षेत्र में आवासीय योजनाएं, व्यावसायिक परिसर, कार्यालयी स्थान, भूमि विकास, परिवहन, आधारिक संरचना, दिल्ली में विरासत स्थलों का निर्धारण एवं संरक्षण, खेल परिसर, खेल के मैदान गोल्फ कोर्स, पर्यावरण की सुरक्षा, हरित पट्टियों एवं वनों इत्यादि को संरक्षित रखना शामिल है । दि.वि.प्रा. के विचारपूर्ण प्रयासों से दिल्ली को विश्व की हरित राजधानी के रूप में पहचान मिली है । दि.वि.प्रा. ने 5050 हैक्टेयर हरित क्षेत्रों का विकास किया है जिसमें 4 क्षेत्रीय पार्क, 25 नगर वन, 111 जिला पार्क, 255 समीपवर्ती पार्क, 15 खेल परिसर, 3 लघु खेल परिसर, 2 गोल्फ कोर्स और 26 खेल के मैदान हैं । इसके अतिरिक्त, दि.वि.प्रा. ने दिल्ली बॉयोडाइवर्सिटी फाउंडेशन की स्थापना करके शहर के भावी प्राकृतिक संसाधनों को बढ़ाने और हरित क्षेत्रों के विकास की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ाया है और इसके साथ–साथ हरित पट्टियों को विकसित करके दिल्ली को मिलेनियम सिटी बनाने का लगातार प्रयास कर रहा है । इस फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में जैव–वैविध्य स्थलों की समृद्ध पारिस्थितिकी और प्राकृतिक जैव वैविध्य विशेषता को संरक्षित रखना है। दि.वि.प्रा. जीव विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान तथा वन्य जीवों के क्षेत्रों में विशेषज्ञता प्राप्त वैज्ञानिकों के दल की सहायता से अपनी तरह के पहले चार जैव–वैविध्य पार्क विकसित कर रहा है ।

दिल्ली को वैश्विक शहर बनाने के लिए दि.वि.प्रा. ने शहरी आधारिक संरचनाओं के विकास संबंधी अपने कार्यों के अतिरिक्त नागरिकों की परिवहन तथा प्रतिदिन की यात्रा संबंधी समस्याओं का समाधान करने के लिए अन्य कार्य भी किए हैं । दि.वि.प्रा. ने सड़कों, राजमार्गों और संबंधित आधारिक संरचना की योजना बनाने और आवागमन बढ़ाने, भीड़ कम करने तथा सुगम यातायात बढ़ाने के लिए एकीकृत यातायात एवं परिवहन आधारिक संरचना नियोजन और अभियांत्रिकी केन्द्र (यूटीपैक) का गठन किया है । दि.वि.प्रा. ने जन सेवाओं को बेहतर, समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए अपनी ऑन–लाइन सेवाओं का आधुनिकीकरण किया हैं ।

दि.वि.प्रा. की पहल तथा उपलब्धियों के सम्मिलित प्रयासों ने आज दिल्ली शहर को गतिमान, जीवंत वैश्विक शहर में परिवर्तित कर दिया है, जो अपने प्राचीन आकर्षण और समृद्ध इतिहास को बनाए रखते हुए बदलते हुए समय के साथ–साथ शहर एक परिवर्तनशील शहर के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है ।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित मिलेनियम पार्क

वर्ष की विशेषताएँ 2

2.0 वर्ष 2015–16 के दौरान दि.वि.प्रा. ने सुव्यवस्थित सुधार के लिए कुछ उपायों की शुरूआत की और कुछ नई पहल शुरू कीं, जो निम्न प्रकार से हैः–

2.1 ई–मापन पुस्तिका

2.1.1 स्मार्ट फोन द्वारा वास्तविक समय में लंबाई–चौड़ाई समन्वय के साथ अभियांत्रिकी कार्यों के मापन को अनिवार्य रूप से ऑन लाइन भरना ।

2.1.2 यह ठेकेदारों को ऑन लाइन भुगतान का एक लिंक है और साथ ही साथ जनता द्वारा देखने का विकल्प भी है ।

2.2 ऑनलाइन फीड बैक के लिए मोबाइल एप्स

2.2.1 दि.वि.प्रा. फ्लैटों के निर्माण की गुणवत्ता पर आबंटितियों से फीड बैक के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है जिसे ठेकेदारों की प्रतिभूति जमा में से कटौती के लिए लिंक किया गया ।

2.2.2 खेल परिसरों, पार्कों और शौचालयों के रखरखाव संबंधी फीड बैक के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया गया, जो सेवा प्रदाता एजेंसियो के भुगतान के साथ भी जुडा हुआ है ।

2.3 भूमि रिकॉर्डों का डिजीटाइजेशनः

2.3.1 240 गाँव, जिनकी भूमि दि.वि.प्रा. द्वारा अधिगृहित की गई है, के शाजरा और मसाविज़ सहित भूमि रिकार्ड को डिजीटाइज किया गया ।

2.4 फाइल ट्रैकिंग प्रणाली का क्रियान्वयन

2.4.1 कर्मचारियों के कार्य निष्पादन (आउट पुट) को ऑन लाइन लाया गया और उसे फाइल ट्रैकिंग प्रणाली से जोडा गया ।

2.5 ऑन लाइन वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.)

2.5.1 दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के ए.पी.ए.आर. को ऑन लाइन कर दिया और इसे उनके कार्य निष्पादन से लिंक किया गया ।

2.6 प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.)

2.6.1 मुख्य योजना को स्पष्ट करने के लिए आवासीय, व्यापार और वाणिज्य, औद्योगिक तथा सामाजिक आधारिक संरचना अध्याय पर एफ.ए.क्यू. तैयार किए गए और उन्हें दि.वि.प्रा. वेबसाइट पर डाल दिया गया ।

2.6.2 एक्सल शीटों और क्रॉस रेफरेंस पर विकास नियंत्रक मानदंडों को सारणीबद्ध किया गया ।

2.6.3 बिल्डिंग परमिट संबंधी हैण्ड बुक पर एफ.ए.क्यू. तैयार किए गए ।

2.6.4 आवास, भूमि और खेल विभाग के विभिन्न कार्यों के लिए भी एफ.ए.क्यू. तैयार किए गए तथा उन्हें दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डाल दिया गया ।

2.7 दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित संपत्तियों के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली

2.7.1 दि.वि.प्रा. प्लॉटों, फ्लैटों, समूह आवास फ्लैटों और प्लॉटिड संपत्तियों हेतु जनता/आबंटितियों के लिए दि.वि.प्रा. वेबसाइट के माध्यम से ऑन लाइन भुगतान प्रणाली को शुरू कर दिया गया है । आबंटिती दि.वि.प्रा. की किसी भी आबंटित संपत्ति के लिए सभी प्रकार के भुगतान ऑन लाइन अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा कर सकते है ।

2.8 योजना

2.8.1 हरित भवनों को प्रोत्साहन देने तथा भवनों और परिसरों के वर्षा जल संचयन ढाँचों के निर्माण, संचालन और रखरखाव की निगरानी के लिए विनियामक तंत्र के गठन के लिए एक नीति को अंतिम रूप दिया गया है ।

2.8.2 पारदर्शिता और ई–गवर्नेंस लाने के लिए जी.आई.एस.इकाई ने एक मुख्य पहल के रूप में जी.आई.एस.प्लेटफार्म पर दिल्ली मुख्य योजना–2021 की क्षेत्रीय विकास योजनाओं के भूमि उपयोग प्लानों के मानचित्र बनाने की पहल की है अनधिकृत कॉलोनियों के लिए मुख्य योजना सड़कों आदि पर बाधाओं को दर्शाने वाले नमूना नक्शों को तैयार करने की शुरूआत कर दी गई है ।

2.9 जैव–विरासत का संरक्षण

2.9.1 जैव–वैविध्य पार्क

- 456 एकड़ भूमि पर विकसित यमुना जैव–वैविध्य पार्क
- तिलपथ वेली पार्क विकसित किया गया और दि.वि.प्रा. द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया के सहयोग से 1,00,000 पौधे लगाए गए हैं ।
- अरावली जैव–वैविध्य पार्क में व्याख्यान केन्द्र विकसित किया गया ।
- उत्तरी रिज में वृक्षारोपण बढ़ाया गया ।

2.9.2 यमुना नदी जीर्णोद्धार एकीकृत केन्द्र एवं सौंदर्यीकरण (यू. सी.आर.आर.वाई.) के लिए अधिदेश तैयार करने के लिए दस्तावेज और उसकी अधिसूचना ।

2.9.3 शहरी पार्कों हेतु ग्रीन सर्किट के लिए योजना तैयार करना।

2.9.4 स्कल्पचर पार्क के लिए प्रस्ताव ।

2.10 भूमि संरक्षण के लिए मानक प्रक्रिया कार्यविधि (एस.ओ.पी.) का क्रियान्वयन

2.10.1 3500 खाली प्लॉटों की ऑनलाइन संपत्ति सूची बनाई गई और उसे सार्वजनिक किया गया ।

2.10.2 फील्ड स्टॉफ को अतिक्रमण की जांच करने के लिए मोबाइल ऐप के साथ एंड्रॉयड आधारित मोबाइल फोन दिए गए । फील्ड स्टाफ द्वारा नियमित आवधिक स्थल निरीक्षण किया जाएगा तथा खाली भूमि की स्थिति लंबाई और चौड़ाई समन्वय के साथ मोबाइल ऐप द्वारा अपलोड की जाएगी । पर्यवेक्षण अधिकारी फील्ड स्टाफ द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की जांच के लिए निश्चित समय पर भूमि का निरीक्षण करेंगे। यदि कोई अतिक्रमण ध्यान में आता है, तो उसे तुरंत हटा दिया जाएगा ।

2.10.3 जब तक निर्धारित उपयोग नहीं होता, तब तक आवासीय समीपवर्ती क्षेत्रों में दि.वि.प्रा. के बड़े प्लॉटों को अंतरिम खेल के मैदानों के रूप में उपयोग के लिए समतल किया जा रहा है और बाड लगायी जा रही है। ये अस्थायी खेल के मैदान बच्चों को नि:शुल्क खेल खेलने में सहायक होंगे तथा दि.वि.प्रा. की कीमती भूमि को अतिक्रमण से भी बचाएंगे। 5 अस्थायी खेल के मैदान पहले ही शुरू किए जा चुके हैं और कुछ अन्य खेल के मैदान जल्दी ही विकसित किये जाएँगे ।

2.11 भूमि निपटान, आवास और लेखा विभाग में कार्य प्रक्रिया का सरलीकरण

2.11.1 आवेदकों द्वारा दस्तावेज पूरा करने पर चालान सत्यापन का कार्य क्रम संख्या के स्थान पर समांतर रूप से किया गया ।

2.11.2 कार्य की पुनरावृति, अनापेक्षित अंतर्विभागीय फाइल मूवमेंट को हटा दिया गया ।

2.11.3 कब्जा पत्र अब स्थल अभियंताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजे जाते हैं, इससे समय नष्ट नहीं होता है ।

2.12 परिवर्तन प्रक्रिया सबंधी दस्तावेजों का सरलीकरण

2.12.1 स्वः अनुप्रमाणित फोटो कॉपी स्वीकार की जाएँगी ।

2.12.2 पृथक वचनबंध और शपथ–पत्र के स्थान पर अब एक सिंगल फार्मेट होगा ।

2.12.3 जहाँ आवेदक ने पट्टा विलेख प्रस्तुत किया होगा, वहां उनसे कब्जा–पत्र और मांग एवं आबंटन–पत्र नहीं मांगा जाएगा ।

2.12.4 केवल वही मूल दस्तावेज मांगे जाएंगे जिनकी कॉपी आवेदन–पत्र के साथ अनिवार्य रूप से अपेक्षित थी ।

2.12.5 उस आवास के स्वामित्व, जहाँ आवेदक रह रहा है के बारे में तब तक कोई पूछताछ नहीं की जाएगी जब तक कि उस मामले में कोई विशेष शिकायत न हो ।

2.12.6 सी.जी.एच.एस./सी.एच.बी.एस. के आबंटितियों से व्यक्तिगत रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा तथा इकट्ठी सूचना प्राप्त की जाएगी ।

2.12.7 दिल्ली में 5 चूल्हा–कर गॉवों के निवासियों की लंबे समय से लंबित समस्या का समाधान कर दिया गया है । इस संबंध में मंत्रालय ने एक नीति को अनुमोदन प्रदान किया है, जो ग्रामीणों को उस भूमि का स्वामी बनने में सहायता करेगी, जिस पर वे लगभग 100 वर्षों से रह रहे हैं ।

2.12.8 एक अन्य समस्या, जो 23 नजूल संपदाओं के समाप्त हो चुके आवधिक पट्टे के संबंध में लगभग 8 वर्ष से लंबित थी, उसका समाधान कर लिया गया है । मंत्रालय द्वारा दरिया गंज, पहाड गंज, करोल बाग इत्यादि जैसी नजूल भूमि के समाप्त हो चुके आवधिक पट्टों के नवीनीकरण और फ्री–होल्ड में परिवर्तन के लिए एक स्कीम को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है ।

2.12.9 नामांतरण/लीज होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन के मामलों का निर्धारित अवधि के अंदर निपटान ।

2.12.10 आवेदन के फार्मों को सरल कर दिया गया है और स्वीकृत भवन नक्शों के न होने पर तथा समाप्त हो चुके पट्टों के मामले में जी.पी.ए. लिंक के न मिलने पर भी दुरूपयोग प्रभारों में एक बार की और जुर्माने में राहत के बाद परिवर्तन की अनुमति दे दी गई है ।

2.13 दिल्ली भवन निर्माण उप विधि–2016 अधिसूचित

2.13.1 मुख्य विशेषताएँ:

- भवन निर्माण उप विधि (बी.बी.एल.) 1983 और राष्ट्रीय भवन संहिता (एन.बी.सी.) में अविद्यमान भवनों के तल कवरेज (जी.सी.) परिभाषित किए गए ।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 और राष्ट्रीय भवन संहिता में गगनचुंबी इमारतों की परिभाषा में अस्पष्टता का समाधान किया गया ।
- स्टिल्ट पार्किंग, स्टैक पार्किंग और पोडियम टॉवरों को स्पष्ट किया गया ।
- सभी सीढियों और फायर टॉवरों को एफ.ए.आर. और ग्राउंण्ड कवरेज से अलग किया गया ।
- महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय सुविधा को 50:50 पुरुष–महिला अनुपात करके बढाया गया ।
- शून्य कचरा प्रावधान ।
- डेंगू के खतरे की रोकथाम के लिए पानी के टैंक तक पहुँचने हेतु सीढी ।

- परिसरों में ऑप्टिकल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु प्रावधान किए गए ।
- निर्माण कार्य गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण की जाँच हेतु स्वीकृति पत्र को संशोधित किया गया ।
- एल.डी.आर.पी.– अग्नि शमन वाहनों हेतु अपेक्षित प्रवेश/निकास के उदाहरण शामिल किए गए ।
- परिवर्धन/परिवर्तन जिसमें भवन अनुमति की आवश्यकता नहीं है को स्पष्ट किया गया। अन्य किसी की सम्पत्ति/सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई बाधा पहुँचाए बिना फिक्सचर के परिवर्तन/इंस्टालेशन/पुनः प्रबंधन/रीलॉकेटिंग की अनुमति दी गई ।
- अग्निशमन की आवश्यकता के प्रावधानों को स्पष्ट किया गया ।
- आवासीय प्लॉटों/समूह आवासों में बालकॉनी प्रावधानों में क्रमशः 1.5 मी./2.0 मी. चौड़ाई तक की छूट दी गई ।

2.14 ट्रांजिट ओरिएण्टिड विकास नीति

2.14.1
- ''टी.ओ.डी.जोन'' (लैंडपूलिंग और कम सघनता वाले आवासीय क्षेत्र (एल.डी.आर.ए.)) के रूप में एम.आर.टी. एस. कॉरिडोर की सेंटर लाइन के दोनों ओर 500 मी. तक चौड़ी पट्टी (5 मिनट की पैदल दूरी) को निर्दिष्ट करना ।
- बाजार/स्थानीय माँग के संबंध में विभिन्न संभव उपयोगों के मिश्रण में और अधिक लचीलेपन की अनुमति देना ।

2.14.2 टी.ओ.डी. नीति की मुख्य विशेषताएं

(क) क्षेत्रीय विकास योजना भूमि उपयोगों की सीमा के अन्दर उपयोगों का लचीलापन ।

(ख) सड़क–यात्रा की मांग, सड़कों पर दबाव को कम करने के लिए मिश्रित उपयोग प्रावधान

(ग) लोगों के रहने, कार्य करने और स्टेशनों के बीच पैदल दूरी के अन्दर मनोरंजन करने के लिए सुविधा देने हेतु अधिकतम तल क्षेत्रफल अनुपात और सघनता मानक ।

(घ) एन.एम.टी. और पैदल यात्रियों के सुरक्षित और आसान आवागमन के लिए समीपवर्ती/ विकासशील क्षेत्रों में अच्छी सड़क/नेटवर्क ।

(ङ) समुदायों के अन्दर आय का मिश्रण और सार्वजनिक सुरक्षा में बढ़ोत्तरी।

2.15 लैण्ड पूलिंग

- लैण्ड पूलिंग नीति के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत बनाए गए । यह निजी कार्यक्षमता सहित भूमि संग्रहण और आधारिक संरचनात्मक विकास के माध्यम से समयबद्ध तरीके से आवासीय आपूर्ति को बढ़ाएगा ।

2.16 अभियांत्रिकी

2.16.1 04 समाज सदन का निर्माण–कार्य पूरा कर लिया गया और 32 अन्य समाज सदन निर्माणाधीन हैं ।

2.16.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पार्कों के उन्नयन एवं रखरखाव के लिए निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं/ प्रस्तावित हैः

i. 200 टॉयलेट का निर्माण।

ii. 1000 डस्टबिन की व्यवस्था करना ।

iii. 25 ओपन जिम खोलना।

iv. 25 पर्कों में बच्चों के खेल उपकरणों को बदलना/ उनकी मरम्मत करना ।

v. 105 से अधिक पार्कों में लाइटों की व्यवस्था करना ।

2.16.3 दि.वि.प्रा. के फ्लैटों में लिफ्ट लगाने के लिए पॉलिसी को पुनः संशोधित किया गया है और उदार बनाया गया ।

2.16.4 62,313 आवासीय इकाइयाँ निर्माणाधीन हैं और अगले तीन वर्षों में इनको पूरा करने की संभावना है ।

2.16.5 तीन स्थानों पर झुग्गी निवासियों का स्वः स्थाने पुनर्वास किया गयाः

i. कठपुतली कालोनी–2800 आवासीय इकाइयाँ

ii. ए–14 कालकाजी एक्सटेंशन–3000 आवासीय इकाइयाँ

iii. जेलर वाला बाग, अशोक विहार–1675 आवासीय इकाइयाँ

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित भलस्वा गोल्फ कोर्स

प्राधिकरण का प्रबन्ध तंत्र

3

3.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

दिल्ली विकास प्राधिकरण का गठन दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा–3 के अंतर्गत किया गया । यह एक निगमित निकाय है, जिसके पास सम्पत्ति का अधिग्रहण करने, स्वामित्व रखने और उसके निपटान करने की शक्ति है । श्री नजीब जंग एक वरिष्ठ अधिकारी, शिक्षाविद् और प्रसिद्ध लेखक हैं, जिन्होंने 9 जुलाई, 2013 को दिल्ली के 20वें उपराज्यपाल, और दिल्ली विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है, तब से वे संगठन की विविध गतिविधियों के लिए निर्देश दे रहे हैं। वर्ष के दौरान प्राधिकरण का गठन निम्नानुसार रहाः

3.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण के सदस्य

श्री नजीब जंग अध्यक्ष	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री बलविन्दर कुमार उपाध्यक्ष	01.04.2015 से 31.07.2015
श्री अरूण गोयल उपाध्यक्ष	31.07.2015 से 31.03.2016
श्री वेंकटेश मोहन वित सदस्य	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री अभय सिन्हा अभियंता सदस्य	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री डी.एस.मिश्रा अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री बी.के.त्रिपाठी सदस्य, सचिव रा.रा.क्षे.,योजना बोर्ड	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री विजेन्द्र गुप्ता	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री सोमनाथ भारती	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री एस.के.बग्गा	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री ओ.पी.शर्मा	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री सतीश उपाध्याय	01.04.2015 से 31.03.2016
श्रीमती रजनी अब्बी	01.04.2015 से 31.12.2015

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान प्राधिकरण की 7 बैठकें हुई और उनमें कुल 148 मदों पर विचार किया गया ।

3.3 दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद्

यह दिल्ली विकास अधिनियम,1957 की धारा–5 के अंतर्गत गठित निकाय है। यह प्राधिकरण को मुख्य योजना तैयार करने और योजना एवं विकास से संबंधित ऐसे अन्य मामलों अथवा इस अधिनियम को लागू करने के संबंध में उठने वाले मामलों, जो प्राधिकरण इसे भेजता है, पर सलाह देता है । वर्ष के दौरान सलाहकार परिषद का गठन निम्नानुसार रहाः–

दिल्ली विकास प्राधिकरण की सलाहकार परिषद के सदस्य

अध्यक्ष	
श्री नजीब जंग	01.04.2015 से 31.03.2016
लोकसभा के सदस्य	
श्री रमेश बिधूड़ी	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	01.04.2015 से 31.03.2016
राज्य सभा के सदस्य	
श्री प्रभात झा	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री रमेश पण्डित	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री मीर सिंह	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री सुनील बजाज	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री आर.के.कक्कड मुख्य वास्तुकार (सेवानिवृत्त) के.लो.नि.वि.	01.04.2015 से 31.03.2016
श्री अशोक खुराना महा निदेशक (सेवानिवृत्त)	01.04.2015 से 31.03.2016
अध्यक्ष, दिल्ली परिवहन निगम	01.04.2015 से 31.03.2016
अध्यक्ष, सीईए	01.04.2015 से 31.03.2016
महानिदेशक (रक्षा सम्पदा), रक्षा मंत्रालय	01.04.2015 से 31.03.2016
अपर निदेशक (जन.)आरडी	01.04.2015 से 31.03.2016
महाप्रबंधक (विकास), महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड	01.04.2015 से 31.03.2016
नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी (दि.न.नि.)	01.04.2015 से 31.03.2016

3.4 सूचना अधिकार कार्यान्वयन एवं समन्वय शाखा

सरकार के कायकलापों में पारदर्शिता लाने एवं कर्मचारियों के बीच जिम्मेदारी की भावना को सुनिश्चित करने के लिए और भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए एक अधिनियम, जिसे सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 के नाम से जाना जाता है, 12 अक्तूबर 2005 से लागू किया गया है ।

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य जनता को सार्वजनिक प्राधिकरणों के निर्णयों, सूचना को उपलब्ध कराना है । यह कार्यकलापों में अधिक पारदर्शिता लाएगा और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों से जुड़ी प्रक्रियाओं की जानकारी देगा।

दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में आर.टी.आई. के लिए 14 अलग–अलग काउंटर खोले हैं जहां फार्म/आवेदन को शुल्क के साथ प्राप्त किया जाता है। आर.टी.आई. के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार किया गया है, जो अनिवार्य नहीं है और निःशुल्क है। दि.वि.प्रा. सादे कागज पर डाक द्वारा और इलैक्ट्रानिक मीडिया इत्यादि द्वारा भी आवेदन प्राप्त करता है ।

दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित 86 जनसूचना अधिकारी (पी.आई.ओ.) नियुक्त किए गए हैं। पी.आई.ओ. की इतनी संख्या इसलिए आवश्यक है क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय दूर–दूर तक फैले हुए है। सभी पी.आई.ओ. को ई–मेल आई डी उपलबध कराई गई है, जिससे जनता पी. आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों से आसानी से संपर्क कर सकें ।

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर आर.टी.आई. के संबंध में पूरी जानकारी, पी.आई.ओ. और अपील प्राधिकारियों की सूची, आवेदन–पत्र और आर.टी.आई. के संबंध में विविध जानकारी उपलब्ध है ।

वर्ष 2015–16 के दौरान दि.वि.प्रा. ने 7361 आर.टी.आई. आवेदन पत्र प्राप्त किए जिनमें से 6974 आवेदन–पत्रों के संबंध में उत्तर भेजे गए ।

3.5 स्टाफ क्वार्टर आबंटन शाखा

वर्ष 2015–16 के दौरान 54 स्टाफ क्वार्टरों के संबंध में परिवर्तन दिया गया और 64 नए स्टाफ क्वार्टर आबंटित किए गए ।

स्टाफ क्वार्टर की श्रेणी	आबंटन	परिवर्तन
टाइप-I	49	13
टाइप-II	5	19
टाइप-III	3	20
टाइप-IV		1
टाइप-V	6	1
टाइप-VI		
टाइप-VII		1
कुल	**64**	**54**

3.6 नजारत शाखा

नजारत शाखा का मुख्य कार्य सामान्य प्रशासन और कार्यालय प्रबंधन को देखना है। इस शाखा में निदेशक (नजारत) उप निदेशक (नजारत), दो सहायक निदेशक और अन्य अधीनस्थ स्टाफ शामिल हैं । इसलिए इस शाखा का मुख्य कार्य कार्यालय के कार्यों को सुगमता से करने के लिए विभिन्न मदों जैसे–स्टेशनरी मदें, कार्यालय फर्नीचर, वर्दी, कार्यालय उपकरण अर्थात फोटोकॉपी मशीन, फोटो कॉपियर पेपर, फैक्स मशीन, क्रॉकरी, इंक कार्टरिज आदि उपलब्ध कराना और इन्हें जारी करना है तथा रबड़ की मुहरें और नामपट्ट तैयार करवाना है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त यह शाखा कार्यालय में अपेक्षित अन्य मदें अर्थात डैजर्ट कूलर, वाटर कूलर, एयर कंडीशनर्स सी.सी.टी.वी. आदि संबंधित स्टाफ को उपलब्ध कराने का कार्य भी करती है । रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संबंधित स्टाफ को सभी मदें समय पर उपलब्ध कराई गई । यह शाखा कार्यालय स्थान के आबंटन का कार्य भी करती है।

3.7 हिन्दी विभाग

हिन्दी विभाग द्वारा सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को प्रभावशाली बनाने के लिए दिनांक 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान 27 निरीक्षण किए गए । इस अवधि के दौरान प्राधिकरण की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की 3 बैठकें आयोजित की गई । कर्मचारियों को हिंदी में नोटिंग–ड्राफ्टिंग का प्रशिक्षण देने के लिए 4 हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गई जिसमें 10 अधिकारियों और 122 कर्मचारियों को हिंदी में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया गया ।

सितम्बर, 2015 में ''हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास'' मनाया गया । इस अवधि के दौरान हिंदी वाद–विवाद, हिंदी नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हिंदी सुलेख (केवल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए), हिंदी श्रुतलेख (केवल सहायक, सहायक लेखा अधिकारी, व सहायक निदेशकों और समान स्तर तथा उच्च स्तर के अधिकारियों के लिए) हिंदी निबंध (श्रेणी क, ख और ग के लिए), हिंदी निबंध (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) ओर हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं में कुल 321 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने भाग लिया। इन प्रतियोगिताओं में दिए गए पुरस्कारों की कुल राशि ₹ 1,10,600/– हैं । पुरस्कृत अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी से अंग्रेजी व अंग्रेजी से हिंदी प्रशासनिक शब्दावलियां भी वितरित की गई । ''हिंदी प्रोत्साहन मास'' के दौरान एक हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की गई । संसदीय राजभाषा समिति द्वारा मुख्य अभियंता (द्वारका) कार्यालय का राजभाषायी निरीक्षण दिनांक 09.06.2015 को और मुख्य अभियंता (रोहिणी) का राजभाषायी निरीक्षण दिनांक 20.02.2016 को किया गया । इन निरीक्षण कार्यक्रमों के लिए हिंदी विभाग द्वारा सभी प्रकार की आवश्यक सहायता जैसे निरीक्षण प्रश्नावली भरना, विभिन्न प्रकार का अनुवाद, टाइपिंग कार्य आदि किया गया ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में 1026 पृष्ठों का अनुवाद किया गया, जिनमें पी.ए.सी.पैरा के उत्तर, सी.ए.जी.रिपोर्ट, स्थायी समिति की रिपोर्ट, विभिन्न पदों के भर्ती नियम, कल्याण विभाग से संबंधित रिपोर्ट, दि.वि.प्रा. की वर्ष 2014–15 की वार्षिक रिपोर्ट, दि.वि.प्रा. की लेखा परीक्षा रिपोर्ट, 'विकास वार्ता' से संबंधित लेखों, 'भवन निर्माण उपविधि–2016' के 225 पृष्ठों, वरिष्ठता सूचियों, लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन संबंधी ब्रोशर और स्थायी समिति और संसद की परामर्शदाता समिति से संबंधित मामले शामिल हैं । दि.वि.प्रा. की वेबसाइट का अनुवाद भी हिंदी विभाग द्वारा किया गया ।

इसके अतिरिक्त दिन–प्रति–दिन प्राप्त होने वाले फार्मों, मानक पत्रों, अधिसूचनाओं, प्रेस विज्ञप्तियों, निविदाओं, विज्ञापनों तथा विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए जाने वाले आदेशों, परिपत्रों, संस्थापना आदेशों का अनुवाद कार्य भी किया गया । विभिन्न प्रकार की सामग्री का प्रूफ–रीडिंग एवं मिलान कार्य भी किया गया ।

3.8 जन सम्पर्क विभाग

दि.वि.प्रा. के जन सम्पर्क विभाग को भुगतान करके अथवा बिना भुगतान के प्रचार द्वारा संगठन को छवि बनाने से संबंधित कार्यकलापों करने और संचार के विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके जनता के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने का कार्य सौंपा गया है। इसके अन्य मुख्य कार्यकलापों मे विज्ञापन नीति तैयार करना, विज्ञापन दरें तय करना, विज्ञापन अभिकरणों का पैनल बनाना, निदेश पुस्तिकाओं, स्मारिकाओं आदि त्रैमासिक विभागीय पत्रिका प्रचार साहित्य का प्रकाशन शामिल है । इसके अतिरिक्त यह विभाग प्रेस सम्मेलनों, प्रेस संबंधी दौरे आदि की व्यवस्था भी करता है । विभिन्न समारोहों को कवर करने, प्रेस विज्ञप्तियां जारी करने, समाचार पत्रों के माध्यम से की गई शिकायतों की जांच एवं अनुवर्ती निगरानी करना, प्रतिनिधि मण्डलों की अगवानी करना, प्रत्युत्तर जारी करना जैसे कुछ अन्य कार्य इस विभाग को सौंपे गए है ।

3.9 01.04.2015 से 31.03.2016 तक की अवधि के दौरान की गई गतिविधियां

1. 44 प्रेस विज्ञप्तियां (अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में) जारी की गई जिनमें अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों तथा विभिन्न गतिविधियों और आयोजित किए गए समारोहों का विवरण दिया गया । इन प्रेस विज्ञप्तियों को प्रिंट के साथ–साथ श्रव्य–दृश्य मीडिया में भी कवर किया गया ।

2. तीन प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई, जिनमें दि.वि.प्रा. और एन.बी.सी.सी. के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने से संबंधित एक कांफ्रेंस दिनांक 26.05.2015 को आयोजित हुई, जिसे उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. और अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एन.बी.सी.सी. द्वारा संयुक्त रूप से संबोधित किया गया और दिनांक 26.06.2015 और दिनांक 03.09.2015 को दो प्रेस कांफ्रेंस आयोजित की गई, जिनमें उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. द्वारा संबोधित किया गया˙ प्रिंट और दृश्य–श्रव्य मीडिया द्वारा अच्छी प्रकार कवर किया गया ।

3. दूरदर्शन पर ''डेटलाइन–दिल्ली'' के नाम से दि.वि.प्रा. की उपलब्धियों को दर्शाने वाला एक दृश्य–श्रव्य कैप्सूल जुलाई 2006 से प्रत्येक पखवाड़े में दिखाया जा रहा है । 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान इनपुट तैयार किया गया और 25 कड़ियों का प्रसारण दूरदर्शन पर किया गया ।

4. 82 विज्ञापनों (अंग्रेजी और हिंदी) को विभिन्न समाचारपत्रों में प्रकाशित किया गया ।

5. विभिन्न समाचार पत्रों में छपी 4 प्रेस कतरनों पर अनुवर्ती कार्रवाई की गई ताकि प्रत्येक शिकायत का निवारण किया जा सके और सम्पादकों को पत्र (खण्डन) जारी किए गए ।

6. विकास सदन में कम्प्यूटरीकृत प्राप्ति एवं प्रेषण काउंटरों के द्वारा 115789 पत्र प्राप्त हुए और 76962 पत्र प्रेषित किए गए ।

7. पुस्तकालय के लिए 318 नई पुस्तकें खरीदी गई । दैनिक समाचार पत्रों में से दि.वि.प्रा. से संबंधित लगभग 2882 प्रेस कतरनें काटी गई और वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी अथवा प्रतिक्रिया यदि कोई हो, के लिए परिचालित की गई ।

8. वर्ष 2014–15 की प्रशासनिक रिपोर्ट के सम्पादन, तैयार करने और मुद्रण का कार्य भी किया गया ।

9. दिल्ली विकास वार्ता के चार संकलनों का सम्पादन, मुद्रण और वितरण किया गया ।

10. फोटो अनुभाग ने 108 समारोहों को कवर किया । 6946 फोटोग्राफ लिए गए और 2326 फोटोग्राफ डेवलप किए गए तथा प्रकाशन और रिकार्ड के लिए जारी किए गए ।

11. संदर्भाधीन अवधि के दौरान वर्ष 2016–17 के लिए विज्ञापन दरें आमंत्रित की गई । दरें कम से कम करने के लिए विभिन्न समाचार पत्र प्रकाशनों से हर संभव बातचीत की गई ।

3.10 जन शिकायत निवारण प्रणाली

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब तक दस लाख से अधिक आवासीय इकाइयों, 640 से भी अधिक व्यावसायिक स्थानों, 22 औद्योगिक सम्पदाओं, लगभग 3600 यांस्थानिक प्लॉटों, 15 खेल परिसरों और विशाल हरित क्षेत्रों का विकास किया है । इतने अधिक विकास के कारण बड़े पैमाने पर जन–प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक है और अत्याधिक लेन–देन होने के कारण बड़ी संख्या में जन–शिकायतें भी हुई और प्रश्न उठाए गए ।

दि.वि.प्रा. ने कार्य निपटान में विलम्ब को कम करने, शिकायतों का समयबद्ध निवारण करने और सुविधाजनक रूप से सूचना प्रदान करने के लिए नवीन उपाय अपना कर एक उपभोक्ता–अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु संगठित प्रयास किया हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए विभिन्न उपायों में नियमित निगरानी, त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई,

शक्तियों का प्रत्यायोजन और विभिन्न तरीकों द्वारा सूचना का विकेन्द्रीकरण एवं प्रसारण शामिल है ।

दि.वि.प्रा. जन शिकायत निवारण की एक 4 टियर–प्रणाली अपना रहा है जिसमें उपभोक्ता अपनी समस्याओं के तत्काल निवारण हेतु प्रत्येक कार्यदिवस सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को अपराह्न 2:30 बजे से सायः 4:30 बजे के बीच उप निदेशक, निदेशक, आयुक्त और प्रधान आयुक्त से मुलाकात कर सकते हैं । उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. भी जनता से सभी कार्य दिवसों में मिलते हे ।

सन् 2007 में 'उपराज्यपाल की सुनवाई'' के रूप में एक पंचम टियर भी सृजित किया गया। अब जनता अपनी शिकायत उच्चतम स्तर पर कर सकती है ।

यह प्रणाली 'नागरिक संबंध और शिकायत प्रबंधन प्रणाली' के नाम से जानी जाती है और यह माननीय उप राज्यपाल, दिल्ली द्वारा 9 मई, 2007 को राज निवास में आरंभ की गइ थी । यह प्रणाली एक ''सहायता कक्ष'' जैसी है , जो जनता से दिल्ली के विभिन्न नगर निकायों से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करता है। नागरिक अपनी शिकायतें सिंगल नंबर155–355 पर कॉल करके दर्ज करा सकते है । दि.वि.प्रा. से संबंधित सभी शिकायतें संबंधित विभागाध्यक्ष की मेल आईडी पर तत्काल प्रदर्शित की जाती है । यह साइट सभी विभागाध्यक्षों द्वारा प्रतिदिन खोली जाती है । इसके अंतर्गत पंजीकृत शिकायतों को तत्काल दूर किया जाता है । पंजीकरण के समय दिए गए टेलिफोन नंबर पर शिकायतकर्ता से संपर्क भी किया जाता हे । इन शिकायतों का निपटान ऑन लाइन रिकार्ड किया जाता है और इन्हें माननीय उप–राज्यपाल द्वारा मॉनीटर किया जाता है । संतोषजनक निवारक कार्रवाई किए जाने के बाद ही ये शिकायतें सूची से हटाई जाती है ।

शिकायतों का निपटान

1. **स्वागत काउन्टरों पर प्राप्त शिकायतें**: जनता द्वारा स्वागत काउन्टरों पर प्रस्तुत की गई शिकायतें कम्प्यूट्रीकृत होती हैं और प्रत्येक शिकायत के लिए क्रम संख्या के साथ एक पावती दी जाती है काउन्टरों पर प्राप्त सभी शिकायतें संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रतिदिन की सूची अर्थात् उस दिन प्राप्त शिकायतों की सूची सहित मॉनीटरिंग और त्वरित कार्रवाई हेतु भेजी जाती है ।

2. **जन सुनवाई के दिनों में प्राप्त शिकायतें**: उप–निदेशक, निदेशक और आयुक्त द्वारा जन सुनवाई प्रत्येक कार्य दिवस सोमवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को अपराह्न 2:30 बजे से सायं 4:30 बजे के मध्य की जाती है। सार्वजनिक सुनवाई में कोई भी शिकायतकर्ता व्यक्ति अपनी शिकायत के उसी समय सामाधान हेतु विभागाध्यक्ष, संबंधित निदेशक और उपनिदेशक से मिल सकता है । इन शिकायतों की संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा नियमित जांच की जाती है ।

3. उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त शिकायतें संबंधित विभागाध्यक्षों को भेजी जाती हैं और आयुक्त (एस.ए.एंड जी.आर.) द्वारा उनकी निगरानी की जाती है ।

4. ''उपराज्यपाल की सुनवाई'' से प्राप्त शिकायतों को तत्काल निपटाने हेतु विभागाध्यक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है और वेबसाइट पर अद्यतन स्थिति नियमित रूप से अपलोड की जाती है ।

5. शिकायतें जन शिकायत निदेशालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार से भी प्राप्त होती है । ये शिकायतें दि.वि.प्रा. के जन शिकायत विभाग द्वारा तुरन्त निवारण हेतु संबंधित विभागाध्यक्षों को भेज दी जाती है । इन शिकायतों की स्थिति के बारे में नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और उनके तीव्र निपटान के लिए विभागाध्यक्षों द्वारा समय–समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं । उनके निपटान की मंत्रिमंडल सचिवालय में उच्च स्तर पर नियमित समीक्षा की जाती हैं ।

6. शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दि.वि.प्रा. को भेजी जाने वाली शिकायतें निवारण हेतु उपाध्यक्ष कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं । उनके निवारण की आयुक्त (एस.ए.एंड जी.आर.) दि.वि.प्रा. और मंत्रालय द्वारा समय–समय पर समीक्षा की जाती हैं ।

इस प्रकार उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए दि.वि.प्रा. ने एक व्यापक शिकायत निवारण प्रणाली बनाई हुई है । उपभोक्ता की अधिक संतुष्टि के लिए स्वागत कक्ष पर सलाहकारों के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई गई है । मार्ग दर्शन करने के लिए और फार्म भरने, दस्तावेज तैयार करने, परिगणना आदि संबंधी सहायता करने के लिए स्वागत कक्ष में सलाहकार नियुक्त किए गए हैं । ये सेवाएं आम जनता के लिए दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारी के अतिरिक्त हैं ।

2015–16 के दौरान प्राप्त की गई निपटाई गई शिकायतों की स्थिति

i. 1 अप्रैल, 2015 तक 120 मामले लंबित थे और जन शिकायत विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार से 160 नई शिकायतें प्राप्त हुई । इनमें से 40 मामलों को निपटाया जा चुका है और शेष मामले लंबित है ।

ii. दिनांक 1 अप्रैल, 2015 तक 126 मामले लंबित थे और डी.ए.आर.पी.जी. से 178 नए मामले प्राप्त हुए और इनमें से 268 मामलों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा निपटाया गया है तथा 36 मामले लंबित हैं ।

iii. दिनांक 1 अप्रैल, 2015 तक 709 मामले लंबित थे और शहरी विकास मंत्रालय से 1017 नई जन शिकायतें प्राप्त हई । उनमें से 427 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया और शेष मामले लंबित हैं ।

iv. निदेशक (जनशिकायत) के कार्यालय में 29 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 9 का निपटान संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा किया गया तथा शेष लंबित हैं । विकास सदन के स्वागत कक्ष में रखी हुई 'आगन्तुक पुस्तिका' के माध्यम से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई

कार्मिक विभाग 4

4.1 मानव संसाधन दि.वि.प्रा. की संगठन संबधी अमूल्य निधि है । विद्‌यमान जॉब–प्रोफाइल्स को नियंत्रित करने, कर्मचारी विकास, शिकायतों का समाधान करने, अनुशासन बनाए रखने और प्रबंधन के लिए पारस्परिक संबंध सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया ।

कार्मिक विभाग द्वारा दि.वि्र.पा. कर्मचारियों से संबंधित सभी प्रकार के सेवा मामलों पर कार्यवाही करता है । वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त हुई।

4.2 दूरदर्शिता, मिशन उद्‌देश्य एवं कार्य

मानव संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करके आम जनता को सेवाएं प्रदान करना अधिकतम कार्य क्षमता प्राप्त करना, अपने कर्मचारियों में पेशेवर दक्षता पैदा करना, नेतृत्व गुणों और व्यवहार की पहचान करने के लिए जांच एवं प्रति–जांच करना, उनकी निगरानी करना, पुरस्कृत करना और कार्य करने के प्रति प्रोत्साहित करना कार्मिक विभाग के कार्य हैं । कार्मिक विभाग के प्रमुख कार्य–कलाप निम्नलिखित हैं:–

- समुचित भर्ती और पदोन्नति द्वारा मानव संसाधनों को उपलब्ध कराना, अनुशासनात्मक मामलों का समय पर और समुचित समाधान करना तथा सेवा के सभी मामलों में आरक्षित श्रेणियों ओर अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना ।
- मानव संसाधनों का विकास करना अर्थात् प्रशिक्षण द्वारा क्षमता निर्माण करना ।
- संवर्ग नियोजन अर्थात् संगठन की वर्तमान आवश्यकता के संदर्भ में विभिन्न संवर्ग में पदों की समीक्षा करना, पुनः संरचना (रिस्ट्रक्चरिंग) ।
- कर्मचारी की पदोन्नति एवं प्रगति करना ।
- स्टाफ की शिकायतों को दूर करके उनका कल्याण करना, सेवा निवृत्ति–देयताओं का समय पर भुगतान करना और कर्मचारियों का स्थानांतरण/तैनाती करना ।

वर्ष 2015–16 के दोरान कर्मचारियों की संख्या/की गई पदोन्नतियों, ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. आदि का विवरण निम्नानुसार है:

4.3 दिनांक 31 मार्च 2016 को कर्मचारियों की स्थिति

समूह	क	ख	ग	कुल (नियमित कर्मचारी)	वर्क चार्ज (नियमित)
	396	2197	3019	5612	6794

4.4 की गई पदोन्नतियाँ

समूह	क	ख	ग	कुल
	16	24	16	56

4.5 नियमित की गई पदोन्नतियाँ

समूह	क	ख	ग	कुल
	––	96	––	96

4.6 दी गई ए.सी.पी/एम.ए.सी.पी

समूह	क	ख	ग	कुल
	14	279	612	905

4.7 दर्ज की गई वार्षिक कार्य–निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

समूह	क	ख	ग	कुल
	432	2057	3294	5783

4.8 प्राप्त की गई अचल संपत्ति रिटर्न की संख्या

समूह	क	ख	ग	कुल
	273	1393	–	1666

4.9 रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान सेवानिवृति/मृत्यु के मामले निपटाए गए:

क्र.सं.	विषय	संख्या
1.	सेवानिवृति	192
2.	मृत्यु	174
3.	निपटाए गए मृत्यु मामले	127
4.	स्टॉफ हितकारी स्कीम	45

राष्ट्रमंडल खेल गांव के निकट एन.एच.-24 पर दि.वि.प्रा. द्वारा निर्मित फ्लाईओवर

सतर्कता विभाग 5

5.1 केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के कार्यान्वयन और सेवा में सत्यनिष्ठा की निगरानी का कार्य करता है ।

5.2 दि.वि.प्रा. में सतर्कता विभाग, विभिन स्त्रोतों से प्राप्त शिकायतों और उन पर कार्यवाही व गहन जांच और जहां आवश्यक हो, केन्द्रीय सतर्कता आयोग से परामर्श लेकर आरोप पत्र (चार्जशीट) तैयार करता है । सतर्कता विभाग जांच रिपोर्ट का विश्लेषण करता है और अनुशासनात्मक प्राधिकारियों के विचारार्थ अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करता है । इसके अतिरिक्त सतर्कता विभाग द्वारा अपीलों, पुनर्विचार याचिका, निलम्बन और उसकी समीक्षा और निलम्बन अवधि के नियमन का कार्य भी निपटाया जाता है । निष्कर्षतः सतर्कता विभाग शिकायतों की जाँच के दौरान तथ्यों के आधार पर व्यवसाय में सुधार की सलाह देता है । इससे निवारक सतर्कता में सहायता मिलती है।

वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं दिनांक 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान शिकायतों, प्राथमिक पूछताछ एवं अनुशासनात्मक मामलों के संबंध में विवरण निम्नलिखित हैं:

1. सामान्य शिकायतें

अवधि	प्राप्त	निपटाई गई
2013-14	569	1,176
2014-15	417	673
01.04.2015 से 31.03.2016 तक	38*	288*

2. प्राथमिक पूछताछ

अवधि	प्राप्त	निपटाई गई
2013-14	17	130
2014-15	8	69
01.04.2015 से 31.03.2016 तक	9*	19*

*** टिप्पणी: केन्द्रीय सतर्कता विभाग द्वारा परिचालित उनके परिपत्र सं. 07/11/2014, दिनांक 25 नवम्बर, 2014 और परिपत्र सं. 01/01/2015, दिनांक 23 जनवरी, 2015 के अनुसार किसी भी अनाम/जाली नाम की शिकायत की छानबीन करने की आवश्यकता नहीं है और उन्हें सीधे ही फाइल किया जा सकता है यदि उनमें कोई सत्यापन योग्य विषय–वस्तु निहित है, तो उसकी जांच–पड़ताल की जा सकती है । इन परिपत्रों के अनुसार 778 विविध शिकायतें प्राप्त की गई, जिनमें से 241 शिकायतों में कार्रवाई बंद कर दी गई और 537 शिकायतों में कार्रवाई चल रही है ।**

3. आरंभ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई

अवधि	जारी किए गए आरोप पत्रों की संख्या	भारी दंड	मामूली दंड
2013-14	81	64	17
2014-15	50	32	18
01.04.2015 से 31.03.2016 तक	41	26	15

4. निपटाए गए अनुशासनात्मक मामले

अवधि	निपटाए गए मामलों की संख्या	लगाया गया दंड		दोष मुक्त
		भारी	मामूली	
2013-14	69	49	12	8
2014-15	75	46	16	13
01.04.2015 से 31.03.2016 तक	74	65	09	09

5. प्रणाली सुधार/निवारक सतर्कता के प्रयासः

1. सतर्कता जाँच पड़ताल के बाद दोषी पाए गए ठेकेदारों को दंडित करना/ब्लैक लिस्ट करना ।
2. 169 अचानक निरीक्षण किए गए ।
3. दि.वि.प्रा. के कार्यालयों से दलालों को दूर रखने के उपाय किए गए ।
4. मध्यस्थम् मामलों का नियमित पर्यवेक्षण किया गया ।
5. सामाजिक समारोह स्थलों की बुकिंग की नीति में संशोधन किया गया ।
6. मात्रा की अनुसूची के साथ–साथ निविदा को अपलोड करने की तिथि की शुरूआत द्वारा ई–निविदा की कमियों को दूर किया गया ।

रोहिणी स्थित दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित चित्रगुप्त पार्क

विधि विभाग

6

6.1 विधि विभाग के प्रमुख विधि सलाहकार हैं । विधि विभाग दि.वि.प्रा. के विभिन्न प्रशासनिक विंग द्वारा भेजे गए विधि विषयक मामलों में कानूनी राय देता है और विभिन्न नीतियों, नियमों और विनियमों का प्रतिपादन करता है । इसके अतिरिक्त, विधि विभाग विभिन्न विंग में तैनात विधि अधिकारियों की सहायता से दि.वि.प्रा. के विरूद्ध और इसके द्वारा दायर न्यायालयी मामलों की निगरानी करता है । विभिन्न न्यायालयों में दि.वि.प्रा. का पक्ष स्पष्ट करके भी यह दि.वि.प्रा. के विभिन्न विंग की सहायता करता है और इसके लिए भारत सरकार के विधि अधिकारियों और अन्य वरिष्ठ परामर्शदाताओं से चर्चा करता है।

6.2 वर्ष 2015–16 के दौरान विभिन्न न्यायालयों में लंबित न्यायालय मामलों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र. सं.	विषय	01.04.2014 से 31.03.2015 तक	01.04.2015 से 31.03.2016 तक
1.	वर्ष के आरंभ में लंबित कुल मामले	16991	17339
2.	वर्ष के दौरान जोड़े गए नए मामले	3889	4288
3.	वर्ष के दौरान निर्णीत मामले	3541	2829
4.	दि.वि.प्रा. के पक्ष में निर्णीत मामले	1964	1612
5.	वर्ष की समाप्ति पर लंबित कुल मामले	17339	18798

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित यमुना जैव वैविध्य पार्क

प्रणाली एवं प्रशिक्षण विभाग 7

7.1 प्रणाली विभाग

7.1.1 दि.वि.प्रा. का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण:

दि.वि.प्रा. के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए विक्रेता (वेंडर) का चयन करने के लिए बोली देने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है। विक्रेता के चयन के पश्चात दि.वि.प्रा. के पूर्ण कम्प्यूटरीकरण के लिए सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य शुरू किया जाएगा ।

7.1.2 मोबाइल एप्लीकेशनों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन:

क. इंजीनियरिंग परियोजनाओं की मापन पुस्तिकाओं को ऑनलाइन भरने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन

ठेकेदारों और अभियंताओं द्वारा ऑनलाइन मापन पुस्तिकाओं को भरने के लिए विभाग में एक उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल एवं वेब आधारित एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है तथा मापन पुस्तिकाओं को भरे जाने की प्रक्रिया के दौरान अवस्थिति का अक्षांतर और देशांतर माप भी लिया जाता है । इससे यह सुनिश्चित होता है कि माप लेने के लिए अभियंता द्वारा वास्तव में स्थल का दौरा किया गया है । मापन पुस्तिका के ऑनलाइन भरे जाने से परियोजना को समय पर पूरा करने में सहायता मिलेगी।

31 मार्च, 2016 तक 147 इंजीनियरिंग परियोजनाओं के लिए ऑनलाइन माप लिए जा चुके हैं और 100 से अधिक बिल ऑनलाइन प्रोसेस्ड किए जा चुके हैं जिनके लिए ठेकेदारों को भुगतान किया जा चुका है ।

ख. आवधिक फोटोग्राफ्स अपलोडिंग द्वारा भूमि–संरक्षण हेतु मोबाइल एप्लीकेशन

इस मोबाइल एप्लीकेशन को दि.वि.प्रा. द्वारा बनाया (डिजाइन) एवं विकसित किया गया है जिसके द्वारा भूमि संरक्षण शाखा, अभियांत्रिकी और उद्यान विंग के कर्मचारी खाली भूमि की फोटो समय–समय पर अपलोड करेंगे । इस प्रक्रिया में इन फोटो द्वारा अब स्थितियों का अक्षान्तर और देशांतर भी लिया जाएगा और इससे सहजतापूर्वक अतिक्रमण का पता लगाया जा सकेगा और अतिक्रमण को हटाने के लिए समय पर कार्रवाई की जा सकेगी।

इस एप्लीकेशन के द्वारा लगभग 5000 खाली पड़े साइटों की फोटो अपलोड की जा चुकी है ।

ग. खेल परिसरों और समाज सदनों के रखरखाव से संबंधित फीडबैक एप्लीकेशन:

दि.वि.प्रा. के खेल परिसरों और समाज सदनों के रखरखाव के बारे में जनता से फीडबैक प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है । जनता के फीडबैक का प्रयोग रखरखाव और पर्यवेक्षण के लिए और इनके रखरखाव के लिए उत्तरदायी ठेकेदारों को भुगतान करने के लिए किया जा सकता है ।

घ दि.वि.प्रा. फ्लैट के लिए उनके आबंटियों से फीडबैक लेने हेतु मोबाइल एप्लीकेशन

यह मोबाइल एप्लीकेशन इस प्रकार डिजाइन और विकसित किया गया है कि आबंटियों से दि.वि.प्रा. के फ्लैटों के निर्माण की गुणवत्ता और रखरखाव संबंधी सेवाओं की फीडबैक ली जा सके। जनता के फीडबैक विभिन्न मापदण्डों और सुधारी गई रखरखाव संबंधी सेवाओं के आधार पर लिए जा सकते हैं तथा जनता से प्राप्त फीडबैक के साथ ठेकेदारों की सिक्योरिटी डिपोजिट के भुगतान को जोड़ा जाता है ।

ङ मोबाइल एप्स के माध्यम से दि.वि.प्रा. के पार्कों की निगरानी सेवाएं

एक मोबाइल आधारित और वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसके द्वारा जनता से प्राप्त फीडबैक के माध्यम से सेवाओं की निगरानी की जा रही है । जनता साइट की फोटो अपलोड कर सकती है और दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों को आवश्यक कार्रवाई तुरंत करनी होगी । वे मामले का समाधान होने के बाद पुनः फोटो अपलोड कर सकते है ।

7.1.3 भूमि रिकॉर्ड का डिजिटाइजेशन:

वर्ष 2015–16 के दौरान, 240 गाँवों का डिजिटाइजेशन कार्य पूरा हो चुका है । दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डिजिटाइजेशन का डाटा अपलोड करने के लिए दो सर्वर उपलब्ध कराए गए हैं और सभी 240 गाँवों के भूमि रिकॉर्ड का डाटा अपलोड किया जाएगा।

7.1.4 बायो–मेट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली:

समय की पाबंदी लागू करने के लिए पूरे दि.वि.प्रा. में बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली प्रचालित की जा रही है और लगभग 14000 कर्मचारियों, सलाहकारों और ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों का पंजीयन किया गया है । इस प्रणाली के माध्यम से कई प्रकार की रिपोर्ट भी तैयार की गई हैं, जिनसे दि.वि.प्रा. के कार्यालयों में समय की पाबंदी को लागू करने में सहायता मिली है ।

7.1.5 दि.वि.प्रा. की वेबसाइट को पुनः नया रूप देना और अद्यतन करना:

दि.वि.प्रा. की वेबसाइट को विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशन और वेब एनेबल्ड एप्लीकेशनों की सहायता से पुनः डिजाइन और अपडेट किया गया है जिनमें ऑनलाइन अतिक्रमण शिकायत निगरानी प्रणाली, ऑनलाइन मापन एप्लीकेशन, आवास एवं भूमि

संपत्तियों का ऑनलाइन भुगतान, दि.वि.प्रा. के खाली प्लॉटों एवं खाली पडी हुई भूमि, दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों का विवरण ऑनलाइन नागरिक सुविधा केन्द्र और फ्री–होल्ड प्रणाली ऑनलाइन जल–बिल भुगतान व्यवस्था आदि तथा इसके अतिरिक्त पहले से उपलब्ध एप्लीकेशन शामिल हैं ।

7.1.6 संयुक्त पोर्टल / शिकायत समाधानः

विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सभी शिकायतों को एक पोर्टल पर एकत्रित करने के लिए एक वेब आधारित पोर्टल का डिजाइन और विकास किया गया है । यह एप्लीकेशन (एस.ए. एण्ड जी.आर.) विंग द्वारा कार्यान्वित की गई है । दि.वि.प्रा. के आवास एवं भूमि निपटान विभाग के अनेक अधिकारियों द्वारा इस पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इस एप्लीकेशन को लागू कर जनता की शिकायतों का अधिक कुशलता पूर्वक निपटान किया जा रहा है ।

7.1.7 दि.वि.प्रा. के पार्कों, समाज सदनों और खुले स्थलों की ऑनलाइन बुकिंगः

वर्ष 2015–16 के दौरान हजारों ऑनलाइन बुकिंग की गई । इनका विवरण निम्नानुसार हैः–

अवधि	बुकिंग का प्रकार	बुकिंग की संख्या
01.04.2015 से 31.03.2016	खुले स्थल	2615
	पार्क	149
	सामुदायिक हॉल	811

ऑनलाइन बुकिंग एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर सक्रिय है और इस एप्लीकेशन के माध्यम से डेबिट और क्रेडिट कार्डों के साथ ही साथ ऑलाइन भुगतान किया जा सकता है ।

7.1.8 नागरिक सुविधा केन्द्र और ऑनलाइन लीज़ होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तनः

परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए एक एप्लीकेशन सभी नागरिक सुविधा केन्द्रों में चलाया जा रहा है और ये नागरिक सुविधा केन्द्र आगे कम्प्यूटर नेटवर्क के द्वारा संबंधित विभाग से जुडे हुए हैं । यह एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट www.dda.org.in पर उपलब्ध हैं। इस एप्लीकेशन की सहायता से वर्ष 2015-16 के दौरान परिवर्तन आवेदनों के निपटान की मात्रा 55% प्रतिशत से बढ़कर 72% हो गई है ।

7.1.9 ऑनलाइन समस्या निदान सेवाः

आम जनता की शिकायतों का निपटान करने और आम जनता को ऑनलाइन जवाब भेजने के लिए ऑनलाइन समस्या निदान सेवा नामक वेब आधारित ऑनलाइन एप्लीकेशन दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित किया जा रहा है । वर्ष 2015-16 के दौरान प्राप्त शिकायतों और उनके उत्तरों का विवरण निम्नानुसार हैः–

अवधि	प्राप्त शिकायतों की संख्या	उत्तर दी गई / निपटाई गई शिकायतों की संख्या
01.04.2015 से 31.03.2016	982	जिनका उत्तर दिया गया – 21
		निपटाई गई – 371
		लंबित – 590

7.1.10 ऑनलाइन पेंशन कम्प्यूटरीकरणः पेंशन धारकों को देय राशि का समय पर भुगतान करने और इनकी सेवानिवृत्ति की देय राशि संबंधी औपचारिकताओं को समय पर पूरा करने की सुविधाएं उपलब्ध कराने वाले एक एप्लीकेशन का अभिकल्पन और विकास किया गया और इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित किया गया है । वर्ष 2015–16 के दौरान इस प्रणाली के माध्यम से 1949 मामलों में कार्रवाई की गई ।

7.1.11 पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतानः आम जनता से पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए एक वेब आधारित एप्लीकेशन का अभिकल्पन एवं विकास किया गया और सफलता पूर्वक लागू किया गया । कुल उपभोक्ता + 15148 । यूनियन बैंक के पेमेन्ट गेट–वे को इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ा गया है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से लगभग 3681 पानी के बिलों का ऑनलाइन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है ।

7.1.12 फाइल ट्रैकिंग प्रणाली : फाइल ट्रैकिंग प्रणाली एक वेब आधारित एप्लीकेशन, दि.वि.प्रा. के विभिनन विभागों में प्रयोग की जा रही है। 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों द्वारा इस फाइल ट्रैकिंग प्रणाली में 34222 फाइलें अपलोड की गई हैं ।

7.1.13 चिकित्सा दावा प्रतिपूर्ति प्रणालीः दि.वि.प्रा. कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों के लिए चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति हेतु एक वेब आधारित एप्लीकेशन का अभिकल्पन और विकास किया गया है और ये दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर सक्रिय है । इस एप्लीकेशन के आधार पर 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान 13379 दावों पर कार्रवाई की गई ।

7.1.14 आवास एवं भूमि सम्पत्तियों हेतु ऑनलाइन भुगतान का प्रावधानः विभिन्न बैंकों जैसे एच.डी.एफ.सी., कार्पोरेशन बैंक, सैंट्रल बैंक, यूनियन बैंक, इंडसइण्ड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि के पेमेंट गेटवेज को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट से जोड़ा गया है और अब जनता आवास और भू–संपत्तियों के भुगतान के लिए ऑनलाइन कर सकती है ।

7.1.15 फाइलों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशनः दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों की फाइलों की स्कैनिंग और डिजिटाइजेशन का महत्वाकांक्षी कार्य 2015 में शुरू किया गया और सितम्बर 2015 तक लगभग 21143 फाइलें (1785803 पृष्ठ) स्कैन एवं डिजिडाइज्ड किए गए ।

7.1.16 दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों की निगरानी हेतु ऑनलाइन प्रणाली:
दि.वि.प्रा. भूमि पर वीडियों, आडियों और टैक्सट् के रूप में अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए एक वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन को डिजाइन किया और विकसित किया गया है ओर इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित किया गया है । इस प्रणाली में लगभग 3000 शिकायतें पंजीकृत की गई हैं और संबंधित मुख्य अभियंताओं द्वारा कार्रवाई की जा रही है ।

7.1.17 अतिमहत्वपूर्ण व्यक्तियों, सांसदों और विधायकों के संदर्भो की मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन प्रणाली:– इन एप्लीकेशन के माध्यम से दिल्ली के सांसदों और विधायकों से उनके निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मामलों से संबंधित प्रस्तावों और अनुरोधों पर की गई कार्रवाई की ऑनलाइन निगरानी की जाती है । 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान सन्दर्भों का विवरण निम्नानुसार हैः–

अवधि	प्राप्त शिकायतों की संख्या	उत्तर दी गई/निपटाई गई शिकायतों की संख्या
01.04.2015 से 31.03.2016 तक	222	समाधान किया गया – 66
		प्रक्रियाधीन – 130
		लंबित – 70
		नए – 34

7.1.18 ऑनलाइन कार्मिक शिकायत–निवारण और मॉनिटरिंग प्रणाली:–
दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की कार्मिक विभाग से संबंधित शिकायतों के निवारण की निगरानी के लिए एक ऑनलाइन वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन विकसित किया गया तथा दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर प्रचालित किया गया है । 01.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान इस प्रणाली के माध्यम से दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई ।

7.1.19 दि.वि.प्रा. के प्रत्येक कर्मचारी को पहचान संख्या/यू. आई.डी नंबर प्रदान करना:
दि.वि.प्रा. के सभी कर्मचारियों को कम्प्यूट्रीकृत प्रणाली द्वारा यू. आई.डी. संख्या दे दी गयी है। दि.वि.प्रा. के लगभग 14000 कर्मचारियों को यू.आई.डी. संख्या दे दी गयी है । इस यू.आई. डी. को अब कार्मिक विभाग के विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जा सकता है और इस यू.आई.डी. का उपयोग अटेंडेंस मॉनिटरिंग में भी किया जा रहा है ।

7.1.20 स्टाफ क्वार्टर अबांटन प्रणाली:
दि.वि.प्रा. स्टाफ से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने और स्टाफ क्वार्टर के आबंटन के लिए वेब एनेबल्ड एप्लीकेशन को डिजाइन एवं विकसित किया गया है । इस प्रणाली में लगभग 1911 स्टाफ क्वार्टरों की एक सूची बनायी गयी है । अब नजारत शाखा स्टाफ क्वार्टर आबंटन के लिए ऑनलाइन अनुरोध प्राप्त करने के लिए इस प्रणाली का उपयोग शुरू करेगी ।

7.1.21 ऑनलाइन भवन नक्शा संस्वीकृति निगरानी प्रणाली:
भवन अनुभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा दि.वि.प्रा. में भवन नक्शे की संस्वीकृति पर निगरानी के लिए एक ऑनलाइन वेब इनेबल्ड एप्लीकेशन डिजाइन और विकसित किया गया । भवन अनुभाग, भवन नक्शे की संस्वीकृति की निगरानी के लिए इस प्रणाली का उपयोग कर रहा है ।

7.1.22 आवास एवं आवासन आबंटन:
दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2014 के कम्प्यूट्रीकृत ड्रॉ द्वारा 25040 से ज्यादा फ्लैट आबंटित किए गए तथा इस योजना में 10 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हुए थे । लगभग 22626 फ्लैटों के लिए आबंटन पत्र दिनांक 31.03.2016 तक तैयार कर लिए गए । दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2014 के आबंटितियों को भुगतान विवरण देखने और ऑनलाइन भुगतान करने के लिए दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर एक ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू किया जा चुका है ।

7.1.23 विकास सदन एवं विकास मीनार में वाई–फाई की व्यवस्था:
दि.वि.प्रा. के विकास सदन और विकास मीनार कार्यालयों में वाई–फाई शुरू कर दिया गया है ।

7.1.24 रोहिणी आवासीय स्कीम 1981 के लिए 'भूमि' और ऑनलाइन सेवाएं:
रोहिणी आवासीय स्कीम–1981 के आबंटियों के लिए मांग पत्र की ऑनलाइन प्रिंटिंग के लिए और आबंटियों द्वारा भुगतान विवरण को देखने के लिए एक विशेष ऑनलाइन 'एप्लिकेशन' विकसित किया गया । इसके अतिरिक्त आबंटिती इस एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं ।

7.1.25 ऑनलाइन भू–भाटक परिकलन प्रणाली:
समूह आवास समितियों और सहकारी भवन निर्माण समितियों के लिए भू–भाटक के परिकलन के लिए एक वेब इनेबल्ड एप्लिकेशन को डिजाइन और विकसित किया गया है । इस एप्लिकेशन का परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया और यूज़र डिपार्टमेंट को इसके प्रयोग के लिए प्रशिक्षण दिया गया ।

7.1.26 ई–नीलामी

- वर्ष 2015–2016 में, दि.वि.प्रा. ने ई–नीलामी के माध्यम से 601 सम्पत्तियों को नीलामी हेतु प्रस्तुत किया, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

सम्पत्ति का प्रकार	सम्पत्तियों की संख्या
व्यावसायिक संपदा दुकानें/कार्यालय/थड़े	349
राष्ट्रमंडल खेल गांव फ्लैट्स	152
पार्किंग स्थल	40
कियोस्क	60

7.2 प्रशिक्षण संस्थान

7.2.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रशिक्षण संस्थान दि.वि.प्रा. के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता है। यह विभिन्न क्षेत्रों में कर्मचारियों के व्यावसायिक ज्ञान और दक्षता को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता का निर्धारण भी करता है । यह विभाग अन्य व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा आयोजित विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण

कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए अलग–अलग अधिकारियों और कर्मचारियों से प्राप्त नामों पर कार्रवाई करता है ।

7.2.2 वर्तमान वर्ष अर्थात 2015–16 के दौरान दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षण संस्थान ने विभिन्न पाठ्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए नामित सभी श्रेणियों के दि.वि.प्रा. कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी सफलतापूर्वक आयोजन किया। प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आन्तरिक रूप से आयोजित और बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. स.	विवरण	वर्षवार	कार्यक्रमों की संख्या	भाग लेने वालों की संख्या
1.	प्रशिक्षण संस्थान, दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2013-14 2014-15 2015-16	38 76 49	1379 2013-14 4191 2014-15 1636 2015-16
2.	बाहरी एजेंसियों द्वारा आयोजित बाह्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम (दिल्ली से बाहर)	2013-14 2014-15 2015-16	10 10 10	130 2013-14 163 2014-15 154 2015-16
3.	विदेशी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	2015-16	-	शून्य

पेंशन सॉफ्टवेयर, एनपीएस, वित्तीय शिक्षा, फाइल ट्रैकिंग प्रणाली, आरटीआई–2005 हेतु आन्तरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम और समस्या निवारण और आरक्षण नीति, एफआर/एसआर संबंधी प्रचालनात्मक प्रशिक्षण और हिन्दी कार्यशालाएं भी आयोजित की गई ।

7.2.3 प्रशिक्षण संस्थान, समूह 'घ' कर्मचारियों हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए और साथ ही श्रेणी IV कर्मचारियों, जिन्हें6ठें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन बैंड–I में 1800/–रू. का ग्रेड वेतन प्रदान करने और उन्हें समूह 'ग' के रूप में वर्गीकृत करने हेतु प्रशिक्षण/कोचिंग कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्मिक विभाग को सहायता देने में तहत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ।

7.2.4 यह संस्थान, नए भर्ती किए 101 निम्न श्रेणी लिपिकों के लिए कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है ।

दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित अरावली जैव वैविध्य पार्क

इंजीनियरिंग एवं निर्माण कार्यकलाप 8

8.1 आवास

वर्ष 2015–16 की शुरुआत एक दृढ़ विश्वास के साथ हुई जिसके अन्तर्गत लगभग 56,965 आवासीय ईकाइयां मुख्यतः रोहिणी और नरेला में प्री–फेब टेकनोलोजी के साथ निर्माणाधीन थी ।

दिनांक 01.04.2015 की स्थिति के अनुसार प्रगतिधीन आवासों और नए आवासों के निर्माण का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	विवरण	एच.आई.जी.	एम.आई.जी.	एल.आई.जी.	ईडब्ल्यूएस / जनता	कुल
1.	01.04.2014 की स्थिति के अनुसार प्रगतिधीन आवास	5380	6969	24879	19737	56965
2.	वर्ष 2015–16 के दौरान शुरू किए गए नए आवास	1344	946	शून्य	3981	6271
3.	2015–16 के दौरान पूर्ण हो चुके आवास	शून्य	शून्य	शून्य	3252	3252
4.	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार प्रगतिधीन आवास	6724	7915	24879	20466	59984

उक्त तालिका से पता चलता है कि वर्ष 2015–16 के दौरान शहरी गरीबों हेतु 3981 ईएसब्ल्यू और 2290 श्रेणी II एवं III के नए आवासों का निर्माण कार्य शुरू किया गया।

8.2 प्रमुख विकास योजनाएं

दिल्ली विकास प्राधिकरण मुख्य योजना के अनुसार शहरी सीमाओं का विस्तार करने के लिए भूमि का निरंतर विकास कर रहा है। विकासाधीन नए उप–नगर द्वारका, नरेला और रोहिणी हैं । इन उप–नगरों में मुख्य भौतिक आधारिक संरचना के रूप में सड़को, सीवरेज, जलापूर्ति, विद्युत लाइन इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है । प्रगति के साथ–साथ मुख्य विकास का सार निम्न सारणी के अनुसार है :–

योजना का नाम	योजना का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	सड़कें, कि.मी. में	सीवरेज कि.मी. में	जलापूर्ति कि.मी. में	बरसाती नाला कि.मी. में
रोहिणी फेज IV & V	843.44	81.85	53.81	35.44	45.80

8.3 सामुदायिक भवन

दि.वि.प्रा. ने बडे पैमाने पर सामुदायिक भवनों का निमार्ण किया है। वर्ष के दौरान 4 सामुदायिक भवन तैयार कर लिए गए, 32 प्रगतिधीन थे और 25 के निर्माण हेतु योजना तैयार की गई।

8.4 पार्कों में प्रकाश व्यवस्था

एक विशेष ड्राइव में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 105 से अधिक पार्कों, जिनका प्रयोग जनता द्वारा व्यापक रूप से किया जाता है, में प्रकाश की व्यवस्था करने के कार्य को पूरा कर लिया गया है ।

8.5 स्व–स्थाने विकास

(i) जेलर वाला बाग, अशोक विहार में स्व–स्थाने विकास:

जेलर वाला बाग, अशोक विहार, दिल्ली में स्लम निवासियों के स्व–स्थाने पुनर्वास हेतु 1675 बहुमंजिला आवासीय इकाइयों का निर्माण

जेलर वाला बाग, अशोक विहार, दिल्ली में स्लम निवासियों के स्व–स्थाने पुनर्वास हेतु 1675 बहुमंजिला आवासीय इकाइयों के निर्माण को पिछले वर्ष शुरू किया गया और इसके लेआऊट को पिछले ले आऊट के संरेखन में आने वाली झुग्गियों की वजह से संशोधित किया जाएगा और इसलिए आवासीय और व्यावसायिक घटको की अदला बदली की गई और स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा दिनांक 10.04.2015 को आयोजित इसकी बैठक में अनुमोदित किया गया । डीयूएसी और सीएफओ को वास्तुकलात्मक ड्राइंगे प्रस्तुत की गई ।

8.6 शहरी विस्तार सड़कें

दि.वि.प्रा. द्वारा आर.ओ.बी. के साथ तीन यू.ई.आर. के विस्तार को शुरू किया गया । इनकी स्थिति को निम्नानुसार संक्षेपित किया जाता है:

दि.वि.प्रा. ने दिल्ली करनाल रेलवे लाइन और दिल्ली रोहतक रेलवे लाइन पर आर.ओ.बी. के साथ निम्नलिखित तीन शहरी विस्तार सड़कों के निर्माण कार्य को शुरू किया । इन सड़कों का निर्माण, ट्रैफिक को कम करने, प्रदुषण स्तर को कम करने और मुख्य मार्गीय सड़कों से कनेक्टिविटी में सुधार लाने और दिल्ली में शहरी सड़कों के विकास को तीव्र करने के लिए किया जा रहा है ।

नजफगढ़ नाले तक यू.ई.आर. II एवं III का निर्माण । स्ट्रैच वाइज विवरण निम्नानुसार है:

पी– II जोन में भूमि के अधिग्रहण न होने की वजह से यू.ई.आर. को शुरू नहीं किया गया। यू.ई.आर. का निर्माण तभी किया जाता है जब एण्ड कनेक्टिविटी के साथ भूमि उपलब्ध हो ।

शहरी विस्तार सड़क– I

एनएच–1 से दिल्ली करनाल रेलवे लाइन तक के एक टुकडे (3.4 कि.मी.) को सी आर आर आई की सिफारिशों के अनुसार सुदृढ बनाया गया है और इसका कार्य पहले ही पूरा हो चुका है । सन्नोठ से वाई डब्ल्यू सी तक तीसरी लेन के लिए दिल्ली करनाल रेलवे लाइन से सन्नोठ तक सम्पूर्ण चौड़ाई के लिए पुश्ते का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

शहरी विस्तार सड़क– II

डब्ल्यू.वाई.सी. से कंझावला रोड तक एक 6.9 कि.मी. के टुकडे को पिछले वर्ष लिया गया था किन्तु स्थल की अनुपलब्धता और माननीय न्यायालय द्वारा बरवाला गांव के निवासियों को दिए गए स्टे(स्थगन) की वजह से इस वर्ष तक रोल्ड ओवर किया गया । एन.एच.–10 से बक्करवाला हाऊसिंग स्कीम तक के एक टुकड़े पर कार्य शुरू किया गया और दिसम्बर, 2016 में इसके पूरा होने की संभावना है ।

शहरी विस्तार सड़क– III

डब्ल्यू.वाई.सी. से प्रेम आधार नर्सरी तक (4.80 कि.मी.) के एक टुकड़े पर फुटपाथ, बरसाती नाले और साइकिल ट्रैक के निर्माण कार्य को वर्ष के दौरान शुरू किया गया और यह कार्य प्रगतिधीन है।

भूमि के उन टुकड़ों में जहां भूमि अधिग्रहित नहीं की गई अथवा अनाधिकृत कालोनियों के अधिभोग के अंतर्गत है, के लिए यू.ई. आर.–I, II एवं III का पूर्व–व्यवहार्यता अध्ययन शुरू किया गया और कार्य समूह स्तर पर इसकी चर्चा की गई। नरेला में यू.ई.आर. –I पर आर.ओ.बी. के निर्माण के लिए परामर्शदाताओं से डिजाइन प्राप्त किए गए । नरेला में आर.ओ.बी. के लिए प्रारंभिक अनुमान को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया गया । रेलवे से आ रही कुछ बाधाओं की वजह से होलम्बी में आर.ओ.बी. को आर.यू.बी. में परिवर्तित किया गया और जियोमीट्रिक डिजाइन के लिए कन्सल्टेंसी प्रदान की गयी ।

द्वारका एक्सप्रेस–वे का निर्माण:

यू.ई.आर.–II को भरतल चौक से एन.पी.आर. हरियाणा तक जोड़ने का प्रस्ताव है। इस प्रस्तावित सड़क (द्वारका एक्सप्रेस–वे) की लम्बाई 3.5 कि.मी. है । संशोधित संरेखण को दिनांक 20.05.2015 को आयोजित यूटीपैक शासी निकाय की 51वीं बैठक में अनुमोदित किया गया । यू.ई.आर.–II से भरतल गांव तक 2.0 कि.मी. लम्बाई की भूमि उपलब्ध है, किन्तु भरतल गांव से एन.पी. आर. (हरियाणा) तक लगभग 1.5 कि.मी. लम्बाई वाली भूमि निजी भूमि है और इसे अभी अधिग्रहित किया जाना है । सीधे भू–स्वामियों से भूमि (लगभग 25 एकड़) खरीदने के प्रयास किये गए किन्तु भू–स्वामियों द्वारा मांगी गई दर और सर्किल रेट/औसत बाजार दर में बहुत अधिक अंतर होने की वजह से सीधी खरीद को कार्यान्वित नहीं किया जा सका । इसलिए भूमि के अधिग्रहण के लिए दिल्ली सरकार को अनुरोध किया गया । भूमि के अधिग्रहण करने और इंजीनियरिंग विंग को सुपुर्द करने के बाद ही परियोजना को शुरू किया जाएगा ।

8.7 वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं/स्कीमों को शुरू करने के लिए संकल्पना तैयार की गई/योजना बनाई गई:

(I) सैक्टर–11, द्वारका में बनाए जाने वाले सामाजिक–सांस्कृतिक केन्द्र की परियोजना के लिए वास्तुकार परामर्शदाता नियुक्त किए गए, इसमें विजुअल आर्टस गैलरी, परफोर्मिंग आर्ट्स सेंटर, गेस्ट हाऊस, कान्फ्रेन्स रूम, ऑडिटोरियम और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक शामिल हैं । परियोजना के मूल्यांकन हेतु परामर्शदाता द्वारा पहले भी प्रस्तुतिकरण दिया जा चुका है ।

(ii) द्वारका फेज–II में जलापूर्ति हेतु सेक्टर–26 द्वारका में कमाण्ड टैंक सं.–6 के निर्माण हेतु निविदा की तैयारी चल रही है ।

(iii) वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवासीय परिसर का निर्माण योजना स्तर पर है ।

(iv) अरावली जैव वैविध्य पार्क, वसंत विहार के उत्तर में, की योजना बनाई गई ।

(v) सुलतानगढ़ी टॉम्ब कन्जर्वेशन काम्प्लेक्स, वसंत कुंज का विकास।

(vi) मिलेनियम पार्क का विकास और सौन्दर्यीकरण, आई. एस. बी. टी. के निकट सराय काले खां मार्ग से भैरों मन्दिर तक ।

(vii) नेहरू प्लेस जिला केन्द्र के निकट आस्था कुंज का विकास ।

(viii) दक्षिणी दिल्ली में सतपुला लेक परिसर का विकास ।

(ix) तिलपथ वैली का विकास ।

(x) नीला हौज का विकास ।

(xi) संजय वन का विकास ।

8.8 स्वच्छ भारत अभियान:

(i) पार्कों का विकास/नवीनीकरण

एक विशेष सफाई अभियान शुरू किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि इस सफाई अभियान में दि.वि.प्रा. पार्कों को प्राथमिकता दी जाएगी । ये निर्देश दिए गए कि पार्कों का रख–रखाव अपेक्षित मानको के अनुसार किया जाए । पूरी दिल्ली में फैले पार्कों में जैव–शौचालयों के 100 से अधिक सेटों का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

दि.वि.प्रा. ने यमुना नदी में प्रवाहित की जाने वाली पूजा/हवन

सामग्री को रिसाइकिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की । इच्छुक पक्षकारों ने अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किये जो जांचाधीन है ।

8.9 जलाशयों का नवीनीकरण / रखरखावः

वर्ष के दौरान दो जलाशयों को पुनः चालू किया गया । दिल्ली में कुल 83 जलाशयों की पहचान की गई । 7 जलाशयों का कार्य प्रगति पर है और 7 संकल्पनात्मक स्तर पर है। शेष 69 जलाशय विकास स्तर पर है । 69 जलाशयों में से, कुछ को रख रखाव दि.वि.प्रा. द्वारा किया जा रहा है और शेष का रखरखाव जलाशयों के मानक रखरखाव और नवीनीकरण करने के क्षेत्र में कार्य करने वाली प्रतिष्ठित एन जी ओ द्वारा कोरपोरेट फंडिंग की सहायता से किया जा रहा है ।

8.10 पार्को को गोद लेने की नीतिः

पार्कों को गोद लेने की संशोधित नीति को शुरू किया गया ताकि पार्कों को गोद लेने और उनका रख–रखाव करने में वेलफेयर एशोसिएशन / कॉरपोरेट्स की बड़े पैमाने पर भागीदारी हो सके । पूरी दिल्ली मे फैले पार्कों में 50 ओपन जिमनेजियम शुरू किये गए और इन्हें आम जनता के प्रयोग हेतु खोला गया। 20 और जिमनेजियम विकासाधीन है।

8.11 त्वरित कार्रवाई दल (क्विक रेसपोंस टीम):

दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जोन में एक त्वरित कार्रवाई दल (क्यू.आर.टी.) गठित किया गया। यह त्वरित कार्रवाई दल दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण का पता लगाएगा और समय पर बचाव कार्रवाई करेगा। प्रत्येक जोन में गठित इन क्यू.आर.टी. के प्रमुख सहायक अभियंता होंगे तथा इसमें विशेष उद्देश्य के लिए नियुक्त सुरक्षा रक्षकों की एक टीम है । यह क्यू.आर.टी. आधुनिक प्रौद्योगिकी / मोबाइल एप्लीकेशन से युक्त है और इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए एस.यू.वी. गाड़िया दी गई है । लगभग 370 प्लॉटों की पहचान की गई और उन्हें दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इनमें से ज्यादातर खाली प्लाटों की चार दीवारी / फेंसिंग पूरी की जा चुकी है ।

द्वारका स्थित दि.वि.प्रा. के ई.डब्ल्यू.एस. आवास

उद्यानः
राजधानी को हरा–भरा बनाना 9

(क) वृक्षारोपण (संख्या में)

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य				उपलब्धियां			
		वृक्ष		झाड़ियां		वृक्ष		झाड़ियां	
		वास्तविक (संख्या में)	वित्तीय (₹ में)	वास्तविक (संख्या में)	वित्तीय (₹ में)	वास्तविक (संख्या में)	वित्तीय (₹ में)	वास्तविक (संख्या में)	वित्तीय (₹ में)
1.	उद्यान (उत्तर–पश्चिम)	70,000	1,05,00,000	69,750	52,31,250	49,926	74,88,900	1,07,407	80,55,525
2.	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	1,02,720	1,54,08,000	2,06,729	1,55,04,675	1,00,013	1,50,01,950	2,35,424	1,76,56,800

(ख) नए लॉन का विकास (एकड़ में)

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		वास्तविक (एकड़ में)	वित्तीय (₹ में)	वास्तविक (एकड़ में)	वित्तीय (₹ में)
1.	उद्यान (उत्तर–पश्चिम)	127.60	1,91,40,000	48.85	73,27,500
2.	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	48.00	72,00,000	9.80	14,70,000

(ग) चिल्ड्रन कार्नर/सेट्स

क्र. सं.	निदेशालय का नाम	लक्ष्य		उपलब्धियां	
		वास्तविक (सेटों में)	वित्तीय (₹ में)	वास्तविक (सेटों में)	वित्तीय (₹ में)
1.	उद्यान (उत्तर–पश्चिम)	33	6,60,000	38	7,60,000
2.	उद्यान (दक्षिण–पूर्व)	17	3,40,000	17	3,40,000

अरावली जैव वैविध्य पार्क में जलाशय

योजना एवं वास्तुकला 10

10.1 योजना विभाग

10.1.1 मुख्य योजना अनुभाग

- दिल्ली विकास अधिनियम–1957 की धारा 11 'क' के अनुसार दिल्ली मुख्य योजना–2021 में संशोधनों का समन्वय एवं कार्यवाही
- तकनीकी समिति बैठकों का आयोजन करना–10
- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शहरीकरण योग्य क्षेत्र में मौजूदा गोदामों के नियमन के लिए विनियम ।
- दिल्ली मुख्य योजना–2021 में 31 मार्च, 2016 तक हुए संशोधनों का संकलन और उन्हें दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालना ।
- रा.रा.क्षेत्र योजना मंडल से संबंधित मामलों का समन्वय ।
- विद्यमान निर्मित क्षेत्र का पुनर्विकास–करोल बाग मामले का अध्ययन ।
- हरित भवनों को प्रोत्साहन देने के लिए विनियम और संबंधित संशोधन ।

10.1.2 लैंड पूलिंग पॉलिसी

- लैंड पॉलिसी में संशोधन करना ।
- लैंड पॉलिसी के प्रचालन के लिए अनुमोदित विनियमों में संशोधन ।
- रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार से जोन–के–I एल,एन एवं पी–II के लिए राजस्व अभिलेखों का संग्रहण ।
- 95 गांवों की घोषणा दि.वि.प्रा. के विकास क्षेत्र के रूप में करने, 89 गांवों की घोषणा शहरी गांवों के रूप में करने, दूसरे स्तर की स्टाम्प ड्यूटी में छूट और रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार के साथ लैंड पूलिंग के लिए बेस मैप के प्रमाणीकरण से संबंधित मामले का अवलोकन ।
- लैंड पूलिंग पॉलिसी के अनुसार विकास के लिए जोन पी–I की लगभग 1805 है. अनार्जित खाली पड़ी भूमि के समावेशन की प्रोसेसिंग ।
- तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के आधार पर परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु सलाहकार फर्म का चयन ।
- लैंड पूलिंग एप्लिकेश की प्रोसेसिंग के लिए अधिभोगिता प्रमाणपत्रों के जारी करने तक की प्रक्रिया तथा उनके तकनीकी एवं वित्तीय प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए सूचना, संचार एवं प्रोद्योगिकी अनेबल्ड सर्विस के लिए प्रस्तावों हेतु अनुरोध आमंत्रित किए गए ।
- दिल्ली में लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों/गांवों में किसानों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके मध्य जागरूकता फैलाने के लिए अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की गई । प्रदान की गई सूचना के आधार पर एजेंसियों को छांटा गया ।

10.1.3 यूटीपैक

शासी निकाय द्वारा अनुमोदित योजनाएं

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी (हरियाणा से दिल्ली)– रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली की सीमा से गाँव बिजवासन रोड़ तक 80 मीटर मार्गाधिकार सड़क का संरेखण, यू.ई.आर.– I तक बढ़ा दिया गयाः द्वारका से लिंक रोड के लिए डी.पी.आर. तैयार करना (यू.ई.आर.– II से दिल्ली –हरियाणा सीमा) ।
- द्वारका के लिए साइकिल शेयरिंग पॉलिसी और साइकिल शेयरिंग प्लान/एन.एम.टी.प्लान।
- ज्वाला हेडी मार्केट, पश्चिम विहार सहित रोड़ नं. 30 के लिए कोरिडोर सुधार योजना ।
- आई.टी.ओ. जंक्शन की भीड–भाड को कम करने के लिए वन वे ट्रैफिक सर्कुलेशन स्कीम।
- फेज–III मेट्रो स्टेशन (5 स्टेशन) पर मल्टी मोडल इंटीग्रेशन ।
- दि.मु.यो.–2021 के अध्याय–12, परिवहन में संशोधन ।
- भोगल से बदरपुर बॉर्डर तक मथुरा रोड (एन.एच.–2) पर कोरिडोर के लिए इंटीग्रेटिड ट्रांजिट कोरिडोर डेवलपमेंट और स्ट्रीट नेटवर्क/कनेक्टिविटी प्लान ।
- (I) आर.यू.वी.शालीमार बाग से बाहरी रिंग रोड़ तक कोरिडोर और (II) शालीमार बाग से बाहरी रिंग रोड (मुकरबा चौक) तक 30 मीटर मार्गाधिकार का सेक्टर–19, रोहिणी/संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर तक विस्तार, के लिए कोरिडोर/नेटवर्क के लिए कोरिडोर और मिड सैक्शन हेतु सड़क विकास योजना और स्ट्रीट नैटवर्क/कनैक्टिविटी प्लान ।

10.1.4 रोहिणी परियोजना (जोन–'एम' एवं 'एच' भाग)

(I) प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले

- एफ.सी.–20, सैक्टर–32, रोहिणी में"सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक" से "परिवहन" (बस डिपो) में परिवर्तन–4.0 हैक्टेयर ।
- औद्योगिक क्षेत्र, फेज–V, रोहिणी में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं के लिए 22.46 है. का "औद्योगिक" से "उपयोगिता" में परिवर्तन ।
- औद्योगिक क्षेत्र, फेज–V, रोहिणी में क्रमशः साइट नं. I –4 एवं I–5 क्षेत्र, 1.44 है. तथा 1.21 है.– "औद्योगिक" से "उपयोगिता" में (ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा) के लिए परिवर्तन ।

- रोहिणी परियोजना, सेक्टर–33, रोहिणी में खेल परिसर 8.90 हैक्टे. – ''मनोरंजनात्मक'' से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं'' में परिवर्तन ।

(ii) स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित ले–आउट प्लान/स्कीम

- सामुदायिक सुविधा, सेक्टर–34, रोहिणी ।
- सेक्टर– 20, रोहिणी के वैकल्पिक प्लाटों में ओ.सी.एफ.–3 एवं 4 ।
- सामुदायिक सुविधा पॉकेट, सेक्टर–40, रोहिणी ।
- सेक्टर–14, रोहिणी में 2418 वर्गमीटर क्षेत्र के लिए मल्टीलेवल पार्किंग ।
- सेक्टर–II, रोहिणी फेज– I एवं II में संशोधन ।
- पी.एस.पी.सुविधा पॉकेट (एफ.सी.–15), सेक्टर–30, रोहिणी में संशोधन ।
- बहु–उद्देश्य सामुदायिक हाल के लिए पॉकेट ए– I ,सेक्टर–VIII, रोहिणी (एल.एस./सी.एस./ओ.सी.एफ.प्लाट का उप खंड) ।

10.1.5 द्वारका परियोजना (जोन 'के–II')

(i) भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों की कार्यवाही

- सेक्टर–24 एवं 29 में दो साइटों का ''जिला पार्क/मुख्य योजना हरित'' से ''उपयोगिता'' में।
- ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाओं'' से ''उपयोगिता''– सेक्टर–5 में 400 के.वी.ई.एस.एस.के लिए 4 है।
- डी.ओ.पी.टी., भारत सरकार के लिए ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक''– सैक्टर 2 में 8670.88 वर्गमी. ।
- सैक्टर–25 में आई.सी.सी. के लिए ''व्यावसायिक'' से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक'' में– सैक्टर 25 में 90 हैक्टेयर ।

(ii) तकनीकी समिति/स्क्रीनिंग समिति द्वारा अनुमोदित ले–आउट/संशोधनः

- उ.प्र. सरकार के गेस्ट हाउस के लिए सामाजिक–सांस्कृतिक केन्द्र, सेक्टर–13, द्वारका, 4000 वर्ग.मी. ।
- सर्विस सेन्टर, सैक्टर–20 (पार्ट–II) के ले–आउट में ई.एस.एस.साइट ।
- सेक्टर–18 में सीनियर सेकेण्डरी स्कूल प्लॉट के एच.ए.एफ.–2 एवं समीपवर्ती साइट के सब–डिवीजनल प्लान में दिल्ली पुलिस के लिए महिला होस्टल ।
- विभिन्न सेक्टर में संबंधित ले–आउट मे ढलाव ।
- सामाजिक–सांस्कृतिक केन्द्र, सेक्टर–13 के लिए संशोधित ले आउट प्लान में गेस्ट हाउस एवं होस्टल सुविधा इत्यादि ।
- एच.ए.एफ., सेक्टर–26 के ले आउट प्लान में पुलिस पोस्ट को प्लाट का आबंटन ।
- ककरोला गॉव, सेक्टर– 16 बी के निकट सुविधाओं के लिए पी.एस.पी. उपयोग प्लॉट की संशोधित उपयोग योजना ।
- पॉकेट–2, सेक्टर–26 में 78 वैकल्पिक आवासीय प्लॉटों को काटना।
- गोल्फ कोर्स एवं आई.एफ.सी. के आसपास के क्षेत्र में खाली प्लॉटों का अध्ययन ।
- मुख्य सड़क परियोजनाओं, जैसेः– द्वारका एक्सप्रेसवे तथा यू.ई.आर.– I एवं II का समन्वय।
- सेक्टर–25 में प्रस्तावित प्रदर्शनी एवं समामेलन केन्द्र (कंवेंशन सेन्टर) से संबंधित नीतिगत मामले ।

10.1.6 जोन 'पी–I' (नरेला परियोजना) एवं 'पी– II'

(I) ले–आउट प्लान में संशोधनः

- 60 मी. मार्गाधिकार सड़क, जोन 'पी–I', नरेला के साथ सरकारी भूमि ।
- सेक्टर ए–7, जोन 'पी–I' नरेला में ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधा'' क्षेत्र में बस डिपो के लिए साइट को काटना ।

(ii) भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलेः

- ''सरकारी'' से ''उपयोगिता'' (ईएसएस)– 4.0 है. ।
- सेक्टर–7 नरेला में 1.99 है. क्षेत्र– ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधा'' से ''परिवहन'' में ।
- मुकुंदपुर गांव में दि.न.नि. के लिए वैटरनिटी हब और अन्य सामुदायिक सुविधाओं का निर्माण ।

(iii) डी एस एस डी आई/जी एस डी एल, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार द्वारा प्रदत्त निर्बाध सज़रा मैप पर जोन पी–I सुपर इम्पोज्ड का जेड.डी.पी. ।

(iv) जोन पी–II में जी.टी.रोड़ के साथ 5620 वर्ग मी. मापन का सी.एन.जी. स्टेशन ।

10.1.7 जी.आई.एस. और लैंड पूलिंग जोन (के-I, एल एवं एन)

(I) जी.आई.एस. (भौगोलिक सूचना प्रणाली) मैपिंगः

- जी.आई.एस.प्लैटफार्म पर दि.मु.यो.–2021 भूमि उपयोग ।
- दि.मु.यो.–2021 में यथा निर्धारित ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलपमेंट (टी.ओ.डी.) के लिए एम.आर.टी.एस. कोरिडोर के दोनों ओर 500 मी. बफर ।
- योजना क्षेत्र 'एन' के लिए 23 गांवों के राजस्व मैप को लैंड पूलिंग सेल द्वारा तैयार किया गया तथा इसके प्रमाणीकरण के लिए राजस्व विभाग, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भेजा गया ।
- जोन–एल, के– I, पी–I तथा पी–II के लैंड पूलिंग क्षेत्रों में मसावी/सजरा मैप तथा अन्य राजस्व विवरण प्रक्रियाधीन है ।
- लैंड पूलिंग परियोजना के लिए योजना क्षेत्र , पी–II के अंदर आने वाले 15 गांवों के राजस्व विवरण की मैपिंग ।
- सैटेलाइट इमेजरी बेस में विस्तारित एयरपोर्ट एक्सप्रेस का द्वारका सेक्टर–21 से इफको चौक, गुडगांव तक प्रस्तावित मेट्रो लिंक ।

- द्वारका, रोहिणी और नरेला में खाली भूमि की प्लॉटिंग/कोडिंग–द्वारका (417), रोहिणी (700) और नरेला (245) में 1269 न. साइट्स ।
- एन.सी.आर.पी.बी. के माध्यम से भारतीय मौसम विभाग, भारत सरकार से प्राप्त भूकम्प माइक्रो जोनेशन मैप्स पर सुपर इम्पोज्ड दि.मु.यो.–2021 के भूमि उपयोग को दिल्ली मुख्य योजना में उसके भाग के रूप में शामिल करना ।
- पी.वी.सी.बाजार, टीकरी कलां में बेयरहाउसिंग प्लाट के मानक डिजाइन में संशोधन ।

10.1.8 क्षेत्र योजना विंग– I

(I) जोन–ए एवं बी (अनुमोदन हेतु मामलों की कार्यवाही)

- परदा बाग के भूमि उपयोग में परिवर्तन ।
- भूमि उपयोग का ''आवासीय'' से ''परिवहन'' (मल्टीलेवल पार्किंग) में परिवर्तन– सदर बाजार के पुराने बूचड़खाने की खाली भूमि ।
- क्षेत्रीय विकास योजना में दर्शाए गए डी.बी.गुप्ता रोड़ से लिंक रोड तक ऊपरी रिज रोड स्ट्रेच की स्थिति में संशोधन ।
- एम.टी.एन.एल. टेलिफोन एक्सचेंज के निकट झंडेवालान मंदिर कॉम्पलैक्स से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक'' साइट तक गैस गोदामों का पुनः स्थान निर्धारण ।

(ii) जोन– सी (भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर कार्यवाही):

- परमेश्वरी वाला बाग, आजादपुर के निकट ।
- संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में टायर मार्केट की पुनः– स्थान निर्धारण योजना के लिए 1.71 हैक्टेयर– ''मनोरंजनात्मक/जिला पार्क'' से ''व्यावसायिक'' में परिवर्तन ।
- बंग्लो रोड के म्यूनिसिपल स्टाफ क्वार्टर में ''आवासीय'' से ''व्यावसायिक'' में –1.264 हैक्टे।

(iii) जोन–एफ (अनुमोदन हेतु मामलों की कार्यवाही)

- लगभग 6.80 है. क्षेत्र वाली भूमि का दो पॉकेटों, अर्थात् एम्स ट्रॉमा सेन्टर के विस्तार के लिए 6.05 है. और पुलिस स्टेशन के लिए 0.75 है., के विखंडन/उप–खंड के लिए ले आउट प्लान में संशोधन ।
- प्लॉट नं. बी–135/1, 201.59 वर्ग मीटर प्लॉट का कब्जा सौंपने के संदर्भ में ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज–1, के ले– आउट प्लान में संशोधन ।
- राव तुला राम मार्ग, नई दिल्ली (शान्ति निकेतन) में सरकारी कर्मचारी सी.एच.बी.एस. के लिए ले आउट प्लान में संशोधन ।
- सी.आर.पार्क में शॉपिंग सेन्टर और पुलिस स्टेशन के बीच 400 वर्ग मीटर (लगभग) मापन की खाली भूमि के लिए उपयोगिता योजना ।
- महिपालपुर में 30 मीटर चौडी ''ग्रीन स्ट्रीप'' के संदर्भ में एस.एस.बी. और बी.पी.आर. एवं डी. को आबंटित भूमि से संबंधित महिपालपुर गांव में दि.वि.प्रा. के स्वामित्व वाली भूमि के लिए ले आउट प्लान में संशोधन ।
- स्थानीय बाजार केन्द्र के लिए दि.वि.प्रा. की खाली भूमि की उपयोगिता हेतु मोलारबंद, मथुरा रोड़ में सुविधा पाकेटों के संदर्भ में ले आउट प्लान में संशोधन ।
- आई.एफ.सी., मदनपुर खादर में ''व्यावसायिक'' से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक'' के संदर्भ में भूमि उपयोग में परिवर्तन ।
- रा.रा.क्षे. दिल्ली में एच–श्रेणी औद्योगिक भूमि मामलों को सरेंडर करना ।

(iv) जोन–जी (भूमि उपयोग परिवर्तन मामलों की कार्यवाही):

- दिल्ली एम.आर.टी.एस.प्रोजेक्ट, फेज–III के मुकुंदपुर–यमुना विहार कोरिडोर के लिए मेट्रो स्टेशन के निर्माण हेतु बसई दारापुर, रिंग रोड के शिवाजी पार्क में 8367.10 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का ''मनोरंजनात्मक'' (जिला पार्क) से ''परिवहन'' (एम.आर.टी.एस.सर्कुलेशन) में परिवर्तन ।
- यमुना विहार कोरिडोर में दिल्ली एम.आर.टी.एस., फेज–III की लाइन 8 के निर्माण के लिए मायापुरी चौक (डाबरी मोड) के पॉकेट–I (680 वर्ग मी.) और पाकेट–2 (6560.10 वर्ग मीटर) का ''मनोरंजनात्मक'' (जिला पार्क) से ''परिवहन'' (एम.आर.टी.एस.सर्कुलेशन) में परिवर्तन ।
- 220 कि.वा. ग्रिड स्टेशन की स्थापना के लिए दिल्ली ट्रांस्को लिमि. को भूमि का आबंटन करने हेतु औद्योगिक क्षेत्र, पंखा रोड के समीप जनकपुरी में 24 मीटर मार्गाधिकार सड़क के साथ–1.14 हैक्टेयर क्षेत्र का ''मनोरंजनात्मक'' (जिला पार्क) से ''उपयोगिता'' (इलेक्ट्रिसिटी, सब स्टेशन) में परिवर्तन ।

ले–आउट प्लान में निम्न के संदर्भ में संशोधन :

- क्लस्टर बस डिपो के लिए परिवहन विभाग, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार को भूमि के आबंटन हेतु सर्विस सेन्टर–16, एच–ब्लॉक, विकास पुरी ।
- प्लॉट नं. 82 के संदर्भ में डब्ल्यू.एच.एस., कीर्ति नगर ।
- ब्लॉक ए–2, पश्चिम विहार में 2000 वर्ग मीटर मापन वाली सामुदायिक हाल साइट और 6000 वर्ग मीटर मापन वाली प्राइमरी स्कूल साइट को काटना ।
- सर्वोदय विद्यालय, के.जी.–1, विकासपुरी के निकट प्राइमरी स्कूल, सामुदायिक हाल और डिस्पेंसरी के प्रावधान के लिए ''बुढेला आवासीय योजना'' विकास पुरी (आंशिक संशोधन) ।
- प्लॉट नं. सी–108 एवं 109 के प्रस्तावित समामेलन के लिए रेवाडी रेलवे लाइन, फेज–II, जोन जी के साथ औद्योगिक क्षेत्र में संशोधन ।
- दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, हरी नगर के समीप मेडिकल कॉलेज के लिए उप जिला केन्द्र, हरि नगर से सटे हुई 3.5 एकड़ की अतिरिक्त भूमि का आबंटन ।

(v) जोन–एच (रोहिणी के अतिरिक्त)– (अनुमोदन के लिए मामलों की कार्यवाही):

- औद्योगिक प्लॉट नं. 101 से 105, ब्लॉक–टी–1, मंगोलपुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज–I का समामेलन।

- वर्किंग वूमन होस्टल और ओल्ड ऐज होम के लिए रोड नं. 43, पीतमपुरा एच–4 एवं 5 पर एफ सी–57 में खाली भूमि का उपयोग ।
- नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा में 18452 वर्ग मीटर भूमि उपयोग का ''मनोरंजनात्मक'' (जिला पार्क) से ''परिवहन'' (मेट्रो स्टेशन) में परिवर्तन ।
- हैदरपुर गांव, शालीमार बाग के सामुदायिक भवन के लिए स्थल की पहचान ।
- विभिन्न आंतरिक विभागों के समन्वय के साथ औद्योगिक भूमि को सरेंडर करना और माननीय न्यायालय में इसे देखना । कार्य में विभिन्न औद्योगिक स्थलों जैसेः– मैसर्स बिरला टेक्सटाइल के लिए सब–डिवीजन प्लान की तैयारी शामिल है।

10.1.9 क्षेत्र योजना विंग–II

(क) जोन–डी (भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों की कार्यवाही)

- ''सरकारी कार्यालय'' से ''आवासीय''– 3.14 हैक्टे. जनपथ रोड।
- ''आवासीय'' से ''सरकारी कार्यालय'' कर्जन रोड, कस्तूरबा गांधी मार्ग में समर्पित कार्यालय भवन के लिए प्रस्तावित 1.40 हैक्टे. में परिवर्तन ।
- ''आवासीय'' से ''सरकारी कार्यालय''–नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, भारत सरकार के लिए ''अक्षय उर्जा भवन'' के निर्माण हेतु सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली के सामने 1.12 हैक्टे.।
- ''आवासीय'' (नर्सरी स्कूल) से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक'' सुविधाएं– पॉकेट–V, डी.डी.यू. मार्ग में भारतीय जनता पार्टी (दिल्ली प्रदेश) को आबंटित 809 वर्ग मी. ।
- कृषि /हरित पट्टी एवं जलाशय (पौध नर्सरी) से ''मनोरंजनात्मक' (जिला पार्क)–हुमायूँ मकबरे के निकट सुन्दर नर्सरी के संबंध में 17.0 हैक्टे. ।
- ''मनोरंजनात्मक'' (जिला पार्क) से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक'' सुविधाएं– प्रगति मैदान के सामने, भैरों मन्दिर रोड पर पुराने किले के पीछे नेशनल म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री (एन.एम.एन.एच.) के लिए भवन के निर्माण हेतु 2.63 हैक्टे. ।

अनुमोदन हेतु मामलों की कार्यवाही

- राज्य भवनों के लिए अलग श्रेणी सहित दि.मु.यो.–2021 में प्रावधानों की समीक्षा ।
- दि.मु.यो.–2021 के अनुसार जोन'डी' की ड्राफ्ट क्षेत्रीय विकास योजना को तैयार करना और उसकी कार्यवाही ।

(ख) जोन–ई (भूमि उपयोग परिवर्तन के मामलों पर कार्यवाही):

- ''मनोरंजनात्मक'' और आंशिक रूप से ''आवासीय'' से ''परिवहन'' (डिपो तथा दो ईंधन स्टेशन/पेट्रेल पम्प) एम.आर. टी.एस., फेज–III के लिए विनोद नगर (ईस्ट) और सीलमपुर में कार मैनेटेनेंस डिपो के निर्माण और पेट्रोल पम्प के पुनः स्थान निर्धारण के लिए 19.90 हैक्टे. ।
- ''मनोरंजनात्मक'' से ''परिवहन''(बस डिपो)– 1.83 हैक्टे. ।
- पूर्वी दिल्ली नगर निगम को आबंटन हेतु ''मनोरंजनात्मक'' से ''औद्योगिक'' –ठोस अपशिष्ट–सी.एवं डी. प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 1.16 हैक्टे.।
- ''मनोरंजनात्मक'' (सामुदायिक उद्यान) से ''उपयोगिता'' (आर.एस.एस.)
- वजीराबाद रोड और लोनी रोड क्रॉसिंग पर सुविधा केन्द्र नं.–8 के ले आउट प्लान में ''मनोरंजनात्मक'' (सामुदायिक पार्क) से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक'' (कब्रिस्तान) ।
- ''मनोरंजनात्मक'' से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक'' (स्कूल एवं कब्रिस्तान)– मंडोली, पूर्वी दिल्ली में 4.27 हैक्टे. ।
- शास्त्री पार्क में 8020 वर्ग मीटर मापन वाली आंशिक भूमि के संबंध में ''मनारंजनात्मक'' से ''उपयोगिता'' ।

अनुमोदन हेतु मामलों की कार्यवाही ।

- मोहन नर्सिंग होम के पीछे ब्लॉक–बी–2 एव बी–3 यमुना विहार के बीच फहान इंटरनेशनल स्कूल के लेआउट प्लान में संशोधन ।
- गीता कॉलोनी में सुविधा एवं व्यावसायिक केन्द्र तथा हाउसिंग कॉम्पलैक्स के ''ले–आउट प्लान के आंशिक संशोधन'' (ड्राफ्ट) के अनुमोदित ले–आउट प्लान में ''भविष्य के उपयोग'' के लिए चिन्हित खाली पड़ी अनुमोदित साइट की उपयोगिता ।
- पटपड़गंज रोड में ऑटो रिपेयर के लिए मानक डिजाइन के–आउट प्लान में संशोधन ।
- सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो को भूमि के आबंटन हेतु सुविधा केन्द्र–18 के ले–आउट प्लान में संशोधन ।
- जोन–ई की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्र की पहचान ।

(ग) जोन–ओ (अनुमोदन हेतु मामलों की कार्यवाही):

- ''पुलिस लाइन'' के विकास नियंत्रण मानदंडों का दि.मु.यो. –2021 में संशोधन ।
- समाधि कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली का एकीकृत विकास –जिला पार्क से ''राष्ट्रीय संग्रहालय'' की नामावली में परिवर्तन ।
- मिलेनियम बस डिपो के स्थान पर बस डिपो के विकास के लिए डी.टी.सी. को दि.वि.प्रा. द्वारा वैकल्पिक भूमि का आबंटन ।
- क्षेत्रीय विकास योजना में निम्न घनत्व आवासीय क्षेत्र की पहचान ।
- भूमि उपयोग का ''मनोरंजनात्मक'' से ''परिवहन'' में परिवर्तन– कालिंदी कुंज के मेट्रो स्टेशन के लिए 1.0 हैक्टे. ।
- दिल्ली एम.आर.टी.एस. परियोजना, फेज–III के मुकुंदपुर यमुना विहार कोरिडोर (लेन नं.7) के लिए सराय काले खां के सामने रैम्प के प्रस्तावित निर्माण हेतु योजना की अनुमति ।
- दिल्ली में नदी विनियमन क्षेत्र (आर.आर.जेड) के मानदंडों की जांच ।

(घ) **जोन–जे एवं यू सी (भूमि उपयोग परिवर्तन के मामले)**

- ''आवासीय'' से ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक'' केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिस (सी.ए.पी.एफ.एम.आई.एन.एस.) 3.48 हैक्टे. ।
- ''मनोरंजनात्मक उपयोग'' (क्षेत्रीय उद्यान) से ''उपयोगिता''– दिल्ली ट्रांस्को लिमि. (डी.टी.एल.), तुगलकाबाद, दिल्ली के लिए 400 कि.वाट ग्रिड सब–स्टेशन की स्थापना हेतु 2.51 हैक्टे.।
- ''आवासीय'' भूमि उपयोग और ''सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक'' सुविधाए से ''उपयोगिता''–मैदानगढ़ी, इग्नू कैम्पस के निकट ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए 3.74 हैक्टे.।

अनुमोदन के लिए मामलों की प्रोसेसिंग

- पार्क के विकास के लिए सैदुलाजाब की दि.वि.प्रा. की खाली भूमि का उपयोग ।
- बी–ब्लॉक, वसंत कुंज में इंडियन स्पाइनल इंज्यूरीज हॉस्पिटल के समीप सीनियर सैकेण्डरी स्कूल के निर्माण हेतु 8000 वर्ग मीटर (0.8 हैक्टे.) मापन भूमि के ले–आउट प्लान में संशोधन ।
- मैदानगढी के इग्नू कैम्पस के लिए दि.मु.यो.–2021 के अनुसार ग्राउंड कवरेज और एफ.ए.आर. को बढ़ाना ।
- रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार, के लिए छत्तरपुर में 225 बेड की सुविधा वाले अस्पताल के निर्माण हेतु तथा इग्नू से 30 मीटर चौडी सड़क के माध्यम से इसकी कनेक्टिविटी हेतु भूमि के 'भूमि उपयोग' में परिवर्तन ।

10.1.10 सभी योजना जोनों/इकाइयों के लिए कॉमन कार्य (निम्न के संदर्भ में जांच एवं कार्यवाही मामले)

- आध्यात्मिक, स्वास्थ्य देखभाल तथा शैक्षणिक संस्थानों सहित पूर्व–विद्यमान सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थानों के विनियमन हेतु प्राप्त आवेदन ।
- अनाधिकृत कॉलोनियों में बाधाओं का पता लगाना ।
- दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर खाली प्लॉटों/पॉकेटों की सूची अपलोड करने के लिए उसे अपडेट करना ।
- संबंधित जोनों के सभी अनुमोदित ले–आउट प्लान को दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए उनकी स्कैनिंग करना ताकि कार्य को सुगम बनाया जा सके ।
- राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र का सीमांकन ।

10.1.11 भवन अनुभाग

भवन अनुमतिः

संस्वीकृत भवन अनुमति	172
जारी किए गए बी–1 परमिट	13
जारी किए गए अधिभोग प्रमाणपत्र (ओ.सी.)/ समापन प्रमाण पत्र (सी.सी.)	104

10.2 वास्तुकला विभाग (एच.यू.पी.डब्ल्यू.)

वास्तुकला विभाग परियोजना स्कीम की संरचनात्मक भूमि उपयोग योजना का प्रयोग उसके संकल्पनात्मक वास्तुकला डिजाइन और वास्तुकला संकल्पना की कार्यशील ड्राइंग तैयार करने के लिए करता है । वास्तुकला विभाग के मुख्य कार्य क्षेत्र निम्नानुसार हैः–

1. शहरी डिजाइन/वास्तुकलात्मक स्कीमों (दिल्ली मुख्य योजना के अनुसार सभी श्रेणियों के आवास, श्रृंखलाबद्ध, गैर श्रृंखलाबद्ध व्यावसायिक केन्द) को विकसित करना और उनके विकास नियंत्रण मानदंडों को तैयार करना ।
2. विरासत और संरक्षण परियोजनाओं को शुरू करना और तैयार करना ।
3. खेलकूद संबंधी परियोजनाएं ।
4. सामाजिक आधारिक–संरचना परियोजनाएं (सामुदायिक सुविधाएं, उन्नयन (अपग्रेडेशन) योजनाएं आदि) ।
5. योजना, वास्तुकला और भू–दृश्यांकन विभाग की सभी परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए जांच–समिति की बैठकों का आयोजन एवं समन्वय करना ।
6. निम्नलिखित से अनुमोदन प्राप्त करनाः

- शहरी डिजाइन /वास्तुकला स्कीमों के लिए दिल्ली नगर कला आयोग से ।
- सभी विरासत/संरक्षण संबंधी परियोजनाओं के लिए दिल्ली शहरी विरासत प्रतिष्ठान (डीयूएचएफ) से ।
- अन्य प्राधिकरणों जैसे मुख्य अग्निशमन अधिकारी, विमानपत्तन प्राधिकरण,पर्यावरण संबंधी अनापत्ति, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आदि से ।

10.2 निर्माणाधीन परियोजनाएँ

(क) **आवास**

तीन पॉकेटों, सेक्टर ए–1 से ए 4, नरेला में ई.डब्ल्यू.एस. आवास।

(ख) **सामुदायिक हॉल**

सामुदायिक हाल, रानी बाग, पीतमपुरा

सामुदायिक हाल, किशनगढ़

सामुदायिक हाल, तेहखंड

सामुदायिक हाल, पॉकेट 11, जसोला

सामुदायिक कक्ष, नारायणा विहार

सामुदायिक कक्ष, साधनगर

सामुदायिक हाल, सी.एस.सी./ओ.सी.एफ.–4, सेक्टर–1, रोहिणी

सामुदायिक हाल, सेक्टर–5, रोहिणी

सामुदायिक हाल, सी.एस.सी./ओ.सी.एफ.–4, सेक्टर–6, रोहिणी

सामुदायिक कक्ष, ब्लॉक–जी, सेक्टर–16, फेज–2, रोहिणी

सामुदायिक हाल, सुख विहार

(ग) **विविध परियोजनाएं**

बंगाली क्लब, कश्मीरी गेट का पुनः स्थापन ।

10.3 भू–दृश्यांकन और पर्यावरणीय योजना इकाई

दिल्ली 1,497 कि.मी. क्षेत्र में फैली देश के सबसे हरे–भरे महानगरों मे से एक है। अपने खुले क्षेत्रों पर बढ़ते दबाव के साथ साथ हाल के दिनों में शहर ने अत्याधिक विकास का अनुभव किया है । दिल्ली विकास प्राधिकरण भारत में पहला शहरी विकास प्राधिकरण है, जिसने अपने क्षेत्राधिकारी में आने वाले लगभग 3800 छोटे और बड़े पार्कों के साथ क्षेत्रीय पार्कों, जिला पार्कों, हरित पट्टी और समीपवर्ती हरियाली इत्यादि के रूप में खुले क्षेत्रों के विकास के प्रति सचेत प्रयासों सहित हरे–भरे स्थानों में समग्र विकास एवं प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। दि.वि.प्रा. ने हरित क्षेत्रों, जो शहर के वायुप्रद क्षेत्र हैं, के उन्नयन एवं रखरखाव के कार्य को वचनबद्धता के साथ किया और जैव–वैविध्य पार्कों का निर्माण एवं विकास नदी मुहाना विकास परियोजना, डलाव क्षेत्रों की पुनःप्राप्ति, जलाशयों के नवीकरण एवं झीलों के पुनरुद्धार का प्रयास किया ।

दि.वि.प्रा. ने प्राकृतिक विशेषताओं जैसे नदी एवं रिज के संरक्षण को बढ़ावा दिया है और हरित पट्टियों, थीम पार्कों, शहरी वन भूमियों, स्मारकों के चारों ओर हरित क्षेत्रों, जैव वैविध्य पार्कों, आदि को विकसित किया है । इन्हें दि.वि.प्रा. की भूदृश्यांकन और पर्यावरणीय योजना इकाई द्वारा डिजाइन किया। इसमें निम्नलिखित को सम्मिलित किया गया है।

- मुख्य योजना में निर्धारित मानदंडों के अनुसार क्षेत्रीय पार्कों से संबंधित डिजाइन एवं नीति निर्धारण ।
- दि.वि.प्रा. के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निकटस्थ पार्कों, खेल के मैदानों और चिल्ड्रन पार्कों के साथ साथ जिला पार्कों को डिजाइन करना ।
- विशिष्ट परियोजनाओं जैसेः जैव वैविध्य पार्कों, नदी मुहाना विकास, डलाव क्षेत्रों की पुनः प्राप्ति, इंद्रप्रस्थ पार्क, आस्थ कुंज और तुगलकाबाद जैसी विरासत परियोजनाओं का कार्य भी भूदृश्यांकन इकाई ने अपने हाथों में लिया है । जल संग्रह एवं बरसाती जल संरक्षण, ग्राउंड वाटर एक्विफायर्स की रिचार्जिंग की अवधारणा भी विभिन्न हरित क्षेत्रों की योजना का महत्वपूर्ण भाग है ।

हरित क्षेत्रों की डिजाइन एवं उन्नयन की प्रक्रिया में, अशक्त लोगों के लिए विशेष डिजाइन को सम्मिलित करने के प्रयास किए गए हैं । दि.वि.प्रा. ने इस पर विचार किया और अपने भुदृश्यांकन डिजाइन में इन मुख्य विशेषताओं को जोडने में सफलता हासिल कर ली है । इन डिजाइन विशेषताओं को प्रवेश द्वारों, बाल क्रीडा स्थलों, बैठने के स्थानों और पगडंडियों में शुरू किया गया है । उदाहरण के लिए, मिलेनियम पार्क के प्रवेश द्वार में, विशेष आवश्यकताओं के साथ सभी लोगों के सुगम प्रवेश के लिए रैम्प की सुविधा उपलबध कराई गई ।

द्वारका में सेन्सीरी पार्क, अपनी तरह का अद्वितीय उदाहरण है। पार्क अशक्त बच्चों के लिए तैयार किया गया है जिससे कि वे अन्य बच्चों के साथ खेल सकें। डिजाइन की संकल्पना आम जनता के लिए हरित क्षेत्रों की कोटि में सुधार तथा अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए अवसरों को बनाने के लिए है ।

दि.वि.प्रा. हरित क्षेत्रों में पर्यावरण मैत्री की संकल्पना तथा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नई लहर को आरक्षित वनों, क्षेत्रीय पार्कों और प्रतिबंधित वन में बांस के आश्रय स्थल बनाकर फलीभूत किया गया है । स्वच्छ भारत कार्यक्रम के लिए पार्को और खेल के मैदानों में बायो टॉयलेट और कूड़ेदानों की व्यवस्था की गई है। आपन जिम संकल्पना की शुरूआत करके बच्चों के खेलने के उपकरणों को सुरक्षा की दृष्टि से फाइबर ग्लास के उपकरणों में बदलकर आम जनता के लिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए पहल की गई है ।

विशिष्ट आवश्यकताओं के लागों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए नई नीति के अनुसार दि.वि.प्रा. के हरित क्षेत्रों को अपग्रेड किया जाना है । शारीरिक रूप से विकलांग लोगों की सुविधा के लिए रैम्प, स्थान के कुशलतापूर्वक प्रयोग आदि से युक्त शौचालय बनाए गए है ।

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के दौरान चलायी गयी परियोजनाएँ

- यमुना जैव–वैविध्य पार्क, फेज– II
- अरावली जैव–वैविध्य पार्क इंटरपेटेशन सेंन्टर की अवधारणा।
- यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना–जोन 'ओ' के अंतर्गत कार्य ।

क. विभिन्न फोरम, जैसेः– एम.ओ.यू.डी., एम.ओ.ई.एफ., एम.ओ. डब्ल्यू.आर., एल.जी.हाउस के लिए प्रेजेन्टेशन ।

ख. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) को 6/2012 के न्यायालय मामले में यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना पर प्रेजेंन्टेशन ।

ग. मौजूदा सूचना सहित नवीनतम जी.आई.एस.मैप्स के संदर्भ में डाटा का संकलन ।

घ. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) के निर्णय के प्रभाव का मूल्यांकन एवं परियोजना को तद्नुसार समझना ।

ड़. मैली से निर्मल यमुना (एम.एस.एन.वाई.) के अंतर्गत यमुना नदी के पुनर्उद्धार के उद्देश्य से यूनिफाइड सैन्टर फार रेजुविनेशन ऑफ रिवर यमुना (यू.सी.आर.आर.वाई.) की प्रक्रिया और विजन के लिए माननीय उपराज्यपाल को प्रस्तुत की जाने वाली प्रेजेन्टैशन की तैयारी ।

च. एम.एस.एन.वाई. के अंतर्गत प्रधान समिति को प्रेजेन्टेशन ।

छ. और अधिक विकास के लिए भूमि की पहचान हेतु स्थन का निरीक्षण ।

ज. यू.सी.आर.आर.वाई. के रोड मैप के रूप में वर्किंग ग्रुप ।

झ. जी.एस.डी.एल.यमुना बाढ़ क्षेत्र डाटा पर दि.वि.प्रा. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भूमि की पहचान ।

ञ. जी.एस.डी.एल.यमुना बाढ़ क्षेत्र डाटा पर 25 वर्ष बाढ़ मैदान में 1 का सीमांकन और मानवीय अंतः क्रिया के लिए संभाव्य जोनों की पहचान ।

ट. प्रधान समिति / विशेषज्ञ समिति निर्देश के अनुसार बड़े वेटलैंड और संभावित जैव–वैविध्य जोनों की पहचान ।

ठ. यमुना नदी मुहाना विकास परियोजना (चरण–2) की व्यापक योजना की तैयारी ।

ड. दो ऐसे अलग–अलग क्षेत्रों की पहचान करना जहाँ तत्काल कार्य प्रारंभ किया जा सके।

- तिलपथ वैली की वनस्पति, भूभाग और पहुँच का विश्लेषण करना ।
- कार्य विवरण सहित एक आदर्श पार्क के रूप में सूरजमल पार्क का उन्नयन ।
- स्वर्णजयंती पार्क, रोहिणी के चौक (प्लाजा) तथा खेल के मैदान का विवरण ।
- माँ आनन्दमाई मार्ग स्थित हरित क्षेत्र का अंशतः पुनर्विकास प्लान ।
- पुल पहलाद पुर स्थित हरित क्षेत्र में एम्फीथिएटर की व्यवस्था।
- महिपालपुर, खसरा सं.–524 में जलाशय का विकास ।
- अशोक गार्डन, अशोक विहार का एक आदर्श पार्क के रूप में विकास और कार्य की ड्राइंग्स जारी की जा चुकी हैं ।
- फेज– II , सैक्टर–9, द्वारका में खेल का मैदान और कार्य विवरण ।
- पीरा गढ़ी गॉव स्थित जलाशय और कार्य विवरण ।
- राष्ट्रमंडल खेल गॉव के साथ स्थित हरित क्षेत्र–कार्य विवरण ।
- कार्य विवरण के साथ, लेक पार्क, हरी नगर का पुनर्विकास और उन्नयन ।
- कार्य विवरण सहित प्रदुषण फैला रही औद्योगिक इकाई के. एल.राठी द्वारा अभ्यर्पित खाली भूमि का भूदृश्यांकन विकास ।
- कार्य विवरण सहित सरिता विहार पाकेट–'डी' एवं 'ई' के हरित क्षेत्र के लिए भू–दृश्यांकन प्लान ।
- प्रदुषण फैला रही औद्योगिक इकाई जी.डी.राठी द्वारा अभ्यर्पित खाली भूमि–कार्य विवरण ।
- सामुदायिक केन्द्र, सैक्टर–18 ए, द्वारका के सामने एन.एच.पी.।
- राज राजेश्वरी देवी मंदिर के पास सी–1, सी–1ए ब्लॉक जनकपुरी में हरित क्षेत्र का उन्नयन ।
- मायापुरी स्थित सरकारी प्रैस कॉलोनी के सामने हरित पट्टी का भूदृश्यांकन प्लान ।
- बाल क्रीडा क्षेत्रों के लिए नवीन डिजाइन ।
- दि.वि.प्रा. के विभिन्न बगीचों और डी.एम.आर.सी. के अन्य संबंधित कार्यों के लिए डीएमआरसी (अस्थायी और स्थायी आधार पर) को भूमि उपलब्ध कराना ।
- हरित क्षेत्रों और खेल के मैदानों जैसे बैम्बू शैल्टर्स, शौचालयों, फेंसिंग, आश्रय पेय जल, जैव–टॉयलेट आदि में नीति / दिशा निर्देशों के अनुसार सुविधाओं का प्रावधान ।
- विभिन्न पार्कों में ओपन जिम का प्रावधान ।
- "अडोप्शन ऑफ पार्कस" के मामलों पर कार्यवाही ।
- राष्ट्र मंडल खेल गॉव के समीप हरित क्षेत्र के लिए भूदृश्यांकन प्लान का कार्य विवरण।
- जैव–वैविध्य पार्कों से संबंधित कार्य, द्वारका सैक्टर–20 में जैव वैविध्य पार्क की संभावना का विश्लेषण, तुगलकाबाद स्थित जैव वैविध्य पार्क का विश्लेषण ।
- सैक्टर–18 रोहिणी स्थित हरित क्षेत्र ।
- नांगलोई स्थित उद्योग द्वारा अभ्यर्पित भूमि पर हरित क्षेत्र ।
- अशोक विहार स्थित अशोक गार्डन फलोद्यान ।
- सूरजमल समाधी का उन्नयन–कार्य विवरण ।
- फैज रोड एवं रानी झांसी रोड झंडेवालान के मध्य हरित क्षेत्र ।

10.3 अन्य क्रियाकलाप

- दि.मु.यो. 2021 के पर्यावरण अध्याय की समीक्षा के लिए दस्तावेज तैयार करना ।
- यू.सी.सी.आर.वाई. के अधिदेश को सूत्रबद्ध करने के लिए दस्तावेज तैयार करना और यू.सी.सी.आर.वाई. की अन्तिम अधिसूचना ।
- रिवर नेवीगेशन के लिए विचारार्थ विषय ।
- "अडोप्शन ऑफ पार्क" नीति की निबंधन और शर्तों का संशोधन ।
- बाहरी विशेषज्ञों के साथ दि.वि.प्रा. पार्कों में कला संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करना ।
- माननीय शहरी विकास मंत्री को 'हरित दिल्ली स्वच्छ दिल्ली' का प्रस्तुतिकरण ।
- दि.वि.प्रा. के पार्कों में मैनिक्योर गार्डन्स के लिए प्रस्तुतिकरण ।

दि.वि.प्रा.कुतुब गोल्फ कोर्स

आवास 11

11.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सन् 1968 से आवास संबंधी कार्यकलाप किए जा रहे है। फ्लैटों के आबंटन के लिए प्रथम पंजीकरण योजना 1968–69 में प्रारंभ की गई थी। इसके बाद 31.10.2015 तक 44 आवासीय योजनाओं को शुरू किया गया है और दिल्ली/नई दिल्ली के विभिन्न स्थानों में अलग–अलग श्रेणियों के लगभग 4,20,510 फ्लैटों का आबंटन किया जा चुका है ।

11.2 लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तन

परिवर्तन अनुरोध की प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है और अब तक मौजूदा नीति के अनुसार 1,14,200 दि.वि.प्रा. निर्मित फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में परिवर्तित किया जा चुका है ।

डी-6, वसंत कुंज स्थित दि.वि.प्रा. के एल.आई.जी. फ्लैट्स

भूमि प्रबंधन और भूमि निपटान विभाग 12

12.1 **भूमि प्रबंधन विभाग**

दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों की भूमि का बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से प्राप्त नजूल–I की देखभाल और सन् 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई नजूल–II की भूमि का प्रबंधन एवं देखरेख करता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है, जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय से एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी । इसके अतिरिक्त, भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी विकास मंत्रालय की कुछ भूमि भी देखभाल एवं रखरखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास है ।

भूमि प्रबंधन विभाग के मुख्य कार्य हैः–

i) भूमि अधिग्रहण

ii) भूमि प्रबंधन ।

iii) भूमि उपयोग करने वाले विभागों की सहायता करना ।

iv) भूमि प्रबंध संबंधी मामलों के लिए विभिन्न विभागों और बाहर की एजेंसियों के साथ समन्वय करना ।

v) अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण गिराने के कार्यक्रमों की योजना बनाना एवं उसका निष्पादन करना ।

vi) विकास क्षेत्रों में अनधिकृत निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई करना ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान संबंधित भूमि अधिग्रहण कलेक्टर (एल.ए.सी.), दिल्ली द्वारा दि.वि.प्रा. को कोई भूमि नहीं सौंपी गई।

भूमि प्रबंधन की क्षति पूर्ति शाखा को बेदखली और दि.वि.प्रा. के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत आने वाली भूमि पर अनधिकृत रूप से बसे आबादकारों के अधिभोग से होने वाली क्षति का मूल्यांकन करने एवं वसूली करने का काम सौंपा गया है । दि.वि.प्रा., सरकारी भूमि पर अनधिकृत अधिभोगियों के विरूद्ध पी.पी. अधिनियम के अंतर्गत बेदखली की कार्यवाही की पहल करता है । इसके दो संपदा अधिकारियों को क्षति के मूल्यांकन और बेदखली की उनकी ड्यूटी के निस्तारण के लिए पी.पी अधिनियम के अंतर्गत शक्तियों का प्रत्यायोजन किया गया है ।

भूमि प्रबंधन विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए किए गए सुनियोजित परिवर्तन

भूमि प्रबंधन विभाग की कार्य प्रणाली में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं ।

1. **दि.वि.प्रा. के खाली प्लाटों की सूची तैयार करना**

i) पहले, दि.वि.प्रा. के खाली प्लाटों की कोई भी सूची नहीं थी । विभिन्न भू–स्वामित्व विभाग जैसे भूमि प्रबंधन, इंजीनियरिंग, उद्यान के अंतर्गत आने वाले सभी खाली प्लॉटों की एक समग्र लिस्ट समस्त विवरण के साथ एक्सेल शीट में तैयार की जा चुकी है और इसे दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड किया जा चुका है।

ii) इस विवरण में, गाँव का नाम, खसरा संख्या, प्लॉट का क्षेत्र, अतिक्रमित क्षेत्र, यदि कोई हो तो, प्लॉट का वास्तविक खाली पड़ा भाग, निर्मित/अतिक्रमण का क्षेत्र, भूमि उपयोग, ले–आउट प्लान, पर्यवेक्षक अधिकारी का संपर्क विवरण स्थल लेटीट्यूड और लोंगिट्यूड के साथ फोटो और मुकदमें की वस्तुस्थिति शामिल है ।

2. **भूमि सुरक्षा के लिए मानक प्रचालक कार्य प्रक्रिया (एस. ओ.पी.) तैयार हो चुकी हैं और इन्हें क्रियान्वयन के लिए परिचालित कर दिया गया है ।**

i) इंजीनियरिंग और भूमि प्रबंधन विभागों के संबंधित अधिकारियों द्वारा दि.वि.प्रा. भूमि की सुरक्षा के लिए मानक प्रचालक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) को जारी कर दिया गया है । इन आदेशों से कानूनगो/कनिष्ठ अभियंता से उप निदेशक/अधिशासी अभियंता के स्तर तक अधिकारियों की जवाबदेही नियत हो जाती है । अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली भूमि के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी का नाम एक्सेल शीट पर अपलोड कर दिया गया है और इन स्थलों के निरीक्षण करने की अवधि को एस.ओ.पी. में निर्धारित कर दिया गया है । कानूनगो/कनिष्ठ अभियंताओं को अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली प्रत्येक संपत्ति का निरीक्षण कम से कम सप्ताह में एक बार करना है और उनके रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा स्थलों का निरीक्षण महीने में एक बार होना चाहिए । संबंधित उप निदेशकों/अधिशासी अभियंताओं द्वारा प्रत्येक दो महीने बाद उनके अंतर्गत आने वाले अति संवेदनशील/कीमती खाली प्लाटों में से कम से कम 10 प्रतिशत का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करना अपेक्षित है। संबंधित विभागाध्यक्षों, यथा मुख्य अभियंता, आयुक्त (भूमि प्रबंधन) और निदेशक (उद्यान), प्रत्येक संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किए गए कार्य की रिपोर्ट हर महीने उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. को प्रस्तुत करेंगे ।

ii) यदि किसी प्रकार का अतिक्रमण पाया जाता है, तो उसे हटाना भूमि प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी होगी । इसके बाद, भूमि को उचित सीमांकन के साथ इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया जाएगा । अतिक्रमण को हटाने के बाद, इसका फोटो लिया जाता है और इसे वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाता है । स्थल को, इंजीनियरिंग विभाग को दोनों तरीकों से, स्थल पर वास्तविक रूप से और दस्तावेजों में सौंपने / ग्रहण करने के माध्यम से सौंप दिया जाता है । अतिक्रमण को रोकना प्रयोगकर्ता विभाग की जिम्मेदारी होगी । इंजीनियरिंग विभाग वर्तमान अतिक्रमणों को क्यू.आर.टी. के माध्यम से हटाएगा। स्थल के मुकदमें की वस्तुस्थिति को उपलब्ध कराने की व्यवस्था भूमि प्रबंधन विभाग द्वारा की जाएगी । प्रत्येक प्लाट को भूमि उपयोग के साथ कोड नम्बर दिया जाएगा । सभी खाली पड़े बड़े प्लाटों को उचित सीमांकन के साथ इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया जाएगा । छोटे खाली प्लॉटों का निपटारा तुरंत किया जाएगा ।

iii) पहले, अतिक्रमण हटाने के लिए निर्माण कार्य गिराने हेतु दि.वि.प्रा. के विभिन्न भू–स्वामित्व विभागों द्वारा कोई मानक एवं व्यापक फोर्मट का अनुसरण नहीं किया जा रहा था । एक विस्तृत मानक फॉर्मेट तैयार किया गया है जिसे विभाग के संबंधित अधिकारी द्वारा निर्माण कार्य गिराने के कार्यक्रम के निष्पादन हेतु अनुरोध भेजते समय भरना अपेक्षित है।

3. दि.वि.प्रा. की भूमि पर अतिक्रमण की निगरानी हेतु मोबाइल फोन पर आधारित एप्लीकेशन का विकास

i) दि.वि.प्रा. की भूमियों के निरीक्षण के लिए उत्तरदायी फील्ड स्टाफ को एन्ड्रायड आधारित फोन उपलब्ध कराया गया है और स्थलों के फोटोग्राफ, जिनमें फोटोग्राफ की तिथि सहित लोंगिट्यूड और लेटीट्यूड को दर्शाने की भी व्यवस्था होगी, को अपलोड करने हेतु एप्लीकेशन को विकसित किया गया है । निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा स्थल पर स्वयं की एक सेल्फी अपलोड करना अपेक्षित है। इन सभी फोटोग्राफों को एप्लीकेशन पर पोस्ट करना अपेक्षित है ।

ii) शहरी विकास संबंधी संसदीय स्थाई समिति ने दिनांक 12.10.2015 को हुई अपनी बैठक में मोबाइल आधारित एप्लीकेशन के संबंध में दि.वि.प्रा. द्वारा किए गए प्रयासों और दि.वि.प्रा. की भूमियों में अतिक्रमण की निगरानी के लिए, इसके खाली प्लॉटों की सूची बनाने के प्रयास की सराहना की है । स्थाई समिति ने बैठक के दौरान के.लो.नि.वि. से, इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली भूमियों की सुरक्षा के लिए, दि.वि. प्रा. द्वारा किए गए प्रयासों को अपनाने के लिए कहा ।

4. भूमि प्रबंधन विभाग के पर्यवेक्षक स्टॉफ को सुदृढ़ बनाना

i) भूमि निपटान एवं आवास विभागों के प्रवर्तन विंग को समाप्त कर दिया गया है और कार्य को ज़ोनल मुख्य अभियंताओं की क्विक रेस्पोन्स टीमों (क्यू.आर.टी.) को अंतरित कर दिया गया है। भूमि सुरक्षा के उद्देश्य हेतु भूमि प्रबंधन विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रवर्तन विंग से सर्वेक्षण और इंजीनियरिंग संवर्ग के 29 कर्मचारियों को यहां पुनः तैनात किया गया है ।

5. फील्ड स्तर के अधिकारियों का बारी–बारी से स्थनांतरण

i) पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, सहायक निदेशकों, सहायक अभियंताओं, कनिष्ठ अभियंताओं और सर्वेक्षकों सहित भूमि प्रबंधन विभाग के सभी फील्ड स्तरीय अधिकारियों को जिन्हें अपने वर्तमान तैनाती स्थल पर एक वर्ष से अधिक हो गया था, उन्हे स्थानांतरित कर दिया गया है । भूमि प्रबंधन विभाग के सभी सुरक्षा गार्ड जो लंबे समय से उसी जोन में तैनात थे, उन्हें भी स्थानांतरित कर दिया गया है ।

6. इंजीनियरिंग विभाग की खाली पड़ी भूमियों का अंतरण

i) यह निर्णय लिया गया है कि भूमि प्रबंधन विभाग की सभी खाली पड़ी भूमियों को स्थल के उचित सीमांकन के बाद दिनांक 1 दिसम्बर 2015 से इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दिया जाएगा। खसरा सं., स्थलों के लोंगिट्यूड और लेटीट्यूड आदि के विवरण का, सौंपने / ग्रहण करने के रिकार्डों में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा । इसके अतिरिक्त स्थल का सीमांकन होने के बाद सौंपने / ग्रहण करने का कार्य आयुक्त (भूमि प्रबंधन) और मुख्य अभियंता (मुख्यालय) के बीच होगा ।

7. बढ़े हुए मुआवजे का भुगतान

I) कोर्ट के आदेशों के अनुसार भूमि अधिग्रहण के लिए बढ़े हुए मुआवजे के भुगतान में विलंब हो गया है क्योंकि दि.वि.प्रा. द्वारा एल.ए.सी. और एल एवं बी विभाग रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार से समय से मांग प्राप्त नहीं हुई । इसके कारण, दि.वि.प्रा. को व्यर्थ ही बढ़े हुए मुआवजे के घटक पर पर्याप्त ब्याज का भुगतान करना पड़ता है । दिनांक 09.11.2015 को उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में एल.ए.सी. एवं एल. एण्ड बी. विभाग रा.रा.क्षे.दि. सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई थी और एल.ए.सी. एवं एल.एंड.पी. विभाग, रा.रा.क्षे.दि. सरकार द्वारा बढ़ाए हुए मुआवजे के मामले की जाँच को सरल बनाने और समयबद्ध तरीके से दि.वि.प्रा. को इन डिमांडों को भेजने के लिए, ताकि व्यर्थ ही ब्याज घटक के भुगतान से बचा जा सके , के लिए विस्तृत समय–घटनाक्रम और प्रक्रियाओं पर निर्णय लिया गया ।

मार्च 2016 तक भूमि प्रबंधन विभाग से संबंधित वास्तविक प्रगति (वास्तविक एवं वित्तीय दोनों)

कार्य	उपलब्धि
क) रा.रा.क्षे.दि.सरकार के एल.ए.सी./एल.एवं बी. विभाग द्वारा दि.वि.प्रा. को सौंपी गई भूमि	शून्य
ख) क्षति की वसूली	₹ 5,04,38,767/–
(ग) जारी किया गया मुआवजा	₹ 19,62,398/–
(घ) जारी किया गया बढ़ा हुआ मुआवजा	₹ 1,75,64,06,856/–
(ङ) निर्णीत बेदखली के मामले	408
(च) समाधान कार्य पूर्ण हो चुका है और इसकी प्रमाणिकता हेतु इसे एल.ए.सी. को सौंप दिया गया है।	• दक्षिणी दिल्ली : 171 अवार्ड • दक्षिणी पश्चिमी : 49 अवार्ड • उत्तरी दिल्ली : 86 अवार्ड • पूर्वी दिल्ली : 80 अवार्ड
(छ) भूमि रिकार्डो का स्कैनिंग कार्य	स्कैन करने का काम पूरा हो चुका है।
(ज) दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर फोटोग्राफ सहित भूमि की वस्तुस्थिति	• दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर फोटोग्राफ सहित एम.ओ.आर. की कुल भूमि को अपलोड कर दिया गया है। • दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर फोटोग्राफ सहित सभी ज़ोनों की भूमि के लगभग 628 प्लॉटों को अपलोड कर दिया गया है। • शेष बची खाली भूमि से संबंधित फोटोग्राफ के अपलोडिंग का काम प्रगति पर है।

जसोला स्थित दि.वि.प्रा. पार्क

12.2 भूमि निपटान विभाग

भूमि निपटान विभाग आवासीय, सांस्थानिक, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्लॉटों के निपटान का कार्य करता है । भूमि निपटान विभाग द्वारा निर्मित दुकानों का भी निपटान किया जाता है। नीलामी / निविदा द्वारा आवंटन किया जाता है। किसानों से ली गई भूमि के बदले में उनकी वैकल्पिक प्लॉट आवंटित करने का कार्य भी भूमि निपटान विभाग द्वारा किया जाता है । वर्ष 2015–16 के दौरान भूमि निपटान विभाग के विभिन्न अनुभागों की उपलब्धियां निम्नलिखित हैंः–

क्र. सं.	मद	जी.एच.	सी. एस.	एल.एस.बी. (आर.ओ.)	एल.ए.बी. (आर.ओ.)	सी. ई.	सी. एल.	एल.एस. बी.–1	आई.एल.	ओ.एस. बी.	एल.पी. सी.	एल.ए. आवासीय	कुल
1.	वर्षिक प्राशुल्क (आंकड़े, करोड़ रू. में)	–	शून्य	160	भूभाटक– 1.61	48	584	61.76	18.26 भूभाटक=2.19	5.81	9.95 एवं 0.30 (कियोस्क)	3.77 संघटन शुल्क=9.2	893.46 भूभाटक= 3.80 संघटन शुल्क=0.92
2.	परिवर्तन के मामले एवं निष्पादित की गई हस्तांतरण विलेख	7565	256	–	1587	450	134	725	–	245	–	351	11313
3.	नामांतरण परिवर्तन की अनुमति दी गई	295	65	लगभग 1000	191	46	38	94	शून्य	23	–	76	1823
4.	पट्टा विलेख निष्पादित किए गए	शून्य	02	–	1770	–	98	शून्य	6	01	–	254	2131
5.	कब्जा पत्र जारी किए गए	शून्य	शून्य	लगभग 6500	–	–	–	शून्य	8	02	–	12	6522
6.	समयावधि को बढ़ाया गया	शून्य	01	–	204	–	261	01	7	शून्य	–	27	501
7.	बंधक रखने की अनुमति प्रदान की गई	शून्य	–	–	–	–	27	–	1	शून्य	–	01	29
8.	निपटान किए गए आर.टी.आई.मामले	60	195	–	103	300	229	240	170	168	–	258	1723
9.	उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस	शून्य	01	–	130	120	21	–	3	–	–	15	290
10.	रद्दकरण	शून्य	–	–	–	–	–	शून्य	शून्य	–	–	–	–
11.	बहालीकरण	शून्य	शून्य	–	01	–	–	शून्य	शून्य	–	–	–	01
12.	नीलामी / वैकल्पिक आवंटन द्वारा किया गया आवंटन	शून्य	–	–	–	–	–	–	शून्य	–	–	शून्य	–
13.	टिप्पणियां	व्यावसायिक संपदा ई–निविदा के माध्यम से 174 इकाइयां निपटाई गई एलएसबी (रोहिणी) 2015–16 के दौरान प्लॉटों का आबंटन–06 एलपीसीः निविदाओं द्वारा पार्किंग का आवंटन–21 कियोस्क का आवंटन–17 एल.ए.बी. (आव.) कीमतों द्वारा आरक्षित मूल्य के नियतन के परिणाम स्वरूप पिछले 5 वर्षों के दौरान कोई नीलामी नहीं हुई ।											

सी डी – हस्तांतरण विलेख

जी.एच – समूह आवास

सी.एस – सहकारी समिति

एलएसबी (आर. ओ) – भूमि विक्रय शाखा (रोहिणी)

एलएबी (आर. ओ) – पट्टा प्रशासन शाखा (रोहिणी)

सी ई – व्यावसायिक संपदा

सी एल – व्यावसायिक भूमि

एल एस बी आई – भूमि विक्रय शाखा (औद्योगिक)

आई एल – सांस्थानिक भूमि

ओ एस बी – पुरानी योजना शाखा

एल पी सी – लाइसेंस संपत्ति सैल

एल ए (आवासीय) – पट्टा प्रशासन (आवासीय)

खेल विभाग 13

13.1 दिल्ली मुख्य योजना–2001 के प्रावधानों के अनुसार, दि.वि.प्रा. ने दिल्ली के सभी क्षेत्रों (ज़ोनों) में खेल परिसरों का विकास किया है । पहला खेल परिसर सीरी फोर्ट में 1989 में खोला गया था और उसके बाद चौदह अन्य परिसरों तथा दो गोल्फ कोर्सों का विकास किया गया है ।

राष्ट्रमंडल खेल–2010 के लिए, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीरी फोर्ट में स्क्वैश और बैडमिन्टन के लिए यमुना खेल परिसर में तीरन्दाजी और टेबल टेनिस के लिए स्टेडियमों का विकास किया । इन दोनों स्टेडियमों का उपयोग क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंटों को आयोजित करने के लिए किया जा रहा है और ये स्टेडियम जनता द्वारा उपयोग के लिए भी उपलब्ध हैं ।

यद्यपि ये खेल परिसर सदस्यता आधारित होते हैं, जिनमें केवल खेलने के अधिकार है । कोई भी व्यक्ति निर्धारित राशि का भुगतान करके इन सुविधाओं का उपयोग कर सकता है । विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यालयों, खेल संघों और एसोसिएशनों के लिए विशेष छूट उपलब्ध है।

खेल परिसर विशेष तौर से खेल संबंधित गतिविधियों एवं सुविधाओं के लिए समर्पित हैं जिनमें 20 से अधिक खेल खेलने की सुविधाएं प्रदान की गई हैं ।

13.2 खेलकूद आधारिक संरचना

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित खेलकूद आधारिक संरचना निम्न प्रकार हैः–

सुविधा	विवरण
खेल परिसर	15 (दक्षिण में 5, पूर्व में 4 और उत्तर एवं पश्चिम में तीन–तीन)
लघु खेल परिसर	3 (दक्षिण में मुनीरका, पूर्व में कांति नगर और पश्चिम में प्रताप नगर)
तरण ताल (स्वीमिंग पूल)	17 (वर्ष भर उपयोग में आने वाले तीन पूल सहित)
खेल परिसरों में फिटनेस सेंटर	18 (महिलाओं के लिए विशेष रूप से 1 सहित)
हरित क्षेत्रों में मल्टी–जिम	21 (महिलाओं के लिए विशेष रूप से 1 सहित)
लघु फुटबाल मैदान	10 (हरित क्षेत्रों में 2 और खेल परिसरों में 8) ।
गोल्फ–कोर्स	2–कुतुब (18 होल) और भलस्वा (9 होल) ।
लघु गोल्फ–कोर्स	1 (सीरी फोर्ट)
गोल्फ ड्राइविंग रेंज	3 (सीरी फोर्ट, कुतुब एवं भलस्वा गोल्फ कोर्स)

13.3 सदस्यता की स्थिति / उपयोगिता

31 मार्च, 2016 तक, सभी खेल परिसरों और गोल्फ कोर्सों में विभिन्न श्रेणियों में सदस्यों की संख्या कुल 63612 थी । इनमें आकस्मिक सदस्य, अतिथि आदि शामिल नहीं हैं । लगभग 52000 व्यक्ति प्रतिदिन आधार पर इन सुविधाओं का उपयोग करते हैं । इसके अतिरिक्त खेल संघों द्वारा प्रशिक्षण एवं खेलकूद प्रतिस्पर्धाएं आयोजित करने के लिए इन सुविधाओं का उपयोग किया जाता है ।

जसोला स्थित दि.वि.प्रा. नेताजी सुभाष खेल परिसर

13.4 खेलकूद गतिविधियाँ

13.4.1 टूर्नामेंट्स

खेल विंग द्वारा 1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 तक आयोजित किए गए मुख्य टूर्नामेंट निम्नलिखित हैं:–

आयोजन	तिथियाँ	परिसर का नाम	टिप्पणियाँ
बैसाखी कप	05.04.2015	भलस्वा गोल्फ कोर्स	36 खिलाड़ी
मैत्री गोल्फ टूर्नामेन्ट	04.12.2015	कुतुब गोल्फ कोर्स	–
हिन्दू एलूमनी गोल्फ टूर्नामेन्ट	12.12.2015	कुतुब गोल्फ कोर्स	–
प्रीमियर बैडमिन्टन लीग	06.01.2016 से 08.01.2016 16.01.2016 से 17.01.2016	स्क्वैश एवं बैडमिन्टन स्टेडियम	60 खिलाड़ी 6 टीम
एच.डी.एफ.सी. बैंक क्रिकेट, टेबल टेनिस, बैडमिन्टन, फुटबाल टूर्नामेन्ट	09.02.2016 तथा 10.02.2016	सीरी फोर्ट खेल परिसर	–
16वां लेफ्टिनेंट गवर्नर (एल.जी.) कप 2016	12.02.2016 से 14.02.2016	कुतुब गोल्फ कोर्स	–
वी.सी. कप क्रिकेट टूर्नामेन्ट	14.02.2016 तथा 28.02.2016	सीरी फोर्ट खेल परिसर	6 टीमें
आई बी सी–1	20.02.2016	स्क्वैश एवं बैडमिन्टन स्टेडियम	12 खिलाड़ी
चौथा वी सी कप	27.02.2016	भलस्वा गोल्फ कोर्स	88 खिलाड़ी
योनेक्स सनराइज इंडिया सुपर सीरीज–2016	29.03.2016 से 03.04.2016	स्क्वैश एवं बैडमिन्टन स्टेडियम	25 देशों के 273 खिलाड़ी

13.4.2 खेलकूद समारोह

खेलकूद समारोह सदस्यों ओर उनके परिवारों को खेल में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करता है और यह सभी परिसरों में वार्षिक रूप से मनाया जाता है । सभी आयु वर्गों में टेनिस, स्क्वैश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बिलियर्ड्स आदि जैसे व्यक्तिगत खेलों के टूर्नामेन्टों का आयोजन किया जाता है ।

उसके साथ ही प्रत्येक परिसर समारोह के भाग के रूप में विद्यालय अथवा राज्य स्तरीय टीम खेलों हेतु आमंत्रण टूर्नामेन्टों का आयोजन भी करता है और विजेता खिलाडी दि.वि.प्रा. द्वारा आयोजित किए जाने वाले आमंत्रण टूर्नामेंटों में भाग लेते है ।

13.4.3 प्रशिक्षण (कोचिंग)–

सभी खेल परिसरों में विभिन्न खेलों जैसे–क्रिकेट, टेनिस, बैडमिन्टन, स्केटिंग, एरोबिक्स, ताइक्वांडो इत्यादि के लिए नियमित कोचिंग का आयोजन किया गया। पेशेवर प्रशिक्षकों (कोच) द्वारा 156 से भी अधिक व्यक्तिगत कोचिंग योजनाओं को चलाया जा रहा है और लगभग 6000–7000 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। विभिन्न खेलों में समाज के कमजोर वर्गों के लगभग 240 से अधिक प्रतिभाशाली प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है ।

ग्रीष्मकालीन कोचिंग–

विद्यालयों/महाविद्यालयों के ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान सभी खेल परिसरों में विशेष ग्रीष्मकालीन कोचिंग कैम्प (शिविरों) का आयोजन भी किया गया ।

13.5 गोल्फ को प्रोत्साहन

कुतुब गोल्फ कोर्स, लाडो सराय भारत का पहला पब्लिक गोल्फ कोर्स है जिसने व्यस्त समय में सप्ताह के अंत में लगभग 300 राउंड खेलने के कारण बहुत लोकप्रियता हासिल की । भलस्वा में एक अन्य 9 होल पब्लिक गोल्फ कोर्स ने गोल्फ के खेल को उत्तरी, पश्चिमी और पूर्वी दिल्ली वासियों के लिए सुलभ बनाया ।

सीरी फोर्ट खेल परिसर में निर्मित मिनी गोल्फ कोर्स भी बहुत लोकप्रिय है और यह अधिक उपयोग किया जाने वाला गोल्फ कोर्स है।

सीरी फोर्ट, कुतुब और भलस्वा गोल्फ कोर्स में गोल्फ ड्राइविंग रेंज का उपयोग शौकीनों, नौसिखियों और पेशेवरों द्वारा अपने खेल को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर किया जाता है ।

13.5.1 गोल्फ कोचिंग

वर्ष के दौरान कुतुब गोल्फ कोर्स द्वारा एक कोचिंग कैम्प आयोजित किया गया ।

13.5.2 गोल्फ टूर्नामेन्ट

कुतुब गोल्फ कोर्स कॉर्पोरेट्स द्वारा प्रायोजित विभिन्न आमंत्रण गोल्फ टूर्नामेंट्स का आयोजन करता है । गोल्फ के सीजन में प्रतिमाह ऐसे दो टूर्नामेंटों को आयोजित किया जाता है । इसके अतिरिक्त भलस्वा गोल्फ कोर्स द्वारा उसके सदस्यों के लिए दो मेडल राउंड आयोजित किए गए ।

13.6 खेलकूद प्रोत्साहन योजनाएं

दि.वि.प्रा. एथलीट, फुटबॉल, जिमनास्टिक तथा तीरंदाजी की चार खेलकूद प्रोत्साहन योजनाएं ज़मीनी स्तर पर इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए आयोजित कर रहा है । ये योजनाएं पूरी तरह से दि.वि.प्रा. द्वारा सहायता प्राप्त है और विशेषज्ञ सलाहकारों और अनुभवी प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन में आयोजित की जाती है ।

13.6.1 एथलेटिक्स प्रोत्साहन योजना (ए.पी.एस.)

ए.पी.एस. वर्ष 2001 से सफलतापूर्वक चलाई जा रही है । वर्तमान में 14 वर्ष से कम एवं 19 वर्ष से कम आयु समूह के 36 एथिलीट्स–लड़के और लड़कियां दोनों, अपने अपने खेलों का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं । योजनाओं के प्रशिक्षुओं ने विभिन्न राज्य, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भाग लिया और दि.वि.प्रा. के लिए ख्याति अर्जित की । कुछ उपलब्धियाँ निम्नानुसार है :–

- 08.05.2015 से 11.05.2015 तक दोहा (कत्तर) में हुए प्रथम एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, तेजस्विन शंकर ने ऊँची कूद में कांस्य पदक जीता ।
- वुहान (चीन) में वर्ल्ड स्कूल गेम्स में , तेजस्विन शंकर ने स्वर्ण पदक जीता ।
- 05.09.2015 से 12.09.2015 तक सेमोआ में हुए राष्ट्रमंडल युवा खेल 2015 में, तेजस्विन शंकर ने ऊँची कूद में स्वर्ण पदक जीता ।
- 29.01.2016 से 02.02.2016 तक कोझीकोड (केरल) में हुए नेशनल स्कूल गेम्स में ऊँची कूद में तेजस्विन शंकर ने एक नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया ।
- 09.02.2016 से 12.02.2016 तक गुवाहाटी में हुए एशियन इनडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राहुल ने 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता ।
- 29.01.2016 से 02.02.2016 तक कोझीकोड (केरल) में हुए नेशनल स्कूल गेम्स में वंशिका सेजवाल ने ऊँची कूद में एक नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया ।

13.6.2 फुटबॉल प्रोत्साहन योजनाएं (एफ पी एस)

एफ.पी.एस. 2002 से सफलतापूर्वक चल रही है । नए प्रशिक्षु के लिए 17 ओर 18 अक्टूबर, 2015 को सीरीफोर्ट खेल परिसर तथा 24 और 25 अक्टूबर, 2015 को यमुना खेल परिसर में खुली चयन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया । आरक्षित सहित कुल 50 प्रशिक्षुओं का चयन किया गया और 75 पुराने प्रशिक्षुओं को रखा गया । 45 प्रशिक्षु सीरी फोर्ट खेल परिसर ओर 16 प्रशिक्षु यमुना खेल परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियाँ निम्नलिखित है:–

- इकसठवें नेशनल स्कूल गेम्स में अंडर–14 में तीन प्रशिक्षुओं ने दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व किया ।
- होशियार पुर, पंजाब में आयोजित ए.आई.एफ.एफ. अन्डर–19 चैंपियनशिप में पांच प्रशिक्षुओं ने भाग लिया ।
- दिल्ली में आयोजित ए.आई.एफ.एफ. अन्डर–14 चैंपियनशिप में तीन प्रशिक्षुओं ने भाग लिया ।
- महाराष्ट्र में आयोजित सी.बी.एस.ई. टूर्नामेन्ट में दो प्रशिक्षुओं ने दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व किया ।
- सी.बी.एस.ई. ऑल इंडिया स्कूल गेम्स में एक प्रशिक्षु ने दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व किया ।
- राज कुमार को एफ सी एम ई टी जेड क्लब ऑफ फ्रांस में अल्प कालिक प्रशिक्षण के लिए चुना ।
- आयुष अधिकारी को जर्मनी में 6 वर्ष के निःशुल्क प्रशिक्षण हेतु चुना गया ।
- दो प्रशिक्षुओं ने एस.जी.एफ.आई. अंडर–19 नेशनल चैंपियनशिप में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व किया ।
- पांच प्रशिक्षुओं ने अन्डर–19 नेशनल चैंपियनशिप में दिल्ली राज्य का प्रतिनिधित्व किया।

13.6.3 जिमनास्टिक प्रोत्साहन योजना (जी पी एस):

दि.वि.प्रा. जिमनास्टिक्स प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 5 दिसम्बर, 2014 से यमुना खेल परिसर के इनडोर जिमनास्टिक्स हॉल में जिमनास्ट लडके और लडकियों के लिए कलात्मक जिमनास्टिक्स प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया । एक तकनीकी सलाहकार, 1 मुख्य कोच और 3 कोच जिमनास्ट्स को प्रशिक्षित करने के लिए नियुक्त किए गए । वर्तमान में 32 प्रशिक्षु परिसर में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

- 22.12.2015 से 27.12.2015 तक इंदिरा गांधी स्टेडियम, दिल्ली में आयोजित दिल्ली स्टेट जिमनास्टिक प्रतियोगिताओं में, दिविप्रा प्रशिक्षुओं ने 02 कांस्य पदक जीते ।
- 26.09.2015 से 27.09.2015 को इलाहाबाद में उत्तरी जोन में विद्या भारती स्कूल जिमनास्टिक प्रतियोगिता में दि.वि.प्रा. प्रशिक्षु हर्षिता भारती ने प्रथम स्थान प्राप्त किया । उन्होंने हैदराबाद में भी ऑल इंडिया नेशनल स्कूल गेम्स जिमनास्टिक प्रतियोगिता में भी क्वालिफाई किया ।

13.6.4 तीरंदाजी प्रोत्साहन योजनाः

दि.वि.प्रा. तीरंदाजी प्रोत्साहन योजना जुलाई, 2015 से प्रारंभ हुई। वर्तमान में यमुना खेल परिसर में 16 प्रशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं ।

योजना के अंतर्गत प्रशिक्षुओं की मुख्य उपलब्धियां निम्नलिखित हैं–

- 13 से 19 अक्टूबर, 2015 तक मेरठ में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 2 रजत पदक जीते ।
- 26 से 29 अक्टूबर, 2015 तक दि.वि.प्रा. यमुना खेल परिसर में आयोजित दिल्ली ऑलम्पिक चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 5 स्वर्ण पदक जीते ।
- 16 से 20 अक्टूबर, 2015 तक रांची में आयोजित स्कूल नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 1 रजत पदक और 1 कांस्य पदक जीता ।

- 17 से 22 दिसम्बर, 2015 को हंस राज कॉलेज में आयोजित दिल्ली स्टेट आर्चरी चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 12 स्वर्ण, 4 रजत और 1 कांस्य पदक जीता । तान्या बंसल को मिनी सब–जूनियर गर्ल्स इवेंट में तथा शांतनु आनंद को मिनी सब–जूनियर बॉयज इवेन्ट में उत्कृष्ठ तीरंदाज घोषित किया गया ।
- 07 से 16 जनवरी, 2016 तक गोवा में आयोजित सब–जूनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जीता ।
- 21 से 25 जनवरी, 2016 तक पटियाला में आयोजित ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 2 कांस्य पदक जीते ।
- 31 जनवरी से 05 फरवरी, 2016 तक विशाखापट्टनम में आयोजित मिनी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 2 कांस्य पदक जीते ।
- 10 से 18 फरवरी, 2016 तक झारखंड में आयोजित जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षुओं ने 1 कांस्य पदक जीता ।
- दि.वि.प्रा. के प्रशिक्षु अमन सैनी बैंकॉक में हुए जूनियर कोचिंग कैम्प के लिए चुने गए ।

13.7 दि.वि.प्रा., द्वारा खाली भूमि का खेलकूद सुविधाओं हेतु उपयोग

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपने ऐसे खाली प्लॉटों का उपयोग करने के लिए, जिनका अभी हाल ही में विकास उद्देश्य के लिए उपयोग अपेक्षित नहीं है, इन खाली भूमियों पर आस–पड़ोस में रहने वालों के लिए खेलने का मैदान विकसित करने के लिए प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की है । दि.वि.प्रा. बच्चों के निःशुल्क फुटबॉल, क्रिकेट तथा वॉलीबॉल के लिए खेल के साधन और फुटबॉल गोल पोस्ट, वॉलीबॉल पोल्स आदि खेल उपकरण प्रदान कर रहा है ।

मार्च, 2016 तक इन भूमि के अंतरिम उपयोग के रूप में दि.वि.प्रा. की खाली भूमि पर 5 खेल के मैदान शुरू किए गए है । 2016–17 में कई और विकसित किए जाएंगे ।

13.8 दि.वि.प्रा. को खेलो के प्रोत्साहन हेतु पुरस्कार

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने 22 फरवरी, 2016 को दिल्ली विकास प्राधिकरण को सार्वजनिक क्षेत्र में खेल को प्रोत्साहित करने के लिए एक स्पेशल रीकॉगनिशन पुरस्कार दिया है । यह एक अखिल भारतीय वार्षिक पुरस्कार है । यह प्रतिस्पर्धा बहुत कठिन थी क्योंकि रेलवे और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों तथा खेलों के विकास के लिए उचित वार्षिक बजट वाली एजेंसियाँ जिनके पास विभिन्न टूर्नामेन्टों और चैम्पियनशिपों में उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए खिलाड़ियों की भर्ती हेतु अलग बजट होता है, सहित विभिन्न सरकारी विभाग भी शामिल थे ।

राष्ट्रीय स्वाभिमान खेल परिसर, पीतमपुरा में दि.वि.प्रा. का फुटबॉल मैदान

14 कोटि आश्वासन कक्ष

14.1 ''ग्राहक ही सर्वोपरि है और वह लाभान्वित होना चाहिए'' को ध्यान में रखते हुए दि.वि.प्रा. ग्राहकों को उचित कीमत पर गुणवत्ता युक्त उत्पाद प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता को मात्र दि.वि.प्रा. के सेवा करने वाले विभिन्न अनुभागों में ही सुनिश्चित नहीं किया जाता, बल्कि इंजीनियरिंग और उद्यान विंग के सभी निर्माण एवं विकास कार्यों में भी सुनिश्चित किया जाता है ।

14.2 निर्माण की कोटि के पर्यवेक्षण और मॉनिटरिंग का कार्य क्षेत्रीय स्तर पर कनिष्ठ अभियंताओं एवं अधिशासी अभियंताओं द्वारा नियमित रूप से किया जाता है और आंतरिक रूप से अधीक्षण अभियंता/मुख्य अभियंताओं के स्तर पर भी नियमित जाँच की जाती है और बाहरी रूप से दि.वि.प्रा. के कोटि नियंत्रण कक्ष के स्तर पर उन कार्यों की समय–समय पर निरीक्षण करके भी जाँच की जाती है । जहां तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन (टी.पी. क्यू.ए.) शामिल नहीं है वहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य, ठेके की शर्तों, विनिर्दिष्टयों और ड्राइंगों के अनुसार किया जा रहा है । जहां तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन एजेंसी शामिल हैं, वहां तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन की उपस्थिति में केवल प्रतिनिधि सेम्पल लिए जाते है ।

14.3 कोटि आश्वासन कक्ष का गठन वर्ष 1982 में किया गया था, जिसमें 9 कनिष्ठ अभियंता, 10 सहायक अभियंता (8 सिविल और 2 विद्युत), 7 अधिशासी अभियंता (6 सिविल और 1 विद्युत), एक उप निदेशक (उद्यान) और एक सहायक निदेशक (उद्यान) और एक अधीक्षण अभियंता शामिल हैं । कोटि आश्वासन कक्ष के प्रमुख मुख्य अभियंता होते हैं । कोटि आश्वासन की यह इकाई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रही है , जो सामग्री और कारीगरी को कोटि ही नहीं देखती है बल्कि प्लानिंग, डिजाइनिंग, कॉन्ट्रेक्ट डॉक्युमेंट्स, विनिर्दिष्टियों आदि की कोटि का भी निरीक्षण करती है, और समय–समय पर दिशा–निर्देश परिपत्र आदि जारी करती है । तृतीय पक्ष कोटि आश्वासन एजेंसियों द्वारा दी गई टिप्पणियों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा परिपत्र संख्या 213 जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि कोटि आश्वासन कक्ष टी.पी.क्यू.ए. की निरीक्षण रिपोर्टों की निगरानी भी करें ।

बड़े कार्यों के लिए तृतीय पक्ष निरीक्षण प्रणाली आरंभ की गई है और सी.आर.आर.आई., ए.सी.सी.बी.एम., आई.आई.टी., आर. आई.टी.ई.एस., श्री राम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च आदि एजेंसियाँ परामर्श दाताओं के रूप में अनुबंधित की गई हैं। कार्यों को करने में प्रयोग की जाने वाली सामग्री के कुल सैम्पलों के 10 प्रतिशत को लेकर कोटि आश्वासन कक्ष स्वयं तृतीय पक्ष के साथ आवश्यक जाँच करते है ताकि सामग्री की कोटि सुनिश्चित की जा सके ।

14.4 कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा मुख्य परियोजनाओं की जाँच कम से कम दो स्तरों अर्थात फाउन्डेशन स्तर और सुपर स्ट्रक्चर स्टेज पर तथा तीसरी बार अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा. के अनुमोदन से अथवा कोई शिकायत मिलने पर की जाती है । कार्य पद्धति के पहलू, सामग्री के पहलू और कारीगिरी के पहलू के तहत रिकॉर्डस के रखरखाव पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसकी कोटि लेखा परीक्षा के दौरान विधिवत जांच की जाती है यदि कोई कमी पाई जाती है तो उस उपयुक्त और प्रभावी प्रशासनिक/संविदात्मक कार्रवाई और नैदानिक उपायों हेतु अविलंब संबंधित अधिकारी के ध्यान में लाया जाता है और टिप्पणियों के अनुपालन पर कड़ी निगरानी रखी जाती है । कोटि आश्वासन कक्ष को कार्य सलाहकार बोर्ड द्वारा दि.वि.प्रा. की प्रमुख परियोजनाओं में विविध फैक्ट्रियों में निर्मित सामग्रियों का निरीक्षण करने एवं सड़क निर्माण कार्य में मिट्टी के स्तरों की समुचित रिकार्डिंग को सुनिश्चित करने का कार्य भी सौंपा गया है ।

14.5 अपनाई गई विनिर्दिष्टयों और प्रौद्योगिकियों की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है और वर्तमान आवश्यकताओं और पर्यावरणीय जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयुक्त संशोधन किया जाता है । नई निर्माण सामग्री के उपयोग, नई तकनीकों जैसे आवासीय परियोजनाओं में प्रीफैब तकनीक, मिश्रित डिजाइन के प्रयोग/आर.एम.सी. आदि का उपयोग करने को बढ़ावा दिया गया है । कार्य की कोटि के मामले में समझौता किए बिना, समय और लागत पर नियंत्रण किया जाता है । कार्यात्मक आवश्यकताओं सौन्दर्य और भवन की संरचनागत मजबूती की प्रभावकारी रूप से निगरानी की जाती है । प्रीफैब तकनीक से बने 18,600 ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है और इनका आवंटन किया जा चुका है । उत्तरी ज़ोन में विभिन्न श्रेणियों के 24,660 एल.आई.जी. तथा 4855 ई. डब्ल्यू.एस. आवासों 5173 बहुमंजिला आवासों, द्वारका में विभिन्न श्रेणियों के 2138 बहुमंजिला आवासों तथा दक्षिण ज़ोन में विभिन्न श्रेणियों के 3000 बहुमंजिला आवासों का कार्य प्रगति पर है और इसे समयबद्ध तरीके से पूरा कर लिये जाने की संभावना है ।

14.6 दि.वि.प्रा. सेवाओं और कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने में लगातार प्रयास कर रहा है । विभिन्न निरीक्षणों के दौरान फील्ड स्टाफ के साथ बातचीत की जाती हैं, ताकि गुणवत्ता में सुधार हेतु विविध सुझाव सामने आ सकें । उनकी दक्षता में सुधार हेतु संचालित किए जाने वाले रिफ्रेशर पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कोटि आश्वासन कक्ष के अधिकारियों और अन्य इंजीनियरिंग स्टाफ को नियमित रूप से भेजा जाता है।

14.7 लम्बे समय से लंबित कोटि आश्वासन के पैरा का निपटान करने और 31.03.2015 तक के मामलों को समाप्त करने के लिए कोटि आश्वासन कक्ष द्वारा एक अभियान चलाया गया । जिन पैरा में कोई वित्तीय अड़चन नहीं थी, उनका निपटान किया गया और काफी मामलों को बंद कर दिया गया । परिणामस्वरूप, काफी संख्या में मामले अंतिम चरण में पहुँच गए है । प्रक्रियात्मक पैरा को निपटाने के लिए जोनल मुख्य अभियंताओं को क्षेत्राधिकार सौंपने के प्रयास किए गए। कोटि आश्वासन कक्ष ने केवल उन्हीं पैरा को रखा, जिनमें वित्तीय अड़चन थी अथवा जिनमें विशेष महत्वपूर्ण तकनीकी मामला शामिल था । कोटि आश्वासन कक्ष ने अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्रीय अभियंताओं तथा निरीक्षण के दौरान अभियंताओं के बीच बातचीत में सलाहकार के रूप में भूमिका निभाई है ।

14.8 जब कभी भी उपाध्यक्ष अभियंता सदस्य और सतर्कता कक्ष के माध्यम से शिकायतें प्राप्त होती हैं तो कोटि आश्वासन कक्ष के माध्यम सें जाँच कराई जाती है और यदि कोई सतर्कता संबंधी बात शामिल होती है, तो सतर्कता कक्ष द्वारा उस पर ध्यान दिया जाता है ।

14.9 कार्यों के लिए सामग्री का चयन, प्रतिनिधिक नमूनों को एकत्र करना और प्रतिष्ठित तथा विश्वसनीय लैब में इसकी जांच कराया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है । कोटि आश्वासन कक्ष के एशियन गेम्स विलेज कॉम्प्लेक्स में साधनों से सज्जित एक जांचलैब को दो सहायक अभियंताओं और दो कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा संचालित किया जाता है । इस लैब में विभिन्न सामग्रियों के लिए परीक्षण सुविधाएं उपलब्ध हैं । यद्यपि फील्ड स्टाफ द्वारा स्थल की दैनिक रूप से जांच की जाती है। निरीक्षण के दौरान कोटि आश्वासन टीम द्वारा एकत्रित यादृच्छिक नमूनों की अक्सर इस लैब में जांच कराई जाती है । कुल मिलाकर लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए जांच की वर्तमान पद्धति को सरल एवं कारगर बनाया गया है और इस संबंध में संशोधित निर्देशन जारी किए जा रहे हैं अन्य लैबों में कम से कम 10 प्रतिशत नमूनों को जाँच के लिए देने पर बल दिया जाता है । जैसे श्री राम टैस्ट हाऊस , एन.टी.एच., दिल्ली टैस्ट हाऊस, अनेक निजी जांच प्रयोगशालाएं आदि भी सामग्रियों की जांच के लिए दि.वि.प्रा. के पैनल में है ।

14.10 दि.वि.प्रा. के कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस. / आई.एस.ओ., 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त किया है । कोटि आश्वासन कक्ष ने आई.एस.ओ., 9001:2008 की कोटि प्रबंध प्रणाली जो संघटनात्मक प्रोफाइल, कोटि प्रबंध, प्रशासन कोटि नीति और कोटि उद्देश्य, कोटि प्रबंध प्रणाली, प्रबंध दायित्व, साधन प्रबंध, सर्विस रियलाइजेंशन आदि को बेहतर बनाने पर जोर देती है ,की पद्धति के अनुसार कोटि प्रणाली और संकलित कोटि मैन्युअल में सुधार लाने के लिए संगठित प्रयास किए हैं । सभी अपेक्षित मानदण्डों को पूरा किए जाने के बाद ही दि.वि.प्रा. कोटि आश्वासन कक्ष को आई.एस/ आई.एस.ओ., 9001:2008 लाइसेंस प्राप्त हुआ और भारतीय मानक ब्यूरो (बी. आई.एस.) दि.वि.प्रा. द्वारा अंगीकृत गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली से संतुष्ट था। भारतीय मानक ब्यूरो (ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैंडर्डज) ने मार्च 2007 में दि.वि.प्रा. को आई.एस. / आई.एस. ओ., 9001:2000 के लिए ''कोटि प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन लाइसेंस सी.आर.ओ. / क्यू.एस.सी. / एल–8002720'' प्रदान किया। प्रत्येक वर्ष प्रमाणीकरण की समीक्षा की जाती है और प्रत्येक तीन वर्ष बाद इसका नवीकरण किया जाता है। इसका पिछली बार 23.09.13 को नवीकरण किया गया और यह दिनांक 30.03.16 तक वैध है । इसके अतिरिक्त लाइसेंस का नवीनीकरण प्रक्रियाधीन है ।

14.11 पिछले दो वर्षों के लिए उपलब्धियों के तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2015–16 के दौरान उपलब्धियों तथा वर्ष 2016–17 के लिए लक्ष्य निम्नानुसार है :

तालिका

क्र. सं.	विवरण	2013–14	2014–15	2015–16		2016–17 के लिए लक्ष्य
				लक्ष्य	उपलब्धियां	
1.	निरीक्षण	122	161	150	132	187
2.	तकनीकी लेखा परीक्षा	2	3	7	2	7
3.	सी.टी.ई.टाइप निरीक्षण	1	1	7	–	7
4.	सामग्रियों के नमूने	254	548	500	492	258
5.	फाइलें बंद करना	168	122	129	97	200
6.	शिकायतों की जांच	34	66	जब और जैसे प्राप्त	57	जब और जैसे प्राप्त
7.	क्यू.ए.लैब में सामग्रियों की जांच					
	i) निरीक्षण के दौरान क्यू.ए.सी.द्वारा इकट्ठा किए गए सैंपल	30	151	120	77	120
	ii) ज़ोनों से फील्ड स्टाफ द्वारा लाए गए सैम्पल	5763	6918	7500	6234	9200
8.	अचानक निरीक्षण	2	2	6	7	15

वित्त एवं लेखा विंग 15

15.1 बजट अनुभाग

यह दि.वि.प्रा. के वार्षिक बजट के संकलन और ज़ोनल केन्द्रीय लेखा इकाइयों/कार्यालयों को निधि जारी करने संबंधी कार्य करता है। बजटीय निर्धारण के संदर्भ में यह विभिन्न शीर्षों/परियोजनाओं के व्यय पर नियंत्रण रखता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए संशोधित बजट अनुमान और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बजट अनुमान को प्राधिकरण की दिनांक 11.03.2016 को आयोजित बैठक में प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया।

(i) वित्त वर्ष 2016–17 के लिए बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान तथा पिछले दो वर्षों के तुलनात्मक आँकड़े निम्नानुसार हैं: (आँकड़े करोड़ ₹ में)

प्राप्ति

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान
2014-15	6201.32	5216.53
2015-16	8969.93	6472.36
2016-17	8530.18	--

भुगतान

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित बजट अनुमान
2014-15	6172.52	5172.98
2015-16	8934.96	6423.95
2016-17	8485.13	--

(ii) 31.03.2016 तक केन्द्रीय लेखा इकाइयों/फ्लाईओवर इत्यादि को जारी निधि। उपलब्धियों के तुलनात्मक आँकड़े (आँकड़े करोड़ ₹ में)

	2013–14	2014–15	2015–16
कार्य (स्टोर सहित)	2100.77	1919.10	2733.42
फ्लाई ओवर (यू.डी.एफ. में से)	73.18	47.50	18.75
राष्ट्रमंडल खेल–2010	50.50	54.51	16.00
वेतन/अनुग्रह राशि इत्यादि	675.96	739.99	709.36
(क) अन्य विभागों को जारी निधि (यू.डी.एफ.में से)			
डी.यू.ए.सी./डी.यू.ए.आई.	–	4.74	–
उत्तर रेलवे	0.39	––	––
पी.डब्ल्यू.डी.	––	––	––
(ख) नजूल खाता–II में से			
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डी.एम.आर.सी.)	313.50	313.50	313.50
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.)	8.18	––	––
कुल	**3222.48**	**3079.34**	**3791.03**

टिप्पणी: दिल्ली मेट्रो रेल निगम को अनुदान देने के अतिरिक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से पिछले वर्षों में प्राप्त ₹ 38,65,80,000/– के अनुदान को ₹ 15,68,74,726/– (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को कुल ₹ 54,34,54,726/– का भुगतान किया गया) के ब्याज सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को लौटाया गया।

15.2 लेखा (मुख्य)

मुख्यालय का लेखा अनुभाग मुख्य रूप से प्राधिकरण के वार्षिक लेखों, जिनमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्राप्ति एवं भुगतान शामिल हैं, के संकलन का कार्य करता है ।

लेखों की स्थितिः

(क) वर्ष 2014–15 के लिए दि.वि.प्रा. की वार्षिक लेखों एवं लेखा –परीक्षा रिपोर्ट को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रमाणन के बाद प्राधिकरण की दिनांक 11.03.2016 को हुई बैठक में प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया गया । वर्ष 2015–16 के वार्षिक लेखे तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) फरवरी, 2016 तक के मासिक लेखों का संकलन हो चुका है ।

फरवरी, 2016 तक मासिक लेखों के संकलन के आधार पर निम्नलिखित मदों के संबंध में अद्यतन सूचना निम्नानुसार हैः–

पिछले 3 वर्षों की **प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है (राशि करोड़ ₹ में)** :–

प्राधिकरण के वार्षिक लेखा संकलन के अतिरिक्त यह विंग मुख्य लेखा अधिकारी, दि.वि.प्रा. की अध्यक्षता में बनी निवेश समिति और इसके

लेखा शीर्ष	प्राप्तियाँ			भुगतान		
	2013–14	2014–15	2015–16 फरवरी, 2016 तक	2013–14	2014–15	2015–16 फरवरी, 2016 तक
नजूल–I	5.13	20.33	13.72	29.58	28.55	7.03
नजूल–II	3094.81	2925.75	1861.53	3007.61	2433.66	1523.61
जी.डी.ए.	714.55	1377.78	2052.77	724.02	1583.52	2284.61
कुल	3814.49	4323.86	3928.02	3761.21	4045.73	3815.25

सदस्यों अर्थात् वित्त सलाहकार (आवास), निदेशक (वित्त), निदेशक (भूमि लागत निर्धारण), निदेशक (आई.ए.) की सिफारिशों के आधार पर सामान्य विकास खाता, नजूल खाता–II, यू.डी.एफ., पेंशन निधि ट्रस्ट, उपदान निधि ट्रस्ट तथा सामान्य भविष्य निधि आदि के अधीन निधियों के निवेश के कार्य को भी देखता है ।

15.3 पिछले 3 वर्षों के दौरान किए गए निवेश की स्थिति (आँकड़े करोड़ ₹ में)

मद	31.03.2014 को	31.03.2015 को	31.03.2016 को
सामान्य निवेश	(आँकड़े करोड़ रू. में)	(आँकड़े करोड़ रू. में)	(आँकड़े करोड़ रू. में)
क) नजूल–II	12770.00	12751.00	11169.51
ख) बीजीडीए	3415.24	3443.24	4965.51
ग) यूडीएफ	3191.00	3602.72	3944.00
कुल	**19376.24**	**19796.96**	**20079.02**
पेंशन फंड ट्रस्ट	60.11	820.84	111.60
उपदान निधि ट्रस्ट	85.08	134.95	116.81
सामान्य भविष्य निधि	177.37	233.82	263.90
लीव एन्कैशमेंट निधि	84.00	27.40	263.35
सेवा निवृति उपरांन्त चिकित्सा योजना	52.50	110.45	76.35

15.4 निदेशक (वित्त)– वर्ष 2015–16 के दौरान योजनाओं का वित्तीय अनुमोदन (आंकड़े करोड़ ₹ में)

मद	2013–14	2014–15	2015–16
विकास कार्य के लिए वित्तीय सहमति	1437.26	319.95	1060.69
आवास योजनाओं के लिए वित्तीय सहमति	1625.38	5792.11	22.11
कार्यालय बिल्डिंग के लिए वित्तीय सहमति	––	––	––
कुल	**3062.64**	**6112.06**	**1082.80**

15.5 कार्य लेखा परीक्षा कक्ष

कार्य लेखा परीक्षा कक्ष, सभी सात ज़ोनों के मासिक खातों के साथ प्रस्तुत किए गए वाउचरों की लेखा परीक्षा के पश्चात के कार्य को प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय संस्वीकृति तथा कार्य सलाहकार बोर्ड एजेंडा मदों यू.डी.एफ.एवं पेंशन/ पारिवारिक पेंशन मामलों के पूर्व लेखा की संवीक्षा के लिए प्रारंभिक अनुमोदन की वित्तीय सहमति से संबंधित कार्य करता है ।

2015–16 के दौरान उच्च प्राधिकारियों द्वारा भेजे गए 32 मध्यस्थता के मामलों 34 डब्ल्यू.ए.बी. आइटम/टेंडर मामलों, 28 पी.ई./आर.पी.ई. मामलों 4098 पेंशन और 89 अन्य मामलों पर कार्यवाही की गई, कुल 4281 मामलें थे । वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 के दौरान क्रमशः 4740 मामलों और 4198 मामलों पर कार्यवाही की गई ।

15.6 दि.वि.प्रा. का पेंशन कक्ष

i रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान 100 प्रतिशत कम्प्यूटरीकृत पेंशन परिकलन, व कम्प्यूटरीकृत पीपीओ को जारी करना तथा बैंक सलाह ली गई।

ii पेंशन कक्ष की वेबसाइट को शुरू किया गया और वेबसाइट पर सभी जानकारी को अपलोड किया गया ।

iii विकास सदन और क्षेत्रीय केन्द्रीय लेखा इकाई कार्यालयों में चिकित्सा जागरूकता कार्याशालाओं के साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में नई पेंशन योजना जागरूकता कार्यशालाओं का आयोजन किया गया ।

निपटान किए गए मामले एवं किया गया कुल व्ययः–

वर्ष	पेंशन मामलों को निपटाया गया/ पी.पी.ओ. जारी	वहन किया गया कुल व्यय (लाख रू. में)
2013–14	1208	24877.92
2014–15	1381	22891.03
2015–16	1537	30000.00

15.7 आंतरिक निरीक्षण अनुभाग

आंतरिक लेखा इकाई विभिन्न लेखा–परीक्षा इकाइयों का विभागीय निरीक्षण करती है । आंतरिक लेखा–परीक्षा कक्ष की वार्षिक रिपोर्ट निम्न प्रकार हैः–

इकाइयाँ	लेखा–परीक्षा का संचालन करने के लिए लक्ष्य			उपलब्धियां (संचालित लेखा परीक्षा)		
	2013–14	2014–15	2015–16	2013–14	2014–15	2015–16
मुख्यालय	35	34	48	35	32	27
क्षेत्र	65	67	62	69	66	40
कुल	100	101	110	104	98	67

15.8 बाह्य लेखा–परीक्षा कक्ष के कार्य

दि.वि.प्रा. के विभिन्न विभागों से संबंधित विभिन्न प्रकार के लेखा परीक्षा पैराओं का शहरी विकास मंत्रालय और महालेखाकार (लेखा–परीक्षा), दिल्ली के साथ निम्नानुसार समन्वय कार्य ।

1. पी.ए.सी. रिपोर्ट पैराओं (परीक्षण के लिए पी.ए.सी. द्वारा चुने गए सी.ए.जी. पैरा) ।

2. संसदीय स्थायी समिति रिपोर्ट/पैरे ।

3. सी.ए.जी. पैरे ।

4. मसौदा लेखा–परीक्षा पैरे ।

5. तथ्यों का विवरण ।

गत दो वर्षों की उपलब्धि को दर्शाने वाले तुलनात्मक आंकड़े और वर्ष 2015–16 तक की उपलब्धियाँ निम्नानुसार है:

	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या	वर्ष के दौरान भेजे गए उत्तरों की कुल संख्या
पैरों की श्रेणियां	2013–14	2014–15	2015–16
पी.ए.सी.पैरा	––	––	01
सी.ए.जी.पैरा	07	12	––
ड्राफ्ट पैरा	06	02	––
तथ्यों का विवरण	15	04	––
कुल	**28**	**18**	**01**

15.9 चिकित्सा सुविधाएं

1) चिकित्सा सुविधाओं का सरलीकरण:

क) कार्यरत कर्मचारियों और पेंशन भोगियों/परिवार के पेंशन प्राप्तकर्ता सदस्यों के लिए विकास सदन के स्वागत कक्ष हिस्से में ओ.पी.डी. क्लेम की प्रतिपूर्ति के लिए सिंगल विंडो काउंटर खोला गया ताकि उन्हें 2 दिनों के भीतर उनके बैंक खाते में उनके क्लेम की राशि सीधी पहुँच जाए।

ख) इनडोर चिकित्सा दावे की प्राप्ति को कम्प्यूटरीकृत कर दिया गया है और यह सिस्टम मेडिकल काउंटर पर प्रचालन में है ।

ग) ओ.पी.डी. तथा आई.पी.डी. भुगतान की संपूर्ण सूचना वाली फाइलों तथा पे–ऑर्डर को 2015–16 के दौरान कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जेनरेट किया गया ।

घ) वर्ष 2015–16 के दौरान कार्यरत स्टाफ और पेंशनरों के 20291 बायोमीट्रिक चिकित्सा कार्ड बनाए गए ।

2) पिछले दो वर्षों के दौरान और वित्तीय वर्ष 2015–16 में चिकित्सा व्यय :

	2013–14 (आँकड़े ₹ करोड़ में)	2014–15 (आँकड़े ₹ करोड़ में)	2015–16 (आँकड़े ₹ करोड़ में)
ईनडोर	7.76	11.90	2015–16 के दौरान 54.86 करोड़ रू. के चिकित्सा दावे की प्रतिपूर्ति की गई ।
स्पेशल क्रॉनिक एवं पोस्ट ओपरेटिव	1.48	1.23	
वार्षिक उच्चतम सीमा के अंतर्गत ओ.पी.डी.	6.92	11.14	
कुल	**16.16**	**24.27**	

15.10 संपत्ति कर कक्ष

यह दि.न.नि. के साथ दि.वि.प्रा. संपत्तियों के संबंध में संपत्ति कर विवादों के निपटारे का कार्य करता है । इन संपत्तियों के संपत्ति कर का निपटान भारतीय संविधान के संगत उपबंधों, डी.एम.सी. अधिनियम तथा शहरी विकास मंत्रालय के 2009 एवं 2015 के कार्यालय ज्ञापन के अंतर्गत किया जाता है ।

दि.वि.प्रा. 08.07.2004 को दि.न.नि. के आयुक्तों के साथ हुई बैठक के निर्णय के अनुसार नियमित रूप से अपनी संपत्तियों के लिए सेवा प्रभार का भुगतान कर रहा है ।

इस बीच, 10.11.2015 और 30.12.2015 को भी शहरी विकास मंत्रालय में बैठक हुई तथा बैठक के आदेश के अनुसार विभिन्न दिल्ली नगर निगमों को 26.70 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान किया गया (27.12.2015 को 18.70 करोड़ रुपए तथा 18.01.2016 को 08.00 करोड़ रुपए) ।

वर्तमान तिथि तक 2015–16 तक के सभी बकायों का भुगतान किया जा चुका है और दिल्ली नगर निगमों का कुछ बकाया नहीं है ।

15.11 ऑनलाइन भुगतान

जनता/आवंटितियों हेतु दि.वि.प्रा. प्लॉटों, फलैटों, समूह आवासीय फ्लैटों तथा अन्य प्लॉटेड संपत्तियों के लिए दि.वि.प्रा. वेबसाइट द्वारा ऑनलाइन भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई है । आवंटिती दि.वि.प्रा. की किसी भी आवंटित संपत्तियों के लिए ऑनलाइन अथवा एन.ई.एफ.टी./आर.टभ्.जी.एस. के द्वारा सभी प्रकार के भुगतान कर सकते है ।

15.12 भूमि लागत निर्धारण शाखा

भूमि लागत निर्धारण शाखा का मुख्य कार्य विकासशील/विकसित क्षेत्रों, संस्थानिक संपत्तियों और, व्यावसायिक प्लॉटों, में आवासीय प्लॉटों/फ्लैटों का आबंटन करने के लिए पूर्व–निर्धारित दरों को निर्धारित करना है । क्षतिपूर्ति प्रभारों का निर्धारण, आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक और अन्य संपत्तियों के संबंध में परिवर्तन प्रभारों के परिकलन के लिए दरों का निर्धारण, दुरुपयोग प्रभारों की भूमि दरों का निर्धारण और पेट्रोल पम्प इत्यादि के संबंध में लाइसेंस शुल्क का निर्धारण करना है ।

प्राधिकरण/सक्षम प्राधिकारी द्वारा 2015–16 की अवधि के दौरान निम्नलिखित दरों को अनुमोदित किया गया है:–

i) वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए रोहिणी, फेज– IV और V, नरेला एवं टिकरी कलां के लिए पी.डी.आर. ।

ii) वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए बहुस्तरीय पार्किंग सहित व्यावसायिक और औद्योगिक प्लॉटों हेतु लीज होल्ड से फ्री–होल्ड में परिवर्तन के लिए परिवर्तन प्रभार ।

iii) वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए दुरुपयोग प्रभार ।

iv) वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए दि.वि.प्रा. क्षेत्रों में संस्थानिक भूमि के लिए अधि शुल्क की दरें ।

v) 2015–16 और 2016–17 हेतु पेट्रोल पम्प स्थलों के लिए आरक्षित लाइसेंस शुल्क ।

vi) वर्ष 2015–16 के लिए दिल्ली में विकसित क्षेत्रों के लिए पी.डी.आर. ।

viii) वर्ष 2015–16 और 2016–17 के लिए क्षति प्रभार ।

15.13 आवास वित्त विंग

आवास लेखा विंग फ्लैटों/निर्मित दुकानों के आबंटन के संबंध में मुख्य रूप से निम्नलिखित गतिविधियों से संबंधित है:–

1. वित्तीय सहमति के लिए जीडीए के संबंध में प्रारंभिक अनुमान आर.पी.ई. की जांच करना ।

2. इंजीनियरिंग विंग से प्राप्त जानकारी के आधार पर प्लिंथ एरिया रेट (पीएआर) का परिकलन करना । इसके पश्चात सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्द्धवार्षिक आधार पर मानक लागत निर्धारण का अनुमोदन कराया जाता है ।

3. भूमि विभाग से प्राप्त भूमि के लिए अनुमोदित पी.ए.आर. और पी.डी.आर. (पूर्व–निर्धारित दरों) के आधार पर व्यक्तिगत लागत निर्धारण मामलों पर भी कार्रवाई की जाती है ।

4. फ्लैटों और निर्मित दुकानों की प्राप्ति एवं भुगतानों के लेखों का रखरखाव तथा इनकी वसूली करना ।

क. वर्ष के दौरान मुख्य गतिविधियां:

i) प्रारंभिक अनुमान/संशोधित प्रारंभिक अनुमान वित्तीय सहमति) की जांच करना

वर्ष	पीई/आरपीई	राशि (करोड रू. में)
2013–14	07	1625.36
2014–15	11	5708.00
2015–16	268 ई.डब्ल्यू.एस. आवास जहांगीर पुरी	22.11

ii) जनता से ऑनलाइन आवास प्राप्तियां

आवास प्राप्तियों से संबंधित सभी प्रकार के भुगतान को स्वीकार करने की ऑनलाइन प्रक्रिया को मई–2014 में आरंभ किया गया यह सुनिश्चित करने के लिए आवंटितियों/जनता को उनकी बकाया राशि का भुगतान करने के लिए बैंको/दि.वि.प्रा. के कार्यालयों में न जाना पड़े । इससे सॉफ्टवेयर में चालान को भौतिक रूप से अपलोड करने में भी कमी आई है ।

ख. लागत निर्धारण

आवास वित्त शाखा विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैटों की लागत निर्धारण के लिए अपनाए जाने वाले प्लिंथ क्षेत्रफल दरों के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण के समक्ष एजेंडे को आगे बढ़ाते तथा प्रस्तुत करते है । प्राधिकरण ने अपनी 16.06.2015 और 17.02.2016 को आयोजित बैठक में 1 अप्रैल 2015 से 30 सितम्बर, 2015 तथा 1 अक्टूबर, 2015 से 31 मार्च 2016 तक की अवधि के लिए प्लिथ क्षेत्रफल दर (पी.ए.आर.) को अनुमोदित किया ।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 3965 फ्लैटों की लागत निर्धारण को अंतिम रूप दिया गयाः

व्यक्तिगत फ्लैटों की लागत निर्धारण दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2014 के अंतर्गत	116
पुरानी सूची के फ्लैटों की लागत निर्धारण	121
दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2014 के अंतर्गत नई सूची के फ्लैटों की लागत निर्धारण	3612
दि.वि.प्रा. आवासीय योजना–2014 की प्रतीक्षा सूची के आवेदकों को आवंटित फ्लैटों की लागत निर्धारण	116

ग. अन्य उपलब्धियां

i) लीज़ होल्ड से फ्री–होल्ड के लिए की गई कार्रवाई के मामलों में बेबाकी प्रमाण पत्र

वर्ष	जारी किए गए बेबाकी प्रमाण पत्र
2013–14	14207
2014–15	11083
2015–16	10779

घ. वर्ष के दौरान आवास वित्त की मुख्य उपलब्धियांः

विभाग द्वारा जन–सेवाओं को प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित विशेष पहल/कदम उठाए गए ताकि मामलों को शीघ्र/विवेकपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके :

1. कार्य–प्रचालन में सामान्य सुधार– (क) लंबित मामलों की साप्ताहिक निगरानी प्रणाली (ख) आवास वित्त शाखा में बेबाकी प्रमाणपत्र/ बकाए से संबंधित सूचना जारी करने हेतु प्राप्त फाइलों का निपटान एफ.आई.एफ.ओ. प्रणाली के अंतर्गत निपटान ।

2. नकद आवास शाखा ने छह प्राधिकृत बैंको के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान द्वारा विभिन्न आवासीय योजना के अंतर्गत रसीदों की इलेक्ट्रॉनिक पोस्टिंग की पहल की है।

दि.वि.प्रा. संजय झील, मयूर विहार

दि.वि.प्रा. विकास मीनार

दि.वि.प्रा. विकास सदन

दिल्ली विकास प्राधिकरण

विकास सदन, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023

www.dda.org.in